वार्षिकी-2017, अंकः 4

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय
DIRECTORATE OF ENFORCEMENT

माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली प्रवर्तन दिवस, 2017
कार्यक्रम का दीप प्रज्जलित कर उद्घाटन करते हुए

प्रवर्तन दिवस 2017 कार्यक्रम पर प्रवर्तन निदेशक श्री कर्नल सिंह संबोधित करते हुए

प्रवर्तन संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) की
वार्षिक पत्रिका
भारत सरकार, नई दिल्ली।

वर्ष–2017

क्रम सं.	शीर्षक	लेखक का नाम	पृष्ठ
1	प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर	संजय लवानियाँ	9
2	धन शोधन निवारण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं	ए. सी. सिंह	11
3	फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक	नीता बेहरामफ्राम	13
4	शैल कंपनियों और बैंक द्वारा धोखाधड़ी	ए० के० कौशल	16
5	धन शोधन पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्य की पहचान	ए. के. रावल	18
6	संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश (खण्ड–9)	जगदीश प्रसाद मीना	23
7	प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2016–17) संगठन और कार्य कलाप	प्रवीण कुमार झा	31
8	कहानी	विटठल सुजीर	34
9	शिमला	राजेश भट्ट	35
10	नकदी रहित भारत (कैशलेस इंडिया)	उमेश वि. नाईक	37
11	रोजगार के अवसर और हिंदी	बाल किशन	38
12	प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली	धनश्याम	43
13	ओड़िशा के पर्व	आशीष कुमार पति	44
14	स्वच्छ भारत अभियान	अंकित गुप्ता	48
15	राष्ट्रीय भावना	राकेश चन्द्रा शर्मा	49
16	असफलता के कारण हटें तो सफलता मिले	कौशल कुमार	50
17	ओलंपिक खेल और भारत	प्रवीन कुमार शर्मा	52
18	असली मालिक	राजसिंह	55
19	स्वाभिमान	रवि मलिक	60
20	तमिलनाडु–एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश	एम.एस. ईश्वरम्बाल	61
21	जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर	विजय आचार्य	64
22	झारखंड–एक कला और संस्कृति	अभय कुमार	65
23	स्वच्छ भारत अभियान (कविता)	जे.पी. सिंह	67
24	एकान्त दर्पण	डॉ0 मनीष गोदरा	68
25	अमावस की पूनम	सुबोध कुमार	69
26	संतान	ऐ.के. श्रीवास्तव	70
27	मैं अजन्मी बेटी हूँ	दुर्गा शंकर देबता	71
28	हर कार्य की कोई वजह नहीं होती	मिथिलेश कुमार मिश्रा	72
29	देश की शान हिन्दी	निरंजन बेहरा	73
30	मैं वृक्ष हूँ।	सोमनाथ	74
31	गज़लः याद आया	मोहम्मद रशीद अंसारी	75
32	यह सफर ही मंजिल है	आराधना मंडल	76
33	मानव जीवन	अशोक मीना	77
34	जिन्दगी की धूप छाँव	कृपाशंकर मीना	78
35	है प्रभू प्रकाश का ऐसा एक दीप दो	अमित कुमार सैनी	79
36	मुझसे कैसी स्पर्धा	नरेश कुमार दसौंधी	80
37	हमारी कमी, भुगते हिंदी	सार्थक अग्रवाल	81
38	धर्म	लक्की सिंह	82
39	माँ की ममता	जुबैर खान	83
40	जीवन दान	प्रतिमा कुमारी	84
41	दर्द भरी सौगात	राकेश रंजन कान्त	85
42	माँ	मोहित	86
43	नया जगत	नीरज कुमार सहरावत	87
44	अहसास अजनबीपन का	राजेश	88
45	मेरी किताबें	जूही कुमारी	89
46	घर लौट आओ	वर्षा सेम्युल्ल	90
47	टंकण कौशल	अनु वर्मा	91
48	मेरी अनुभूति	सत्येन्द्र सिंह	92

मुख्य संरक्षकः
कर्नल सिंह
प्रवर्तन निदेशक

मुख्य संपादकः
डी॰ के॰ गुप्ता
विशेष निदेशक

संपादकः
जगदीश प्रसाद मीना
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संपादक मंडलः
ए.के. कौशल
उप निदेशक

सत्येन्द्र सिंह
उप निदेशक

एस.के. मिश्रा
सहायक निदेशक

नीरज वर्मा
सहायक निदेशक

बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक

नरेश कुमार
सहायक

कन्हैया लाल
सहायक

पत्र व्यवहार के लिए पताः
कमरा सं0 44, हिंदी अनुभाग, प्रवर्तन निदेशालय,
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003

डिस्क्लेमर :– इस पत्रिका में तकनीकी लेखों के अलावा, कविता, कहानी, लेख तथा गज़ल आदि रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं हैं, यदि इनमें किसी तरह का प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन होता है तो रचनाकार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

प्रवर्तन निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा 14 सितम्बर को ''हिन्दी दिवस'' के उपलक्ष्य पर हिन्दी गृह पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का प्रकाशन किया जा रहा है।

देश में सर्वाधिक बोली तथा समझी जाने वाली भाषा होने के कारण, हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिन्दी समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोए हुए है। इस बहुभाषा–भाषी देश में हिन्दी केवल जन–मानस की अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, वरन यह लोगों में आपसी प्रेम तथा भाईचारे की भावना भी पैदा करती है। ''हिन्दी दिवस'' के अवसर पर हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति एवं प्रचार–प्रसार के लिए प्रयास करें और साथ ही अपने दैनिक कार्यों में इसे अधिक से अधिक इस्तेमाल में लाएं।

मैं हिन्दी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ और इस अवसर पर निदेशालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

कर्नल सिंह

(कर्नल सिंह)

विशेष निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संदेश

प्रवर्तन निदेशालय की गृह पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का ''चतुर्थ'' अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। 'प्रवर्तन संदेश' पत्रिका के प्रकाशन का शुरू से यह उद्देश्य रहा है कि सुधी पाठकों को विविध विषयों पर रोचक, उपयोगी, ज्ञानवर्धक और पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान अंक की प्रस्तुति इसी उद्देश्य के अनुसार की जा रही है। निदेशक महोदय के दिशा–निर्देश, मार्गदर्शन तथा पत्रिका के संपादन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारियों के सहयोग से इस अंक का संपादन सफल हो पाया है। 'प्रवर्तन संदेश' के इस अंक में विभिन्न विषयों जैसे तकनीकी लेख, समसामयिक लेख और कहानी, कविताएँ तथा ग़ज़ल आदि का समावेश किया गया है।

संविधान के अनुसार हिन्दी संघ की राष्ट्रभाषा है। समूचे भारत में सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है तथा हिन्दी के पठन–पाठन और अध्ययन–अध्यापन की दृष्टि से भी निरंतर विकास हो रहा है। हिन्दी केवल एक भाषा ही नहीं है, अपितु एक समृद्ध, सांस्कृतिक तथा जीवंत और वैविध्यपूर्ण समाज का दर्पण है। राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए हम सबका यह कर्तव्य है कि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन द्वारा इसके विकास में योगदान दें।

राजभाषा में प्रकाशित यह पत्रिका हिन्दी लेखन को बढ़ावा देने का कार्य करती है जिनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी की प्रगति पर पड़ता है। कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की छिपी सृजनात्मक प्रतिभा को उभारने और हिन्दी में लिखने की आदत डालने की दृष्टि से इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मैं पत्रिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पत्रिका के सफल प्रकाशन में अपना सार्थक योगदान दिया।

देवेन्द्र गुप्ता

(देवेन्द्र कुमार गुप्ता)

सहायक निदेशक
प्रवर्तन निदेशालय
भारत सरकार
नई दिल्ली।

संपादक की कलम से......

''हिन्दी दिवस'' के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष हिन्दी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' के रूप में अपनी वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करते आए हैं जिसकी परिपाटी को हमने इस वर्ष भी कायम रखा है। हालांकि हमारा यह वार्षिक प्रकाशन राजभाषा हिन्दी को समर्पित है लेकिन कार्यालय की सभी गतिविधियों का समावेश हमने इस पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' में किया है।

पत्रिकाओं के माध्यम से जहां एक ओर निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है वहीं उनमें हिन्दी में अधिकाधिक काम करने की भावना भी बलवती हुई है और राजभाषा के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ी है। पत्रिकाओं के प्रकाशन के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही था और आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि हम अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल भी हुए हैं और इस सफलता का काफी कुछ श्रेय हमारे निदेशक महोदय को जाता है जो हिन्दी के कामकाज को बढ़ावा देने में विशेष रुचि लेते हैं और यथासम्भव स्वयं भी हिन्दी में काम करते हैं।

यह हमारा सौभाग्य है कि वैश्वीकरण और निजीकरण के आज के दौर में भी हमारे प्रकाशनों को काफी सराहा जा रहा है।

सूचना क्रांति के इस दौर में हालांकि बहुत कुछ बदल गया है लेकिन गंभीर पाठक आज भी पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से ही सूचना और जानकारी लेना पसंद करते हैं। हमारा यही प्रयास रहा है कि हमारी पत्रिका हमारी गतिविधियों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करे। पत्रिका में हमने निदेशालय से संबंधित लेखों को प्राथमिकता दी है ताकि हमारी यह पत्रिका राजभाषा की प्रगति के लिए किए जा रहे हमारे प्रयासों की तस्वीर प्रस्तुत करने के साथ–साथ निदेशालय की गतिविधियों के प्रचार–प्रसार का माध्यम भी बन सके।

हर वर्ष हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में हिन्दी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' का हमारा वार्षिक प्रकाशन राजभाषा के जन्म–दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धा की अभिव्यक्ति है जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। लेकिन हमारे यह प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक हम हिन्दी को राजभाषा के रूप में उसका उचित सम्मान नहीं दे पाते। हम हिन्दी को विश्व की भाषा बनाने में तभी कामयाब होंगे जब हम अपने देश में उसे पूरी तरह अपना लेंगे। इसके लिए हिन्दी को अपने दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखनी होंगी। हिन्दी का अन्तर्राष्ट्रीय रूप विकसित करने के लिए उसे अधिक से अधिक उदार होना होगा और वह उदारता आएगी व्याकरण को अधिक उदार बनाने से और सभी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अधिक से अधिक स्वीकार करने से। हिन्दी को सर्वग्राही बनाने के लिए यह जरूरी है।

प्रस्तुत 'प्रवर्तन संदेश' को हमने कविता, कहानी, व्यंग्य, ग़ज़ल निदेशालय के कार्यालयीन लेख एवं राजभाषा से संबंधी लेखों से सूचनापरक बनाने के साथ–साथ मनोरंजक बनाने के भी पूरे प्रयास किए हैं।

(जगदीश प्रसाद मीना)

प्रशिक्षण से सशक्तिकरण की ओर

कोई भी संगठन अपने मूल्यों एवं सदाचारों के बल पर खड़ा होता है, जो उसके कार्य बल से प्रकट होता है। एक संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय अपने कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो चुका है। प्रवर्तन निदेशालय उन कुछ सरकारी संगठनों में से एक है, जिनका अपना प्रशिक्षण कैलेंडर है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने "प्रवर्तन निदेशालय समेकित प्रशिक्षण केंद्र" नामक अपना प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया है, जिसे संक्षिप्त में इडिक्ट कहते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशिक्षण पर इतना ध्यान केंद्रित इसलिए किया है क्योंकि प्रशिक्षण से ही संगठन का कार्य निष्पादन, क्षमता और कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है। एक संगठन के रूप में हमारा यह मानना है कि इसे बनाने में प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। हमने कार्मिकों के योगदान को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान करके एक संगठन के रूप में हमने कार्मिकों के आपसी समन्वय को पहले से ज्यादा सशक्त बनाया है।

प्रवर्तन निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बहुत अग्रणी हो गया है ताकि जांच प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली असंख्य चुनौतियों का सामना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। वर्तमान में आयोजित किए गए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

1. **विधिक मामलों पर कार्यशाला (28–29 जुलाई, 2016):–** प्रवर्तन अधिकारी और इससे ऊपर के स्तर के 27 अधिकारियों को पीएमएलए से संबंधित मामलों में विधिक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है, उससे उन्हें इस निदेशालय में अपने काम–काज को बेहतर बनाने में फायदा मिलेगा।

2. **फेमा से संबंधित मामलों पर कार्यशाला (22–24 अगस्त, 2016):–** सहायक निदेशक और इससे ऊपर के स्तर के 27 अधिकारियों को फेमा से संबंधित मामलों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है, जिनसे उन्हें इस निदेशालय में अपने काम–काज को बेहतर बनाने में फायदा मिलेगा।

3. **नेतृत्व–क्षमता के संबंध में कार्यशाला(17 नवम्बर, 2016):–** सहायक निदेशक और उससे ऊपर के स्तर के 25 अधिकारियों को नेतृत्व–क्षमता के विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

4. **उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (28 नवम्बर–09 दिसंबर, 2016):–** प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 26 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

5. **उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (13–23 दिसंबर, 2016):–** प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 23 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

6. **केपीएमजी द्वारा वित्तीय अन्वेषणों के बारे में कार्यशालाः–** वित्तीय अन्वेषणों में अत्यधिक अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है। हमारे गैर सरकारी भागीदारों द्वारा की जाने वाले वित्तीय अन्वेषणों में उन्हें अग्रणी बनाने के लिए एक प्रसिद्ध लेखापरीक्षा फर्म, केपीएमजी द्वारा वित्तीय अन्वेषणों के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस

कार्यशाला में प्रवर्तन अधिकारी से संयुक्त निदेशक स्तर तक के 10 अधिकारियों ने भाग लिया था।

7. सतर्कता और अनुशासनात्मक प्रकियाविधि, लेखा और आहरण एवं संवितरण कार्यकलाप विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन(14–16 दिसंबर, 2016):– अवर श्रेणी लिपिक और इससे ऊपर के स्तर के लिपिकवर्गीय कार्मिकों को उपर्युक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वे इस निदेशालय के अपने काम–काज को और बेहतर बना सके।

8. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (09–20 जनवरी, 2016):– प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 30 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

9. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (30 जनवरी–10 फरवरी, 2016):– प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 30 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

10. सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मूलभूत पाठ्यक्रम (13 फरवरी – 03 मार्च, 2016):– सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के स्तर के 32 अधिकारियों को पीएमएलए, फेमा, अन्वेषण प्रक्रियाओं, न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं, विविध प्रक्रियाओं आदि से संबंधित मूलभूत पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित किया गया, जिनका वे इस निदेशालय में प्रभावी रूप से कार्य करने में प्रयोग करेंगे।

11. उर्ध्वाधर समेकित परिचय कार्यक्रम (वीआईआईपी) (15–26 मई, 2016):– प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रवर्तित दो विधियों अर्थात् फेमा और पीएमएलए के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए 28 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

12. आंतरिक विवाद न्यायालय (15–16, जून,2016):– प्रवर्तन अधिकारी और इससे ऊपर के स्तर के 114 अधिकारियों को न्यायालय में पीएमएलए से संबंधित मामलों में सुनवाई में भाग लेने, केस प्रस्तुत करने और बचाव करने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष, 2017–18 के लिए मुख्यालय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों का एक कैलेंडर इंटरानेट पर अपलोड कर दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय को धनशोधन प्रतिरोधन में अधिकारियों/अन्वेषकों के प्रशिक्षण में गहन अनुभव हो गया है और धनशोधन प्रतिरोधन तथा आंतक वित्तपोषण प्रतिरोधी संचालनों के संबंध में अन्य सार्क राष्ट्रों, जहां आवश्यकता हो, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में सुसज्जित हो गया है।

संजय लवानियाँ
संयुक्त निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

धन शोधन निवारण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के सिद्धांतों पर ध्यान देने के मद्देनजर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य धन शोधन का निवारण करना और धन शोधन से अथवा इसमें शामिल धन से अर्जित संपत्ति का जब्तीकरण तथा इनसे जुड़े मामलों अथवा इसके प्रासांगिक मामलों में सुविधा मुहैया करवाना है।

यह अधिनियम 01.07.2005 से लागू हुआ था। यह पूरे भारत में लागू है। दो निदेशकों अर्थात् प्रवर्तन निदेशक और निदेशक वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू–आईएनडी) के नेतृत्व में इस पर ध्यान रखा जाता है। अध्याय IV विशिष्ट रूप से निदेशक एफआईयू के लिए है(धारा 12 से 15)।

धन शोधकों पर लगाम लगाने के लिए इस अधिनियम में दो मार्ग परिकल्पित है।

(क) अनंतिम जब्तीकरण के आदेश द्वारा धनशोधक की संपत्ति को जब्त करके उसे अवरुद्ध करना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनंतिम जब्तीकरण आदेश की संपुष्टि के पश्चात तत्काल जब्त संपत्ति को कब्जे में ले लेना। ताकि अपराधी, अपराध से अर्जित संपत्ति का इस्तेमाल न कर सके, धारा 8(4) ऐसी संपत्ति की धन शोधन के मामले की कार्यवाही पूरा होने पर दिए गए निर्णय के पश्चात विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त होने की शर्त पर जब्ती की जाएगी।

(ख) अपराधी के अपराध कबूले बिना धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेते हुए इस अधिनियम की धारा 43(1) में गठित विशेष न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपराधिक शिकायत दायर करके धनशोधक पर केस चलाया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है।

(ग) लागू होते ही इस अधिनियम को सभी अन्य कानूनों पर अधिभावी बना दिया गया है (धारा 71) इसके अलावा, यदि इस अधिनियम के प्रावधान असंगत होते हैं तो वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। (धारा 65)

(घ) इस अधिनियम के तहत पीएमएलए की धारा 70 के संबंध में प्रतिनिधिक दायित्व की अवधारणा है।

(ङ) मनगढ़ंत बातों के होने पर विचार करते हुए, इसमें धारा 50 (2) और (3) के तहत बयान दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजन से न्यायिक कार्यवाहियों में दर्ज किया जाएगा और इसलिए ऐसा बयान स्वीकार्य है और एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

(च) पीएमएएल स्वतः स्पष्ट संहिता है और अध्याय IX कुछ मामलों में सहायता किए जाने की पारस्परिक व्यवस्था मुहैया करवाता है। धारा 57, धारा 43(1) के तहत गठित विशेष न्यायालय द्वारा, यदि वह संतुष्ट है, अनुरोध–पत्र जारी करने के लिए निदेशित है। धारा 59, आरोपी को समन, वारंट और

स्थानांतरण की तामील पर ध्यान देता है। इस अधिनियम की धारा 60 के तहत, संविदात्मक राष्ट्र में अवस्थित संपत्तियों का भारत में जब्तीकरण किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 8(3) के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश संपुष्ट संविदात्मक राष्ट्र को भेजा जा सकता है और संविदात्मक राष्ट्र इसे निष्पादित कर सकेगा यदि वही आदेश उसके न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

(छ) धारा 44(1) (क) के तहत प्रावधान समाविष्ट हैं, फिर भी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी विशेष न्यायालय धन शोधन की सुनवाई करते समय अनुसूचित अपराध की भी सुनवाई करेगा। धारा 44(1) (ख) के अनुसार, विशेष न्यायालय, अपराधी की सुनवाई के लिए उसके अपराध स्वीकार किए बिना धारा 3 के अंतर्गत संज्ञान ले सकेंगे। यदि एक बार विशेष न्यायालय धन शोधन के अपराध का संज्ञान ले लेते हैं तो शिकायत को विशेष न्यायालय में केस बनाने/हस्तांतरित करने के लिए अनुसूचित अपराध न्यायिक न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। (धारा 44(1)(ग) से संबंधित)

(ज) धारा 44(1) (घ) के संबंध में, विशेष न्यायालय धन शोधन अपराध के लिए न्यायालय सत्र आयोजित करेगा क्योंकि "एक सत्र न्यायालय के समक्ष न्यायिक सुनवाई" दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVIII के अंतर्गत निहित है। (धारा 225 से 235)।

(झ) इस अधिनियम की धारा 19 के तहत, सहायक निदेशक और उससे ऊपर का अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का विशिष्ट अधिकार रखता है।

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, प्राधिकारी को विश्वास किए जाने योग्य लिखित में उन कारणों को तैयार करना होगा कि आरोपी धन शोधन के अपराध में लिप्त हैं। गिरफ्तारी का कारण आरोपी को भी दिया जाएगा।

(ञ) आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर एमएम/जेएम अथवा विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत संबंधित अन्वेषण फाइल पर कार्रवाई करने के पश्चात आरोपी की प्रवर्तन हिरासत में या न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश देने के लिए प्राधिकृत होंगे। प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन और अन्य, 1994 एससीसी(अप0) पैरा 136 पर 785 तथा अशोक मुनीलाल जैन एवं अन्य बनाम सहायक निदेशक 2017 की अपराधिक अपील सं0 560(2017 के एसएलपी(अप0) सं0 2301 में से उद्धृत)।

ए. सी. सिंह
उप विधिक सलाहकार
मुख्यालय कार्यालय

फेमा और भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act FEMA), विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। पिछले कुछ महीनों में जारी की गई अधिसूचनाएँ नीचे दी गई हैं।

1. भारतीय पार्टी द्वारा विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) / संयुक्त उद्यम (JV) में प्रत्यक्ष निवेश

25 जनवरी 2017 को जारी ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.28 द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा सहयोगी देश एवं अधिकार क्षेत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए देशों में भारतीय पार्टी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया।

अब भारतीय पार्टी किसी ऐसी समुद्रपारीय एंटिटी विदेश में स्थापित अथवा अधिग्रहित किए गए संयुक्त उद्यम (JV) / पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) में प्रत्यक्ष रूप में अथवा उप–अनुषंगी सहायक कंपनी (SDS) में अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में निवेश नहीं कर सकती, जो उन देशों में अवस्थित है, जिनकी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा सहयोगी देश एवं प्रदेश के रूप में पहचान की गई है और इसकी सूची वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की वेबसाइट http://www.fatf-gafi.org/ पर उपलब्ध है अथवा समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बारे में अधिसूचित किया जाता है।

2. विदेशों में रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड जारी करना

कार्पोरेट कर्ज़ में विदेशी निवेशकों की पात्रता में एकरूपता बनाए जाने की दृष्टि से 13 अप्रैल 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र स.60 द्वारा विदेशों में रुपया–मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करने हेतु मान्यता–प्राप्त निवेशकों संबंधी पात्रता मानदण्ड निर्धारित किए गए थे।

कॉर्पोरेट कर्ज़ में विदेशी निवेश की समग्र सीमा रुपये मूल्य में निर्धारित होने के साथ, विदेश में रुपये में मूल्य वर्गीकृत बॉण्ड जारी करने की राशि में भी संशोधन किया गया। चूंकि समग्र सीमा रुपये मूल्य में निर्धारित की गई है, अतः स्वचालित मार्ग के तहत बॉण्ड जारी करने के संबंध में किसी इकाई (एंटिटी) द्वारा एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम रुपये 50 बिलियन राशि तक उधार लिया जा सकता है, न कि 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर में, जैसा कि परिपत्र में उल्लेख किया गया है। एक वित्त वर्ष में रुपये 50 बिलियन से अधिक राशि के उधार लेने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

यह बॉण्ड उसी देश में तथा उसी देश के निवासी द्वारा खरीदे जा सकते हैं :–

जो देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) के सदस्य हैं अथवा FATF जैसे किसी क्षेत्रीय

निकाय के सदस्य हैं, और

जिसकी प्रतिभूति बाजार की विनियामक संस्थाए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) के बहुपक्षीय सहमति ज्ञापन (परिशिष्ट– I की हस्ताक्षरकर्ता) की हस्ताक्षरकर्ता अथवा सूचना के आदान–प्रदान संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) की हस्ताक्षरकर्ता हो, और

FATF द्वारा जारी सार्वजनिक–वक्तव्य में निम्नलिखित के रूप में पहचाना गया देश न हों :

(i) धन शोधन निवारण या आतंकवाद के वित्त–पोषण के मुक़ाबले के लिए सामरिक कमियों वाला अधिकार क्षेत्र, जिस पर काउंटर उपाय लागू हों, अथवा

(ii) ऐसा अधिकार क्षेत्र जिसने अपनी कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रगति न की हो या कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ कोई कार्ययोजना विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं दिखाई हो।

विदेश में जारी रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड की न्यूनतम परिपत्क्वता अवधि को कॉर्पोरेट बॉन्ड में अनुमत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) मार्ग के लिए निर्धारित परिपक्वता अवधि के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से इन बॉन्डों की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष निर्धारित की गई हैं ।

विदेश में रुपये में मूल्यवर्गीकृत बॉन्ड जारी करने वाले उधारकर्ता यह सुनिश्चित करे कि अपने संबन्धित करार प्रस्ताव दस्तावेज़ में उचित खंड (मद) शामिल हो, करना सुनिश्चित करें जो उन्हें मुख्य बॉन्ड धारकों की सूची प्राप्त करने एवं जरूरत पड़ने पर भारत में विनियामक प्राधिकारियों को दे सकने के लिए सक्षम करें। इन करारों / प्रस्ताव दस्तावेजों में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि ये बॉण्ड्स केवल IOSCO/ FATF द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र से संबन्धित आवश्यकताओं के अनुपालन के अंतर्गत ही बेचे / अंतरित किए / प्रतिभूति के रूप में रखे जा सकते हैं।

उक्त बॉन्ड को जारी करके उधार लेने के कारण होने वाले अंतर्वाह / बहिर्गमन (केवल मूल धन) संबंधी समेकित सूचनाएँ जुटाने के उद्देश्य से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपने उधारकर्ता घटकों से संबंधित आहरण / पुनर्भुगतान (चुकौती) संबंधी वास्तविक आंकड़े उनकी ऋण पंजीकरण संख्या (LRN) उद्धृत करते हुए विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य वाणिज्यिक उधार प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को रिपोर्ट करें। यह रिपोर्टिंग ईमेल द्वारा लेनदेन की वास्तविक तिथि को ही करनी होगी। यह रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के संबंध में जमा की जाने वाली विवरणियों (फ़ॉर्म 83 और ईसीबी 2 विवरणी) के अतिरिक्त होगी।

विदेशों में रुपया–मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड जारी करने वाली भारतीय एंटिटियों को अधिकतम निवेशक–विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 16 फरवरी 2017 को जारी ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.31 द्वारा उन बहुपक्षीय एवं प्रादेशिक वित्तीय संस्थानों, जिनमें भारत एक सदस्य देश है, को भी विदेशों में जारी रुपया–मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड्स में निवेश करने की अनुमति दी गई।

विदेशों में रुपया–मूल्यवर्गीकृत बॉण्ड (मसाला

बॉण्ड्स) जारी करने के लिए निर्धारित ढांचे की समीक्षा करने पर तथा ईसीबी ढांचे के विभिन्न तत्वों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, 7 जून 2017 को जारी ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 47 द्वारा यह सूचित किया गया कि पात्र भारतीय एंटिटियों द्वारा इन बॉण्ड्स को जारी करते हुए उधार लेने के प्रत्येक प्रस्ताव की विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि मसाला बॉण्ड्स की परिपक्वता अवधि, समग्र लागत सीमा तथा मान्यताप्राप्त उधारदाता (निवेशक) से संबंधित प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

i. परिपक्वता अवधि:– प्रति वर्ष भारतीय रुपए के समतुल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि तक जारी किए गए मसाला बॉण्ड्स के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की तथा प्रति वर्ष भारतीय रुपए के समतुल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक राशि तक जारी किए गए बॉण्ड्स के लिए न्यूनतम 5 वर्ष की मूल परिपक्वता अवधि होनी चाहिए।

ii. समग्र लागत सीमा:– ऐसे बॉण्ड्स के लिए समग्र लागत सीमा समान परिपक्वता वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित प्रतिफल से 300 बेसिस पॉइंट्स अधिक होगी।

iii. मान्यता प्राप्त निवेशक:– मास्टर निदेश के पैरा 3.3.3 के प्रावधानों के अंतर्गत निवेशक के रूप में अनुमत एंटिटीज लेकिन जो आईएनडी–एएस 24 में दिए गए अर्थ के अनुसार संबंधित पार्टी नहीं हैं।

नीता बेहरामफ्राम
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

शैल कंपनियों और बैंक द्वारा धोखाधड़ी

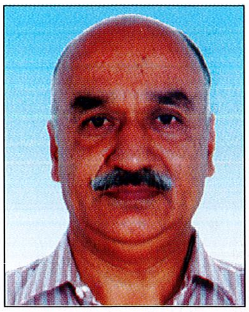

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 59 चालू खाता धारकों/अज्ञात बैंक कर्मियों/ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(1) के तहत दिनांक 09.02. 2015 को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की। चूंकि उपरोक्त धाराएं पीएमएलए के अधीन आने वाले अपराधों में सम्मिलित हैं इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने 09.10.2015 को ही ईसीआईआर दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बैंक की दिल्ली स्थित शाखा तथा एक उच्च बैंक अधिकारी के घर पर तलाशियां ली तथा तलाशी के दौरान कई संदेहास्पद दस्तावेज मिले। सबूतों के आधार पर तथा अन्वेषण के दौरान धोखाधड़ी से विदेशी मुद्रा को विदेशों में भेजने के संबंध में पीएमएलए की धारा 50 के तहत लिप्त व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए थे। उनके आधार पर पीएमएलए की धारा 17 के अंतर्गत 30 व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों पर तलाशियां ली गई। अभी तक जिन नौ व्यक्तियों को इस धोखाधड़ी में लिप्त पाया, उन सभी को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें से सात व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 45 के अंतर्गत विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और माननीय न्यायालय ने उसका संज्ञान ले लिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पाया कि सुविधा देने वाले व्यक्ति एवं आयातकों ने मिलकर ऐसे व्यक्तियों के नाम से शैल कंपनियों का निर्माण किया, जो आर्थिक रूप से असमर्थ थे और इन कंपनियों के नाम से डीजीएफटी से आयात एवं निर्यात संबंधित लाइसेंस, पैन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से इन कंपनियों के बैंक खाते दिल्ली स्थित शाखा में खोल दिए। उक्त खातों में सीधे ही भारी मात्रा में कैश जमा हुआ अथवा आरटीजीएस के द्वारा पीछे की शैल कंपनियों से धन आया। यह सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने इसी तरह से विदेशों में भी कंपनियां खोल दी, जिनका संचालन करने के लिए अपने व्यक्ति वहां पर लगा दिए तथा इन कंपनियों के बैंक खाते भी इन्होंने बाहर के बैंकों में खोल दिए। जो निर्यातक इस धोखाधड़ी में सम्मिलित थे, उन्होंने भी विदेशों में अपनी कंपनिया खोल कर, वहां के बैंकों में खाते खुलवा दिए ताकि सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्ति धोखाधड़ी से विदेशी मुद्रा को उन खातों में भिजवा सकें। इन नकली आयात करने वाली कंपनियों में सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने नकली बिल एवं अन्य जरूरी दस्तावेज (भविष्य में आयात करने के लिए) तैयार करके बैंक में पेश किए, जिनके आधार पर बैंक की दिल्ली स्थित शाखा से विदेशी मुद्रा को विदेशों में स्थित कंपनियों के खातों में भेजा गया। जैसे ही विदेशी मुद्रा विदेशों के बैंक खातों में पहुँचती उसके बाद यह मुद्रा आयातकों एवं निर्यातकों के निर्देशानुसार उनकी कंपनियों के खातों में पहुँचा दिया जाता था, जो इस राशि का प्रयोग इनके द्वारा भेजे गए निर्यात, जिनकी कीमत अधिक दिखाकर सीमा शुल्क विभाग से ड्रॉबैक लिया तथा ऐसे आयातक, जिन्होंने आयात करते समय कीमत कम दिखाकर कम सीमा शुल्क दिया था। यह तथ्य संबंधित सुविधा देने वाले व्यक्ति एवं निर्यातकों एवं आयातकों ने अपने बयानों में स्वीकार किया था, जो सुविधा देने वाले व्यक्ति हैं उनके व्हाट्सअप संदेशों से स्पष्ट होता है। इस कार्य–प्रणाली से मुख्य लाभ उन निर्यातकों को होता था, जो बहुत ही निम्न गुणवत्ता के वस्त्र जिनका मूल्य बहुत ही कम होता था जिसको ये निर्यातक उच्च गुणवत्ता का वस्त्र दिखा एवं अधिक मूल्य दिखाकर निर्यात करते थे ताकि इनको अनाधिकृत ड्रॉबैक मिल जाए। इसी प्रकार इस कार्य–प्रणाली से मुख्य लाभ उन आयातकों को भी होता था जो कम मूल्य दिखाकर आयात करते थे ताकि कम सीमा शुल्क देना पड़े। इसमें मुख्यतः वस्त्रों का निर्यात किया गया क्योंकि

इसमें अत्यधिक ड्रॉ बैक 9–10 प्रतिशत होता था। वास्तविक राशि, जो उन विदेशी कंपनियों के खातों में, जिन्होंने निर्यात किया हुआ वस्त्र प्राप्त किया है तथा उन विदेशी कंपनियों के खातों में जहां से वस्तुएं आयात हुई हैं, का विवरण संबंधित देशों में भेजे गए प्रार्थना पत्र (एलआर) के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने के बाद ही पता लग सकता है। अभी तक के अन्वेषण में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा से संबंधित कुल 3600 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी में से 3200 करोड़ रूपये तक के धोखाधड़ी से 48 शैल कंपनियों के माध्यम से भेजे गए 3200 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा के बारे में पता लगाया गया है। इस अन्वेषण के दौरान ये पता लगा है कि उपरोक्त 1500 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा में से कुछ विदेशी मुद्रा के गलत ढंग से निर्यात करने वाले निर्यातकों ने प्रयोग किया है। वास्तविक कीमत जो इस तरह से इन निर्यातकों और आयातकों ने प्राप्त की है, के बारे में एलआर (लेटर ऑफ रिक्वेस्ट) संबंधित देशों को भेजे गए हैं और वहां से जवाब अपेक्षित है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी तक 71 करोड़ रूपये की चल व अचल संपत्ति सात प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के माध्यम से जब्त की जा चुकी है। इस मामले में अभी आगे अन्वेषण जारी है।

ए० के० कौशल
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

धन शोधन पर रोक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कार्य की पहचान

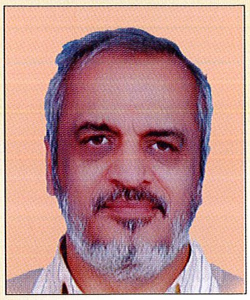

भारत ने 1947 से आर्थिक रूप से बहुत तरक्की की है। वर्ष 1991 से बाजार सुधार के उपाय शुरू हो गए थे और तब से इनमें अत्यधिक बदलाव चल रहे हैं, जिनमें बाह्य व्यापार और बाह्य पूंजी में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करना शामिल है। आर्थिक सुधार, वैश्विक एकीकरण और एक नए विश्व व्यापार संगठन को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह मुक्त व्यापार है परंतु इसमें कानूनी सामंजस्य, कर–प्रणाली तथा नियामक व्यवस्था शामिल है। इस नियामक व्यवस्था को एफएटीएफ, एपीजी, आईएमएफयूएनओडीसी इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

आर्थिक सामंजस्य के लिए वियना समझौता और पलेर्मो समझौते की पृष्ठभूमि में धन शोधन रोधी फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। धन शोधन एवं आतंक के वित्त पोषण रोधी फ्रेमवर्क में अपेक्षित संरचनात्मक बदलाव करने की जिम्मेदारी एफएटीएफ को दी गई है। भारत ने इसलिए एफएटीएफ, एपीजी, ईएजी तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता भी ग्रहण की है और साथ ही धन शोधन रोधी/आतंक की वित्त पोषण को समाप्त करने में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया गया है।

वर्ष 2016 में जी20 राष्ट्रों ने एफएटीएफ मानदण्डों के तीव्र, प्रभावशाली और विश्वव्यापी कार्यान्वयन के लिए आग्रह किया था। एफएटीएफ अपने सदस्य देशों की प्रतिबद्धता के संबंध में किए जा रहे कार्यों का नियमित रूप से मूल्यांकन करता है और उनके परिणामों को प्रकाशित करता है। एफएटीएफ का सदस्य होने के नाते भारत अपने सक्षम समीक्षा दल द्वारा इसके धन शोधन रोधी उपायों का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है। हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रणाली तथा अपेक्षाओं को समझें ताकि एफएटीएफ के परस्पर मूल्यांकन के चौथे दौर के लिए स्वयं को तैयार कर सके।

भारत का ये दूसरा मूल्यांकन किया जाना है। आपराधिक विधि, विधि प्रवर्तन एवं नियामक मुद्दों में एफएटीएफ तथा एपीजी विशेषज्ञ दल द्वारा भारत का पहला मूल्यांकन 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर, 2009 को किया गया था। कुछ कमियों का पता चला था और भारत ने इन कमियों को दूर करने की प्रक्रिया निभाई थी। भारत ने एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की और अक्टूबर, 2010 में की गई कार्रवाई की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारत ने विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित किया था :–

- धन शोधन का अपराधीकरण तथा आतंक के वित्त पोषण की तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए संशोधन।
- उपभोक्ता की उचित जांच तथा अन्य निवारण उपायों से संबंधित तकनीकी कमियों को दूर करना।
- दायित्व तथा मॉनीटरिंग अनुपालन दर्शाने वाले संदिग्ध लेन–देन पर पहुँच बढ़ाना।
- पीएमएलए के भीतर गैर वित्तीय कारोबारों तथा व्यवसायों को नामोदिष्ट करना।

फरवरी, 2013 में भारत ने एफएटीएफ 7वीं कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और जून, 2013 में नियमित रूप से की गई कार्रवाई के माध्यम से कमियों को दूर करने

के उपाय करना और उन्हें उपाय लागू करने हेतु अतिरिक्त कदमों के बारे में एफएटीएफ प्लीनरी को बताया। आठवीं कार्रवाई रिपोर्ट के बाद, प्लीनरी ने निर्णय लिया कि भारत ने अनुपालन के स्तर या बड़े पैमाने पर शिकायत स्तर के लिए मूल तथा मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया है अतः भारत को समीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। जबकि जून, 2013 की इस रिपोर्ट में यह उल्लिखित किया गया है कि धन शोधन के मामलों में सज़ा दिए जाने की दर में कमी बरकरार है। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि अन्वेषणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभियोजन के संबंध में, एफएटीएफ ने बताया कि नवम्बर, 2012 में 47 मामलों की केवल सीमित वृद्धि हुई थी। 40 सिफारिशों का भारत द्वारा अनुपालन किया जाना एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, इन अंतरों को दूर किए जाने की आवश्यकता थी।

अब पुनः भारत का चौथे दौर का मूल्यांकन किया जाना है, जिसे नई प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी इस प्रक्रिया को समझें ताकि हम अपने आप को परस्पर मूल्यांकन करने के लिए तैयार कर सकें। इस मूल्यांकन की अब दो प्रक्रियाएं हैं अर्थात् तकनीकी अनुपालन और प्रभावकारिता। तकनीकी अनुपालन मुख्य रूप से पीएमएलए के तहत प्रावधानों के जरिए मूल्यांकन किया जाता है और प्रभावकारिता में मूल्यांकन किया जाएगा कि अभियोजन, अपराध–सिद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय का कार्य निष्पादन कैसा है।

परस्पर मूल्यांकन एक ऊर्जस्वी तथा नियमित प्रक्रिया है। यह कई प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला प्रक्रिया देश के दौरे द्वारा अपनाई गई डैस्क आधारित समीक्षा है उसके बाद, प्लीनरी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। भारत को यह साबित करना होगा कि उसने मानदण्डों का पूर्णतः अनुपालन करने और उसकी धन शोधन रोधी/आतंकवादी वित्त पोषण रोकने की प्रभावशाली व्यवस्था के बारे में मूल्यांकन दल को सभी संगत सूचना दी जा रही है।

एक मूल्यांकन दल में सामान्यतः पाँच से छः मूल्यांकन अधिकारी शामिल होते हैं(इनमें कम से कम एक विधि, वित्त तथा विधि प्रवर्तक विशेषज्ञ शामिल हैं)। मूल्यांकन अधिकारी पहले तो देश की अर्थव्यवस्था संरचना तथा धन शोधन रोधी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। मूल्यांकन अधिकारी कागजात, आंकड़ों को पाने या अन्य संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से निदेशालय के पास उपलब्ध है। सभी अपडेट और सूचना इलैक्ट्रोनिक फॉर्मेट में मुहैया करवाई जानी होगी। साइट पर दौरे से पूर्व, तकनीकी अनुपालन की एक डैस्क आधारित समीक्षा, तकनीकी अनुपालन, पूर्व विद्यमान सूचना, तीसरे दौर की एमईआर, की गई कार्रवाई रिपोर्ट तथा अन्य संसाधनों से सूचना प्राप्त करने के आधार पर की जाएगी। भारत को यह विवरण 6 महीनें के भीतर वास्तविक मूल्यांकन तारीखों से पहले मुहैया करवाना होगा।

पहले की रिपोर्टों से संबंधित सूचना प्राप्त करके तकनीकी अनुपालन के लिए एक अद्यतन प्रश्नावली उपलब्ध कराना भी प्रार्थित है। यह रिपोर्टें तकनीकी अनुपालन के संबंध में डैस्क आधारित समीक्षा के लिए प्राप्त की जानी हैं। प्रश्नावली में प्रार्थित (1) संस्थानागत फ्रैमवर्क के बारे में पृष्ठभूमिपरक सूचना, (2) उन उपायों के संबंध में सूचना जिनमें देश ने प्रत्येक सिफारिश के लिए मानदण्डों का पालन किया है। यह वे उपाय होंगे, जो धन शोधन रोधी/आतंकवाद वित्त पोषण समाप्त करने की व्यवस्था के कार्य करने के लिए कानून तथा फ्रैमवर्क में रखे हुए हैं। ऑन साइट दौरे के छः माह पूर्व, एफएटीएफ सदस्य तथा एफएसआरबीएस भारत से उनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए कहेंगे। तकनीकी

अनुपालन निम्न रूप में निर्धारित किए जाने हैं :–

सी : अनुपालन

एलसी : बड़े पैमाने पर अनुपालन– जहां थोड़ी सी ही कमियां हैं।

पीसी : आंशिक रूप से अनुपालन– जहां बहुत ज्यादा कमियां हैं।

लागू नहीं – देश की अवसंरचना, विधिक अथवा संस्थानागत विशेषताओं के कारण, अपेक्षा लागू नहीं होगी।

तकनीकी अनुपालन अनुलग्नक का पहला प्रारूप ऑन साइट से लगभग तीन महीने पहले दे दिया जाता है। इसमें एक निवारण, विश्लेषण और संभावित तकनीकी कमियों की सूची शामिल है। वह तकनीकी अनुपालन के संबंध में इस पहले प्रारूप को स्पष्ट करने और टिप्पणियाँ करने के लिए एक माह लेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान, सभी संगत सामग्री मुहैया करवाई जाएगी, नियमित रूप से बैठकें होंगी और भारत को सूचना के आदान–प्रदान को आसान बनाना सुनिश्चित करना होगा। ऑन साइट दौरें पर दल एफएटीएफ द्वारा निर्धारित सभी 11 तत्काल निष्कर्षों के संबंध में भारत की प्रभाविकता के स्तर की जाँच–पड़ताल करेगा। प्रभाविकता सूचना में प्राथमिक रूप से दोष–सिद्धि तथा अभियोजन के बारे में सूचना शामिल है। इसलिए प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी की भूमिका केवल न्यायालय में अभियोजन दाखिल करने तक ही समाप्त नहीं हो जाती बल्कि उन्हें अपराधी का दोष भी साबित करना है और उसे सज़ा दिलवानी है। इसलिए 2019 के आरंभ में हमारे परस्पर मूल्यांकन की तैयारी के लिए हमें डाटा समुचित रख–रखाव आरंभ करना आवश्यक है। मूल्यांकन विभिन्न निष्कर्ष पैरामीटर्स में किया जाना है, जिसमें एक प्रभावी धन शोधन रोधी/आतंक वित्त पोषण को रोकने संबंधी प्रणाली के मुख्य लक्ष्य आते हैं।

तुरन्त निष्कर्ष –1

धन शोधन और आतंकवाद वित्त पोषण जोखिम समझ में आते हैं और जहां धन शोधन एवं आतंकवाद वित्त पोषण एवं उसके फैलाव को रोकने के लिए अंतर्देशीय रूप से उपयुक्त समन्वित कार्रवाई की जाती है।

इस संबंध में एनआरए प्राथमिक रूप से इसकी पद्धति, इसमें शामिल लोग, उपलब्ध अद्यतन जानकारी का अध्ययन करता है। प्रवर्तन निदेशालय भारत के राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन(विदेशी अन्वेषण इकाई मुख्य रूप से सूचना के आदान–प्रदान एवं इस डाटा के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है) में प्रतिभागिता करता है।

तुरंत निष्कर्ष –2

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपयुक्त सुचना, वित्तीय आसूचना तथा साक्ष्य प्रदान करता है और अपराधियों और उनकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुकर बनाता है।

तुरंत निष्कर्ष –3

पर्यवेक्षक, उपयुक्त रूप से धन शोधन रोधी/आतंकवाद वित्त पोषण रोकने संबंधी अपेक्षाओं का इसके जोखिम के अनुरूप अनुपालन करने के वित्तीय संस्थानों एवं डीएनएफसीपीएस का पर्यवेक्षण, मॉनीटर एवं नियंत्रण करते हैं।

वित्तीय तथा डीएनएफबीपी क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्रों का आकार, संयोजन तथा संरचना। पर्यवेक्षणीय नियंत्रण– शैल कंपनियों आदि पर नियंत्रण। मुख्य रूप से वित्तीय अन्वेषण इकाई(एफआईयू) इसका आदान–प्रदान करना है।

तुरंत निष्कर्ष –4

वित्तीय संस्थान और डीएनएफबीपीएस पर्याप्त रूप से धन शोधन रोधी/ आतंकवाद वित्त पोषण और उसके

जोखिम के अनुरूप निवारक उपाय लागू करते हैं तथा संदिग्ध लेन–देन की जानकारी देते है।

विशेष प्रवर्तन निदेशक, श्री डी. के. गुप्ता की अध्यक्षता में डीएनएफबीपी के बारे में गठित दल द्वारा डीएनएफबीपी की रिपोर्टिंग अपेक्षित है। (प्राथमिक रूप से एफआईयू आदान–प्रदान करना है।)

तुरंत निष्कर्ष –5

विधिक से संबंधित व्यक्ति तथा व्यवस्थाएं धन शोधन अथवा आतंकवाद वित्त पोषण के दुरुपयोग से बचाना तथा उनके लाभकारी स्वामित्व की सूचना बिना रोक–टोक सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध कराना।

विधिक व्यक्तियों, व्यवस्थाएं आदि का दुरुपयोग (एमसीए और प्रवर्तन निदेशालय आदान–प्रदान करता है)

तुरंत निष्कर्ष –6

धन शोधन और आतंकवाद वित्त पोषण अन्वेषणों के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वित्तीय आसूचना और अन्य सभी संगत सूचना का उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया जाना।

पीएमएलए रिपोर्ट आदि एसटीआर तथा अन्य निर्दिष्ट अपराध, रिपोर्ट के तहत जांच शुरु करना। (प्रवर्तन निदेशालय और एफआईयू आदान–प्रदान करता है)

तुरंत निष्कर्ष –7

धन शोधन अपराधों तथा गतिविधियों की जांच की गई और अपराधियों पर अभियोजन किया गया हो प्रभावी, आनुपातिक एवं निवर्तक धाराओं की शर्त पर।

अन्वेषित धन शोधन गतिविधियों की सीमा और श्रेणी एवं अभियोजन से अपराधियों पर दोष–सिद्धि तथा अन्य वैकल्पिक धाराएं (केवल प्रवर्तन निदेशालय सूचना प्रदान करना है)

तुरंत निष्कर्ष –8

अपराध से अर्जित आय तथा अपराध के तंत्रों पर दोष–सिद्धि करना

दोष–सिद्धि के बारे में अनुभव, उदाहरण तथा अन्य सूचना (प्रवर्तन निदेशालय को आदान–प्रदान करना है)

तुरंत निष्कर्ष –9

आतंकवाद वित्त पोषण अपराधों एवं गतिविधियों की जांच करना और जो आतंकवाद को बढ़ाने के लिए धन मुहैया करवाते हैं, उन्हें सज़ा दिलवाना तथा प्रभावी, आनुपातिक एवं निवर्तक धाराएं बनाने की शर्त पर।

आतंकवाद के लिए वित्त पोषण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा दोष–सिद्धि साबित करना (प्रवर्तन निदेशालय को जानकारी आदान–प्रदान करना है)

तुरंत निष्कर्ष –10

आतंकवाद, आतंकवादी संगठन तथा आतंकवादियों को वित्त मुहैया करने वाले वित्त पोषकों को धन का अर्जन संचलन तथा इस्तेमाल करने और एनपीओ क्षेत्र की बर्बादी करने से बचाव करना।

विधि प्रवर्तन, एफआईयू तथा आतंकवादी संगठनों से मुकाबले करने, हस्तक्षेप का अनुभव एवं लक्षित वित्तीय धाराओं के लिए जब्तीकरण के उपाय का अनुभव यदि कोई है।

तुरंत निष्कर्ष –11

नरसंहार के हथियारों के प्रसार में शामिल व्यक्ति तथा संस्थाओं को धन के अर्जन, संचलन तथा इस्तेमाल से बचाव करना, संगत यूएनएससीआरएस से युक्त।

अन्वेषण, धाराओं, सतर्कता से संबंधित प्रसार।

तुरंत निष्कर्ष निम्न रूप में निर्धारित हैं :–

एच ई – प्रभाविकता का उच्च स्तर– तुरंत निष्कर्ष बड़े पैमाने पर हासिल करना है। मामूली सुधार की आवश्यकता।

एस ई – प्रभाविकता का अत्यधिक स्तर– तुरंत निष्कर्ष बड़ी सीमा तक हासिल करना है। सामान्य सुधार की आवश्यकता।

एम ई – प्रभाविकता का सामान्य स्तर– तुरंत निष्कर्ष कुछ सीमा तक हासिल करना है। मुख्य सुधार की आवश्यकता।

एल ई – प्रभाविकता का निम्न स्तर– तुरंत निष्कर्ष हासिल नहीं करना या नगण्य सीमा तक हासिल करना। मूलभूत सुधार की आवश्यकता।

डैस्क आधारित समीक्षा, देश के दौरे, भारतीय प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श की सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, मूल्यांकन दल एफएटीएफ मानदण्डों के अनुरूप, तकनीकी अनुपालन तथा प्रभाविकता दोनों के बारे में देश के अनुपालन से संबंधित एक स्वतंत्र रिपोर्ट अंगीकार करेंगे इसमें कमियाँ होने को स्थिति में, भारत को या तो नियमित या और अधिक कार्रवाई करने हेतु कदम उठाने होंगे। नियमित कार्रवाई सभी देशों के लिए व्यतिक्रम मॉनीटरिंग तंत्र है। और अधिक कार्रवाई धन शोधन रोधी/आतंकवाद वित्त पोषण से बचाव प्रणाली में अत्यधिक कमियों तथा की गई कार्रवाई की और सघन प्रक्रिया में शामिल सदस्यों के लिए है। किसी देश को अत्यधिक कार्रवाई करने वाली सूची में स्थान मिलता है, यदि

i. उसकी तकनीकी अनुपालन के लिए एनसी/पीसी रेटिंग्स 8 या उससे अधिक है, अथवा

ii. इसे किसी एक अथवा आर. 3,5,10,11 तथा 20 से अधिक पर एनसी/पीसी पर निर्धारित किया है।

iii. इसका प्रभाविकता निष्कर्ष 7 या 11 से अधिक के प्रभाविकता का एक निम्न या सामान्य स्तर है, अथवा

iv. इसका प्रभाविकता निष्कर्ष 4 या 11 से अधिक के प्रभाविकता का निम्न स्तर है।

इससे पूर्व 30 देशों के मूल्यांकन के चौथे दौर में एफएटीएफ ने पाया कि अधिकतर देश डीएनएफबीपी क्षेत्र में यथोचित परिश्रम करने के लिए एफएटीएफ अपेक्षित फर्मों की सिफारिश 22 में आंशिक रूप से अनुपालन अथवा गैर अनुपालन वाली श्रेणी में हैं। उसी प्रकार का निष्कर्ष मुखौटा शैल कंपनियों के दुरुपयोग पर आर.24 में है। संयोग से ये दोनों क्षेत्र ही विगत में हमारे धन शोधन रोधी पहलों के केन्द्र बिंदू हैं। इन पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्टों (एमईआर) के अनुसार, यहां कार्यान्वयन में अत्यधिक अंतर है यहां तक कि कानून बना देने के बावजूद उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यूएनओडीसी रिपोर्टों में इन मदों को दोहराया गया है कि एजेंसियों के संसाधन के तहत आने वाले उन प्रमुख मुद्दों को अप्रभावी धाराओं में रखा गया है तथा इनमें देश के बाहर से सीमित सहयोग उपलब्ध है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रवर्तन निदेशालय वर्ष 2019 में भारत के एफएटीएफ मूल्यांकन के दौरान बड़ी भूमिका निभाएगा। यह कोई लघुकालिक प्रक्रिया नहीं है। हमें न केवल अब से ही यह कार्य आरंभ करना होगा बल्कि हमें उसे विश्वसनीय ढंग से मूल्यांककों को पेश करना है। इसके अलावा, मूल्यांकन की तैयारी करते समय, हमें प्रतिक्रिया आधारित कार्रवाई दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। सभी विभागों के साथ एक सक्रिय रणनीति सहित काम करने की जरूरत है वरना हम 2019 में संकट की स्थिति में आ जाएंगे।

ए. के. रावल
सहायक निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश (खण्ड–9)

संस्तुति संख्या	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
1	समिति का यह अनुभव है कि सामूहिक विवेक से तैयार की गई संस्तुतियों पर राजभाषा विभाग में गहराई से विचार–विमर्श नहीं किया जाता है। इसलिए समिति की सिफारिशों पर कारगर आदेश जारी नहीं हो पाते, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः समिति का यह सुझाव है कि समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर आदेश जारी करने से पहले राजभाषा विभाग समिति के साथ विचार विमर्श कर लें। तत्पश्चात, राजभाषा विभाग द्वारा आदेश जारी किये जाने के बाद राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उन आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करे।	यह संस्तुति सिद्धांततः स्वीकार की जाती है। यथावश्यक राजभाषा विभाग द्वारा समिति के साथ परामर्श भी किया जाएगा। राट्रपति जी के आदेशों का समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग प्रतिबद्ध है।
2	समिति के प्रतिवेदन के पिछले आठ खंडों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों की समीक्षा की जाए तथा समिति की संस्तुतियों के अनुरूप उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
3	समिति के प्रतिवेदन के आठवें खंड में जिन मंत्रालयों/विभागों में 25 प्रतिशत से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में अप्रशिक्षित पाए गए थे। उनकी स्थिति में अब निश्चित रूप से सुधार हुआ है परंतु जिन मंत्रालयों/विभागों में जहां उस समय प्रशिक्षण कार्य पूरा हो चुका था। अब हिंदी में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए सिफारिश की है कि ये मंत्रालय/विभाग प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। समिति यह सिफारिश करती है कि यदि नए भर्ती होने वाले कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो भर्ती के तुरंत बाद ही सरकार को उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
4	समिति यह सिफारिश करती है कि राजभाषा विभाग अपने निरीक्षण तंत्र को और मजबूत करे तथा इस ओर विशेष ध्यान दे कि हिंदी में मूल पत्राचार का प्रतिशत किसी भी मंत्रालय/विभाग में घट न पाए बल्कि इसमें वृद्धि ही हो।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
5	समिति ने पाया कि 11 मंत्रालयों/विभागों में कम्प्यूटरों पर 50 प्रतिशत से अधिक काम हिन्दी में हो रहा है। विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तो कार्य 20 प्रतिशत से भी कम है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरों पर अविलम्ब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिन्दी में कार्य कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

6	समिति के देखने में यह भी आया है कि कतिपय विभाग / मंत्रालय आदि हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशालाओं के लिए बुलाए जाने वाले अतिथि वक्ताओं को अन्य विषय के वक्ताओं की तुलना में कम मानदेय देते हैं । हिन्दी अतिथि वक्ताओं को भी अन्य विषयों के वक्ताओं के समान ही मानदेय दिया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
7	सचिव (राजभाषा विभाग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के साथ उठाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
8	सचिव (राजभाषा विभाग) धारा 3(3) के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के साथ उठाएं ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
9	हिन्दी जानने वाले कार्मिकों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाए। इसके लिए डेस्क प्रशिक्षण भी कारगर साबित हो सकता है। 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में विशेष रूप से इस प्रयास को तेज किया जाए। "ग" क्षेत्र में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर सर्वप्रथम कार्मिकों को हिन्दी शिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
10	कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में राजभाषा एक कार्यक्रम तैयार कर हिन्दी शिक्षण योजना के सहयोग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करे।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
11	प्रत्येक कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि कार्यालय द्वारा पत्राचार के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन सभी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिन्दी में कार्य की समीक्षा करें और आगामी माह के लिए हिन्दी में कार्य करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करें अर्थात उन्हें क्या-क्या काम हिन्दी में करने है इस संबंध में निर्देश दें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
12	विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा संबंधी रिक्त पड़े हुए पदों को अविलम्ब भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
13	प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में उपर्युक्त सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार नहीं की जाती है।
14	समिति यह संस्तुति करती है कि निरीक्षण कार्य के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया जाए और जब भी कोई अधिकारी (वरिष्ठतम अधिकारी सहित) अपने किसी अधीनस्थ कार्यालय में निरीक्षण या दौरे पर जाए तो उससे उक्त प्रोफार्मा को अनिवार्य रूप से भरवाया जाए और राजभाषा का निरीक्षण अवश्य करवाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्यालय का वर्ष में कम से कम एक राजभाषा संबंधी निरीक्षण मंत्रालय, मुख्यालय या राजभाषा विभाग द्वारा किया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

15	मॉनिटरिंग के इसी क्रम में प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
16	सभी मंत्रालय / मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि उनके नियंत्रणाधीन सभी छोटे बडे कार्यालय, बैंक, उपक्रम, संस्थान, अधिकरण आदि अपने अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
17	राजभाषा विभाग केन्द्रीय कार्यालयों में हिन्दी की प्रगामी प्रगति के लिए बनाए गए निरीक्षण प्रोफार्मा तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफार्मा में निम्नलिखित मुद्दे भी समाहित करें :– क. क्या आपके नगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है ख. क्या आपका कार्यालय इसका सदस्य है ग. यदि हां, तो पिछली बैठक् (तारीख) में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम घ. यदि सदस्य नहीं है तो अब तक सदस्यता क्यों नहीं ग्रहण की गई	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
18	परस्पर समन्वय की भावना होनी चाहिए और इसके लिए यदि अध्यक्ष कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नगर के किसी दूसरे कार्यालय से किसी सक्षम, अनुभवी हिन्दी अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया जा सकता है। किसी अन्य अधिकारी जो हिन्दी अधिकारी नहीं है उसे यह दायित्व नहीं सौंपा जाना चाहिए। नराकास की गतिविधियों को अनवरत रखने के लिए राजभाषा अधिकारी को ही नराकास के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास अध्यक्ष के कार्यालय में हिन्दी अधिकारी का पद न होने की स्थिति में अध्यक्ष अपने कार्यालय या किसी ऐसे अधिकारी को सदस्य सचिव मनोनीत करे जो राजभाषा नीति व कार्यान्वयन के बारे में जानकारी रखता हो ।
19	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि के संबंध में समिति द्वारा आठवें खंड में की गई सिफारिश को अविलंब लागू किया जाए। साथ ही, आयोजन हेतु प्रदान की जाने वाली इस राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय–समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए।
20	सभी केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिन्दी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिन्दी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

21	एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिन्दी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
22	परस्पर विचारों के आदान–प्रदान हेतु राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्र क, ख, ग में प्रतिवर्ष सचिव, राजभाषा विभाग के साथ नराकास अध्यक्षों एवं सदस्य सचिवों की एक समागम बैठक आयोजित की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
23	जैसे–जैसे पूरे देश में इन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की संख्या व उनके पदों की संख्या बढ़ाई जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
24	समिति का मानना है कि ऐसा मानक फॉन्ट विकसित किया जाए, जिसका प्रयोग देश–विदेश में आसानी में किया जा सके तथा इसे अनिवार्य रूप में सभी उपलब्ध सॉफ्टवेयरों में लोड किया जाए। इसके साथ ही हिन्दी के मानक की–बोर्ड का चयन कर इसे अनिवार्य रूप से सभी सदस्य सॉफ्टवेयरों में लोड किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
25	समिति का मत है कि एन.आई.सी. द्वारा वेबसाइट से संबंधित उसी सामग्री/आंकडों को ही वेबसाइट पर डालने के लिए स्वीकृत किया जाए, जिसे द्विभाषी रूप में उन्हें उपलब्ध कराया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वेबसाइट की सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराने और उसे अपलोड कराने का कार्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के निर्देशन में वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
26	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में सी–डैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की उपलब्धता के संबंध में एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, जो इनकी जानकारी आगे अपने अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों को दे। इसमें सॉफ्टवेयर पैकेजों की मुख्य विशेषताओं, उसकी उपयुक्तता और उनके मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
27	सॉफ्टवेयर पैकेज की विभिन्न विशेषताओं और उसकी उपयोगिता के संबंध में उपभोक्ताओं को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक उपभोक्ता को इस प्रकार प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है। अतः सॉफ्टवेयर विकास करने वाले अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सी–डैक सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर विचार कर सकता है, ताकि ये प्रशिक्षक अपने अधीनस्थ कार्यालयो/विभागों के उपभोक्ताओं तक यह कौशल पहुंचा सके।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

28	सभी साफ्टवेयर विकासकों (सी - डैक और अन्य) के लिए सुझाव है कि उपभोक्ताओं से पुनर्निवेशन प्रतिपुष्टि की एक प्रकिया शुरू करें और इसके आधार पर इनकी आवश्यकतानुसार अपने उत्पाद में बदलाव लाए तथा अभावों को यदि कोई हो दूर कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
29	सभी हिन्दी अधिकारियों के लिए एक वर्ष के अन्दर विशेष कार्यशालाएं लगाई जाएं। उन्हें हिन्दी संबंधित कार्य और यूनीकोड का अभ्यास करवाया जाए। उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाए तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी गोपनीय रिपोर्ट में प्रविष्टि की जाए। उपरोक्त विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारियों के लिए प्रयोगात्मक कक्षाएं ली जाएं, तत्पश्चात अन्य हिन्दी अधिकारियों को भी यही प्रशिक्षण दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
30	तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिन्दी लेखकों तथा अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिन्दी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि केन्द्र सरकार तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करे।
31	विभिन्न निरीक्षणों मौखिक साक्ष्यों तथा विचार–विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिन्दी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अतः हिन्दी की पाठ्य सामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यवहारिक प्रयोग के लिए हिन्दी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिन्दी में प्रयोग किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
32	केन्द्र सरकार में नौकरियों की भर्ती के लिए प्रश्न पत्रों में हिन्दी का विकल्प सुनिश्चित किया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
33	समिति पुनः संस्तुति करती है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 50 प्रतिशत धन हिन्दी विज्ञापनों पर तथा शेष 50 प्रतिशत क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी पर खर्च किया जाए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड – 8 की सिफ़ारिश सं070 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड–9 की सिफ़ारिश सं0 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते है, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा

34	जहाँ तक संभव हो हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं ।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
35	जहाँ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहाँ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
36	लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
37	समिति का मत है कि वैज्ञानिक/अनुसंधान एवं शोध संस्थानों द्वारा एक बड़ी राशि पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाती है। यदि यह छूट जारी रही तो पुस्तकालय की बजट की अधिकांश राशि जर्नल और संदर्भ साहित्य की खरीद पर ही व्यय होती रहेगी और हिन्दी की पुस्तकों की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके लिये लक्ष्य प्राप्ति करना मुश्किल होगा । अतः इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों पर होने वाली कुल राशि का 50 प्रतिशत हिन्दी की पुस्तकों पर खर्च किया जाए । समिति का सुझाव है कि जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का कोई बजट आबंटन न हो तो वहां कुल कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर खर्च किया जाए। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पचास प्रतिशत या एक प्रतिशत के संदर्भ में जो भी राशि अधिक हो वह हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाएगी ।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय का न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
38	मौलिक पुस्तक लेखन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
39	सरकारी सेवा में ऐसे कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं जो अपनी नौकरी के साथ-साथ रचनात्मक कार्य से भी जुड़े हैं और हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं । समिति का सुझाव है कि ऐसे प्रतिभाशाली कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन या पदोन्नति दी जाए।	यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।
40	अंग्रेजी की अच्छी और उपयोगी पुस्तकों के उत्तम अनुवाद को भी प्रोत्साहित किया जाए और इस संबंध में भी योजना तैयार की जाए। इसे "उत्कृष्ट अनुवाद योजना" का नाम दिया जा सकता है।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
41	समिति यह संस्तुति करती है कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में वेलफेयर क्लब्स के माध्यम से पुस्तक क्लब गठित किए जाएं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
42	समिति का मत है कि क्षेत्र के आधार पर गृह पत्रिकाओं को हिन्दी और संबंधित क्षेत्र विशेष की भाषा में छापा जाए ताकि क्षेत्रीय भाषा में लेखन क्षमता रखने वाले कर्मचारियों को भी अवसर और प्रोत्साहन मिले।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।

43	नए सृजित हिन्दी पदों तथा खाली पड़े हिन्दी पदों की तत्काल भरा जाए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
44	राजभाषा नीति का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
45	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित वेतनमान एवं पदोन्नति के उचित अवसर दिए जाने चाहिए और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
46	भविष्य में समिति की राजभाषा संबंधी सभी निरीक्षण बैठकों में मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
47	मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में अप्रशिक्षित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा रिक्त पड़े हुए हिन्दी पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
48	मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–बद्ध प्रशिक्षण देकर इन्हें हिन्दी कार्यशालाओं में नामित किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
49	मंत्रालय और इसके सभी नियंत्रणाधीन कार्यालयों की वेबसाइट द्विभाषी रुप में होनी चाहिए और वेबसाइट को अद्यतन करते समय हिन्दी के पृष्ठों को भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
50	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिन्दी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड – 8 की सिफारिश सं0 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड 9 की सिफारिश सं0 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा ज़ो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

51	प्रकाशन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं कार्यालयों के लिए मूल नियमों एवं अनुपूरक नियमों के संकलन का हिंदी प्रकाशन किया जाना चाहिए और इसे सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार कार्रवाई की जाए।
52	समिति का सुझाव है कि अकादमी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को अन्य विषयों के साथ–साथ संघ सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के विषय में भी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करे, ताकि सभी अधिकारी अपनी नियुक्ति वाले कार्यालय में राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन की निगरानी स्वयं कर सकें।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
53	सर्वोच्च राजकीय पदों पर बैठे सभी को, विशेषकर जिन्हें बोलनी और पढ़नी आती है, वे अपने भाषण/वक्तव्य हिंदी में ही दें या पढ़े इसका आग्रह करना चाहिए। इस श्रेणी में राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री आते हैं।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
54	विज्ञापनों पर खर्च संबंधी नियमों को अधिक कठोरता से पालन कराने का प्रावधान करना चाहिए।	यह संस्तुति स्वीकार की जाती है।
55	सभी सार्वजनिक स्थलों पर सूचनापट्ट पर या नामपट्ट देवनागरी में लगाया जाए। सभी सरकारी अर्द्धसरकारी और निजी कार्यालयों के नामपट्ट देवनागरी में रहें, नीचे अंग्रेजी में लिखा जाए।	इस विषय में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11(3) व इस विषय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

जगदीश प्रसाद मीना

सहायक निदेशक

मुख्यालय कार्यालय

प्रवर्तन निदेशालय की उपलब्धियाँ वर्ष (2016–17) संगठन और कार्य कलाप :

संगठनात्मक संरचनाः

प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारी विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप विधिक सलाहकार, उप निदेशक, सहायक विधिक सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी अन्य लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की सहायता से कार्य करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रवर्तन में निदेशालय की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए, मार्च, 2011 में सरकार द्वारा निदेशालय की संख्या को पुनर्गठित किया था।

एक जाँच अभिकरण के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय नए कार्यालयों को खोलने के साथ–साथ चरणबद्ध पद्धति से पदों को भरने की प्रक्रिया में है । निदेशालय का मुख्यालय कार्यालय नई दिल्ली में है और नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में 05 रीजनल कार्यालयों के अलावा, 16 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 12 उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

निदेशालय के कार्मिकों की कुल संख्या अब 2064 हो गई है, दिनांक 30.06.2017 तक 906 पदों को भरा गया है।

क. कार्यकारी स्कंध का काम–काजः–

प्रवर्तन निदेशालय दो अधिनियमों अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 01.06.2000 से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (फेरा) को फेमा से प्रतिस्थापित किया गया है। निदेशालय निरसित हुए फेरा, 1973 के बाकी बचे कार्य भी जारी रखे हुए है। निदेशालय कोफेपोसा,1974 के प्रावधानों को भी कार्यान्वित करता है।

ख. वर्ष 2016–17 के दौरान फेमा, फेरा एवं पीएमएलए के प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़े

विषय	न्यायनिर्णीत	लगाई गई शास्तियां (लाख रू. में)	वसूली गई (लाख रू. में)
फेमा	693	4065.34	747.12
फेरा	54	431.47	61.92

पी एम एल ए	आंकड़े
ई सी आई आर की संख्या	200
जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	175
कुर्की के अधीन संपतियों का मूल्य (लाख रू. में)	11032.27
पुष्ट अनंतिम कुर्की आदेशों की संख्या	118
न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए गए अनंतिम कुर्की आदेशों के अंतर्गत परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रू.)	918862.51
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	31
मामलों की संख्या जिनमें अभियोजन शिकायत दायर की गई	104

ङ. ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियॉं

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने–अपने एलएएन हैं, जो एनआईसीनेट डब्ल्यूएएन से जुड़ा है, प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पत्र एक्सेल शीट और ग्राफ तैयार करने जैसी प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कार्यालय आटोमेशन टूल का इस्तेमाल करते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरंभ की गई कुछ ई–गवर्नेंस गतिविधियां निम्नानुसार हैं:–

i) **वेबसाइट**– निदेशालय की वेबसाइट में हिंदी और अंग्रेजी में सामग्री डाली गई है, जिसमें नागरिक इस कार्यालय से संबंधित सूचना, प्रवर्तित विभिन्न अधिनियमों और अन्य संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

ii) **एफटीएस**– प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय कार्यालय में फाइल संचालन की मॉनीटरिंग के लिए एक फाइल ट्रैकिंग प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iii) **कॉम्प डीओ**– अपने कार्मिकों के वेतन प्रबंध के लिए एक पे रोल प्रणाली कार्यान्वित की गई है।

iv) **ई–मेल**– कार्मिकों को एनआईसी ईमेल आईडी प्रदान की गई है।

v) **वीडियो कॉफ्रेंसिंग**– निदेशालय में एक वेब आधारित वीडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली आरंभ की गई है।

vi) **मासिक प्रगति रिपोर्ट(एमपीआर)**– फेरा, फेमा और पीएमएलए से संबंधित मामलों की मासिक प्रगति रिपोर्ट के संबंध में सांख्यिकीय सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

vii) **मासिक समेकित प्रपत्र (एमआईपी)**– पीएमएलए के लिए मासिक समेकित प्रपत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि तथा समेकन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

viii) **कर्मचारी सूचना प्रणाली(ईआईएस)**– यह किसी कर्मचारी की विभिन्न रिपोर्टों के भंडारण, प्रक्रिया और सृजन हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह किसी कर्मचारी के मौजूदा पद, तैनाती स्थल, निदेशालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जन्म और सेवानिवृत्ति की तारीख, भर्ती की पद्धति, अगली पदोन्नति की तारीख और पद, संस्वीकृत पद की सूचना, निदेशालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत पद और खाली पड़े पदों की सूचना प्रदान की जाती है।

ix) **विधिक मामले मॉनीटरिंग प्रणाली (एलसीएमएस)**– यह उच्चतम न्यायालय, पीएमएलए अधिकरण, पीएमएलए न्याय निर्णयन प्राधिकरण और पीएमएलए विशेष न्यायालय में निदेशालय अथवा पार्टी द्वारा दायर विधिक मामलों की स्थिति को मॉनीटर करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। यह याचिका संख्या, याचिका कर्ता का नाम, प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका, संबंधित जोन का नाम, ईसीआईआर संख्या, पीएओ संख्या आदि जैसी सूचना लेता है। यह पिछली सुनवाई की तारीख पर मामले की स्थिति / प्रगति का रिकार्ड रखता है।

x) **प्रवर्तन निदेशालय अपराधी निगरानी प्रणाली (ई–डोट)**– टी–3 फाइल की स्थिति से आरंभ होकर मामलों से संबंधित फेमा और पीएमएलए के लिए डाटाबेस लेने

और तैयार करने की दृष्टि से फेमा और पीएमएलए मामले हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। यह एएसपी में विकसित किया गया है। प्रयोगकर्ताओं के लिए प्रयोक्ता के अनुकूल अंतरपृष्ठ मुहैया करवाने के लिए नेट प्रौद्योगिकी तथा भंडारण तथा डाटा हेतु एक बैकएंड डाटाबेस के रूप में एसक्यूएल सर्वर। फार्मों को प्रयोक्ता अनुकूल अंतर पृष्ठ से डिजाइन किया गया है।

xi) **सूचनापट्ट एप्लीकेशन–** विभिन्न परिपत्रों/डाउनलोड योग्य फॉर्मों/प्रशिक्षण संबंधी सूचना/फेमा/पीएमएलए के तहत महत्तवपूर्ण निर्णयों आदि को अपलोड/प्रकाशन/देखने के लिए एक नया एप्लीकेशन 'नोटिस बोर्ड' विकसित किया गया है। अपलोड की गई सूचना को प्रमुख श्रेणी और उसके बाद उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। लॉगिन करने पर, यह सभी प्रमुख श्रेणियों की सूची प्रदर्शित करेगा और जो इस प्रमुख श्रेणी के लिए अपलोड की गई सूचना का ब्योरा प्रदर्शित करने के लिए हाइपरलिंक्ड में बदल जाएगा। यह एप्लीकेशन एक भूमिका पर आधारित है और इसमें चार पूर्व निर्धारित रोल अर्थात् 'एडमिन', 'एंट्री', 'पब्लिश', 'व्यू' हैं। इसमें श्रेणी, परिपत्र वर्ष, परिपत्र संख्या और विषय जैसे विभिन्न पैरामीटर्स पर होने वाले प्रश्नों के लिए आगे और विकल्प है।

ड. शिकायत सुधार तंत्र

लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यालय कार्यालय तथा क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं तथा शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

च. निःशक्तता क्षेत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्य कलाप

निदेशालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुवर्तन और अनुपालन सुनिश्चित करता है। वर्ष 2016–17 में सीधी भर्ती द्वारा 14 अनुसूचित जाति के और 08 अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को नियुक्त किया गया ।

छ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

वर्ष 2016–17 के दौरान, निदेशालय में 415 सूचना के अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका निर्धारित अवधि के बीच तत्परता से निपटान कर दिया गया था ।

ज. तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलन

निदेशालय द्वारा 2016–17 के दौरान निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 04 तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों का चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई में सफल आयोजन किया गया। इन तिमाही क्षेत्रीय अधिकारी सम्मेलनों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और निदेशालय से संबंधित कुछ अहम मुद्दों जैसे की क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए लक्ष्य निर्धारण, स्थापित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्मुख की गई समस्याओं का निवारण आदि पर निर्णय लिए गए।

प्रवीण कुमार झा
प्रवर्तन अधिकारी
मुख्यालय कार्यालय

कहानी

एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति–पत्नी एवं दो बच्चे थे। परिवार में केवल मुखिया ही कमाता था। उसी की कमाई से परिवार का लालन–पालन होता था लेकिन कुछ दिन बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती गई और परिवार पर अनेक विपत्ति आने लगी है। पति–पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। करें तो क्या करें? एक दिन सायं पति–पत्नी बैठकर बातें कर रहे थे कि कैसे इन विपत्तियों से निपटा जाए। पता नहीं क्यों ईश्वर हम पर जुर्म ढाह रहा है! इसी बीच पड़ोस के एक 80 साल का बुजुर्ग आया। उसने हाल चाल पूछा तो उन्होंने उन्हें बताया कि आजकल पता नहीं परिवार में आये दिन कुछ विपत्तियां ही विपत्तियां आ रही हैं और कमाई में भी कुछ बरकत नहीं होती है। इस पर बुजुर्ग ने परिवार के मुखिया को बोला भाई किसी अच्छे पंडित को अपनी समस्या के बारे में बताओ वे अवश्य आपकी परेशानियों का कुछ समाधान बतायेंगे इतना कहकर बुजुर्ग वहां से चला गया। इसके बाद दोनों पति–पत्नी ने आपस में कहा कि बुजुर्ग सही कह रहे हैं। हम किसी पंडित जी के पास जाकर उन्हें अपनी किस्मत के बारे में पूछना चाहिए। इस पर दोनों की सहमति हुई और प्रातः वो दम्पति पंडित जी के घर की ओर चल दिये। पंडित के घर पहुंचे और राम श्याम किया तो "पंडित ने पूछा भाई आज सुबह–सुबह कैसे आये हो। परिवार के मुखिया ने बड़ी मायूसी से कहा पंडित आजकल मैं बड़ी परेशानियों से गुजर रहा हूँ क्या करूँ बहुत दुःखी हूँ"। इतना सुनकर पंडित ने उनकी किस्मत के बारे में पंचाग में देखा तथा भाग्य रेखा भी टटोली। पंडित ने तपाक से बोला भाई आप लोगों ने शनिदेव भगवान को उकसाया है। यह आपके परिवार से क्रोधित है। शनिदेव के कोप से कौन नहीं डरता? आपको अब शनिदेव को खुश करना होगा। उन्होंने पंडित जी से पूछा इसका हमें उपाय बता दीजिए। पंडित ने कहा आपको छः महीने तक हर शनिवार बिना नागा किये तेल का दीपक जलाना होगा। इससे आपके परिवार पर शनिदेव की कृपा होगी और परिवार में शांति आयेगी। अब वो हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाने जाने लगा। एक शनिवार जब वह दीपक जलाने जा रहा था तो मंदिर के बाहर एक बहुत वृद्ध आदमी बैठा था जो अपने आप बुला–बुलाकर जिद्द करके सबसे भीख मांग रहा था।

मुखिया को बुलाया और भीख मांगा। उसे थोड़ी खीज हुई और बोला अरे भाई पहले भगवान के दर्शन तो कर लूं फिर आपको भीख दे दूँगा, पर वो जिद्द करता रहा और वह उसे नजरंदाज करके आगे बढ़ता गया।

शनिदेव का द्वार बंद था, उधर उसे ऑफिस जाने को भी देर हो रही थी। बगल वाले गणेश जी महाराज के पास बैठे पुजारी से उसने पूछा – पंडित जी ने आज मंदिर नहीं खोला वो बोले अब तक तो आ जाना चाहिए था आठ बजे आ जाते थे। लगता है आज नहीं आयेंगे। नौ बज रहे थे! ऑफिस भी जाना था क्या करता? वो दीपक लेकर मन मारकर बाहर निकला बाहर दरवाजे पर वह वृद्ध अब भी भक्तों को तंग कर रहा था। उसने सोचा भगवान के दर्शन नहीं हो पाये तो क्या कम–से–कम बुजुर्ग के दर्शन तो हुए। उसने उन्हीं में भगवान की मूर्त देखकर उसको बीस रुपये दिये और आशीर्वाद लेने के लिए चरण छुए, पर उस वृद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। उसका ध्यान तो लोगों को पुकार–पुकार कर भिक्षा लेने पर था।

वह जाने को जैसे ही मुड़ा कि किसी ने आवाज दी, देखा तो पंडित बुला रहे हैं। शनिदेव के द्वार खुल चुके हैं। उसने दिया जलाया, दुआएं मांगी और लगा उस दिन साक्षात शनिदेव के दर्शन हो गये और महसूस किया आज उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो गईं।

विटठल सुजीर
संयुक्त निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलूरू

शिमला

शिमला, एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। समुद्र की सतह से 2202 मीटर की ऊँचाई पर स्थित इस जगह को हिल स्टेशनों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह का यह नाम 'माँ काली' के दूसरे नाम 'श्यामला' से लिया गया है। जाखू, प्रॉस्पैक्ट, ऑब्सर्वेटरी, एलीसियम, इनवेरारम, बेन्टनी और समर इस जगह की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। सन् 1864 में इस जगह को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। स्वतन्त्रता के बाद यह जगह कुछ समय तक पंजाब की राजधानी भी रही। बाद में शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना दिया गया।

यह सुरम्य पहाड़ी क्षेत्र विभिन्न पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटक, एक फैले हुए खुले क्षेत्र रिज से, जो कि लक्कड़ बाज़ार और स्कैंडल पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इस पर्वत श्रृंखला के लुभावने दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जाखू मंदिर भगवान 'हनुमान' को समर्पित है जो समुद्र की सतह से 8048 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। कर्नल जे. टी. बोइल्यू द्वारा डिज़ाइन की गई खूबसूरत क्राइस्ट चर्च, रंगीन ग्लासों से सजी हुई है जिनमें रिज के दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ दोरजे ड्रैक मठ विहार है, जो तिब्बती बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है वहीं दूसरी ओर माँ काली देवी को समर्पित, काली बाड़ी मंदिर है जहाँ पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दीवाली, नवरात्रि और दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्यौहार इस मंदिर में पूरी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भक्तगण समुद्र तल से 1975 मीटर की ऊँचाई पर स्थित संकटमोचन मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और सन् 1966 में निर्मित किया गया था। मंदिर के विभिन्न परिसरों में अलग–अलग देवी–देवताओं को प्रतिस्थापित किया गया है। 'ग्लेन' जो कि एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है, रिज से 4 किमी की दूरी पर स्थित है। मनोरम धारा और हरियाली के साथ यह एक रमणीय स्थल है। पर्यटक अन्नान्दले में भी पिकनिक मनाने जा सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इस खुले क्षेत्र में, रेसिंग, पोलो और क्रिकेट खेला जाता था। ऐतिहासिक टॉय ट्रेन यात्रा सन् 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा शुरू की गई थी। यह यात्रा 96 किमी की दूरी को सुंदर घाटियों और पहाड़ों के बीच से गुज़रते हुए तय करने का एक अवसर प्रदान करती है।

रिज, शहर के मध्य में एक बड़ा और खुला स्थान है, जहां से पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहां शिमला की पहचान बन चुका न्यू–गॉथिक वास्तुकला का उदाहरण क्राइस्ट चर्च और न्यू–ट्यूडर पुस्तकालय का भवन दर्शनीय है। मॉल शिमला का मुख्य शॉपिंग सेंटर है, जहां रेस्तरां भी हैं। गेयटी थियेटर, जो पुराने ब्रिटिश थियेटर का ही रूप है, अब सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। रिज के समीप स्थित लक्कड़ बाजार, लकड़ी से बनी वस्तुओं और स्मृति–चिह्नों के लिए प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि काली बाड़ी मंदिर में श्यामला देवी की मूर्ति स्थापित है। जाखू मंदिर में भगवान हनुमान का प्राचीन मंदिर है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी से शहर का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। प्रोस्पेक्ट हिल पर कामना देवी को समर्पित मंदिर है जहां से इस क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। समर हिल शिमला–कालका रेलमार्ग पर एक सुंदर स्थान है। यहां के शांत वातावरण में पेड़ों से घिरे रास्ते हैं। अपनी शिमला यात्रा के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राजकुमारी अमृता कौर के शानदार जार्जियन हाउस में रुके थे। यहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है। घने जंगलों से घिरा चैडविक

जलप्रपात समर हिल चौक से लगभग 45 मिनट की पैदल दूरी पर है। संकट मोचन शिमला–कालका सड़क मार्ग पर भगवान हनुमान का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां से शिमला शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। हिमाचल राज्य संग्रहालय और पुस्तकालय सूक्ष्म और लघु पहाड़ी चित्रों और पुस्तकों पर मुगल कालीन और समकालीन पेंटिंग्स को प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न कांस्य कलाकृतियाँ, फोटोग्राफ टिकट संग्रह मानव–विज्ञान से संबंधित आइटम भी यहाँ देखे जा सकते हैं। शिमला अपने आगंतुकों को कुछ ख़ास खरीदारी के अवसर प्रदान करता है।

शिमला प्राचीन औपनिवेशिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है जो ब्रिटिश वास्तु–कला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। 'रोथनी कैसल' एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का निवास स्थान हुआ करता था। 'मैनोर्विल हवेली में सन् 1945 में लॉर्ड वावेल के साथ एक बैठक में आजादी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद रुके थे। एक और आकर्षक भवन टाउन हॉल है, जिसे 1919 में बनाया गया था, वर्तमान में इस इमारत में शिमला नगर निगम का ऑफिस है। सन् 1888 में बनी 'वाइसरीगल लॉज' को 'राष्ट्रपति निवास' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छह मंजिला इमारत है जो उचित रखा–रखाव वाले लॉन और बागीचों से घिरी हुई है। 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी' वर्तमान में इसी इमारत में स्थित है। इस इमारत की नवजागरण वास्तुकला शैली इसे शिमला का आकर्षक और हॉट पर्यटन स्थल बनाती है। गेयटी सांस्कृतिक विरासत परिसर, गोथिक विक्टोरियन वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करता है, इसे 'हेनरी इरविन' ने डिज़ाइन किया था। यह भवन परिसर दर्शकों को पारंपरिक और आधुनिक कलाकृतियों के एक विशाल संग्रह को देखने का अवसर प्रदान करता है। इस भवन में एक सभागृह और एक पुराना नाट्य–गृह है। 'वुडविले', जनरल सर विलियम रोज़ मैन्सफील्ड का निवास स्थान था। जिन्होंने भारत में उपनिवेश काल के दौरान कमांडर–इन–चीफ के रूप में अपनी सेवाएँ दी थी। यह इमारत 1977 में एक हैरिटेज होटल में तब्दील कर दी गई थी। गोर्टोन कैसल और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग भी शिमला के औपनिवेशिक वास्तुकला के चमत्कार हैं।

शिमला भारत में सबसे बड़ी आइस स्केटिंग रिंक के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के दौरान जमीन प्राकृतिक बर्फ से ढँक जाती है और यही वह समय होता है (दिसंबर से जनवरी) जब स्केटिंग का पूरा आनंद उठाया जाता है। यहाँ ट्रैकिंग भी बहुत लोकप्रिय है। जुंगाए चैल, चुरधार, शाली पीक, हातू पीक और कुल्लू जैसी जगहें विभिन्न मार्गों द्वारा शिमला से जुड़ी हुई हैं। पर्यटक अपने गंतव्य स्थान से माउंटेन बाइकिंग के द्वारा नालदेहरा और सालोग्रा की तलाश कर सकते हैं। शिमला में साल भर एक सुखद जलवायु का आनंद मिलता है जो इसे पूरे साल पर्यटन के लायक बनाता है।

शिमला मुख्य परिवहन माध्यम वायु, रेल और सड़क द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जुब्बलहट्टी एयर पोर्ट इस स्थान के लिए निकटतम एयर बेस है। पर्यटक, कालका रेलवे स्टेशन से भी अपने अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा बड़े पड़ोसी शहरों से शिमला के लिए बसें भी उपलब्ध हैं। सर्दियों का मौसम स्कीइंग और आइस स्केटिंग का आनंद उठाने के लिए सबसे अच्छा समय है, जबकि दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रैकिंग के लिए ग्रीष्म ऋतु आदर्श है।

राजेश भट्ट
सहायक निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

नकदी रहित भारत (कैशलेस इंडिया)

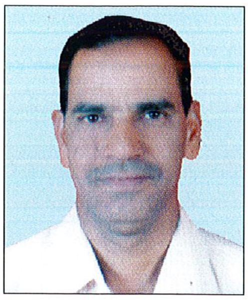

केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को 500 रूपये एवं 1000 रूपये की पुरानी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और साथ ही नकदी रहित भारत (कैशलेस भारत) के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सरकार सतत् प्रयासरत है। यह जानते हुए भी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में नकदी पर अधिक निर्भर है, सरकार द्वारा उच्च मूल्य वर्ग की मुद्रा का अवमूल्यन वास्तव में एक साहसिक कदम था ।

नवीनतम विश्व बैंक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि विमुद्रीकरण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत पर कोई दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अंततः लाभकारी ही सिद्ध होगा । इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी अच्छी प्रगति होने की संभावना है। विश्व बैंक के अनुसार 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% की विकास दर को प्राप्त कर लेगी और साथ ही विमुद्रीकरण की वजह से बैंकों में पर्याप्त नकदी वापिस आने की वजह से ब्याज दरों में भी कमी आई है जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं।

हालांकि, इस कदम का लाभ अब प्राप्त होना शुरू हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने डिजिटल मुद्रा में लेन देन शुरू भी कर दिया है। सभी पुराने 500 रूपये और 1,000 रूपये की मुद्रा के विमुद्रीकरण के बाद देश में डिजिटल माध्यम द्वारा नकद लेनदेन में भारी उछाल देखा गया है। क्रेडिट / डेबिट कार्डो, मोबाइल फोन अनुप्रयोगों, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) एप, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) या ई–पर्स के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों के द्वारा नकदी रहित भारत (कैशलेस भारत) के लक्ष्य को प्राप्त करने कि दिशा में अपेक्षित प्रगति दर्ज की गई है। भारत धीरे–धीरे नकदी केंद्रित अर्थव्यवस्था से नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलेश इकॉनमी) की तरफ लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेनदेन का पता आसानी से चल जाता है जिस वजह से सबके लिए करों का भुगतान करना अनिवार्य हो जाएगा और काले धन के संचलन के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। पूरा देश लेनदेन के प्रकिया के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और इस वजह से ई–भुगतान सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। कारोबारियों की एक बड़ी संख्या और यहां तक कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले फुटकर विक्रेताओं ने भी अब इलैक्ट्रोनिक भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इस तरह से वे भी सभी लोगों को तेजी से नकदी रहित लेन–देन प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुए हैं।

उमेश वि. नाईक
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा

रोजगार के अवसर और हिंदी

भाषा चाहे कोई हो, मूलतः वह संपर्क का माध्यम होती है। दो व्यक्तियों के बीच संवाद का, वैचारिक आदान–प्रदान का माध्यम। लिपियों के प्रादुर्भाव और विकास के साथ–साथ लेखन संस्कृति गतिमान हुई। ग्रंथों की रचना होने लगी। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किसका विकास पहले हुआ? संस्कृतियों का या बोलियों का लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विविध सभ्यताओं को, संस्कृतियों को वाणी देने के लिए बोलियां विकसित होने लगी। भिन्न–भिन्न भाषाएं बोली, लिखी जाने लगी। उन्ही सैंकड़ों विकसित भाषाओं में से एक है, हमारी हिन्दी। भारत सुदीर्घ और समृद्ध सामासिक संस्कृति संपन्न देश है। एक अनुमान के अनुसार यहां सोलह–सौ से अधिक बोलियां और लगभग आठ–सौ से अधिक भाषाएं है। भारत के संविधान की अष्टम सूची में जिन बाईस भाषाओं का उल्लेख है उनमें हिंदी भी सम्मिलित है। चूंकि हमारा विषय रोजगार और हिंदी है इसलिए यहाँ हिंदी के विविध रूप, बोलियाँ तथा उसके क्रमिक विकास आदि पर अधिक चर्चा करना प्रासंगिक नहीं होगा।

राजभाषा के रूप में हिंदी का अतिरिक्त दायित्वः भारत में चूंकि हिंदी सर्वाधिक बोली–समझी जाने वाली भाषा थी इसलिए उसे संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत के संविधान में अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को 'राजभाषा' स्वीकार किया गया। साथ ही अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा की प्रचार वृद्धि, उसका विकास तथा समृद्धि सुनिश्चित करने का दायित्व केंद्रीय सरकार को सौंपा गया। मेरी दृष्टि में यही वह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने हिंदी के लिए रोजगार के अवसर खोल दिए। हिंदी के प्रयोग की संभावना काफी बढ़ गई क्योंकि बोलचाल तथा साहित्य के अतिरिक्त वह विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रशासन के क्षेत्र में भी प्रयोग में लाई जानी है। 14 सितम्बर, 1949 अर्थात् हिन्दी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त होने की इस तिथि से पूर्व हिन्दी की ओर 'रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले एक माध्यम' की दृष्टि से शायद ही देखा गया हो। केन्द्र सरकार, उसके मंत्रालय और विभाग ही नहीं अपितु केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में कार्यरत तमाम निगम और उपक्रमों के कामकाज की भाषा बन गई हिन्दी, उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वित होते ही। उम्मीद तो थी कि अनुच्छेद 342(2) द्वारा नियत पंद्रह वर्षो की कालावधि की समाप्ति के उपरांत सारा कामकाज हिन्दी में होने लगेगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) के प्रावधानों ने हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी को असीमित अवधि के लिए बने रहने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तथापि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए विविध स्तरों पर प्रयत्न जारी रहे। केंद्रीय सरकार द्वारा 'राजभाषा नियम 1976' बनाए गए, जिनके अंतर्गत भारत के समस्त राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का क, ख तथा ग इन तीन वर्गो में वर्गीकरण किया गया। पत्राचार और अन्य कार्यालयीन कामकाजों में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए वर्गवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस–विज्ञप्तियों आदि के लिए अंग्रेजी के साथ–साथ उनका हिन्दी अनुवाद अनिवार्य किया गया। हिन्दीतर–भाषी राज्यों को अंग्रेजी में भेजे जाने वाले पत्र–परिपत्रों के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजना आवश्यक किया गया। अर्थात् केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी का उपयोग विधि द्वारा आवश्यक हो गया जिसके लिए हिन्दी अधिकारी, अनुवादक, हिन्दी सहायक, टंकक, आशुलिपिक आदि

के हजारों पदों का सृजन हुआ और हिन्दी को रोजगार की भाषा के रूप में देखा जाने लगा। यह अलग बात है कि इस प्रकार सृजित पदों की संख्या में वृद्धि निरंतर जारी नहीं रह सकी। एक बार एक पद भरे जाने के बाद संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक उस पद पर नई नियुक्ति सभंव नहीं होती। परिणामस्वरूप केंद्रीय सरकार या उसके अधीन कार्यरत निगमों, उपक्रमों में नई नियुक्तियों की संभावनाएं नगण्य ही कही जाएगी।

तकनीकी भाषा के रूप में नया आयामः 1991 में भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत Mission for the Technology Development in India Languages (TDIL) की स्थापना की गई। यह एक क्रांतिकारी कदम है। भारतीय भाषाओं की शब्द–संपदा विपुल है। उनमें अकूत उर्वरा शक्ति है। उनकी व्याकरणिक क्षमता अदभुत है। इन बातों को ध्यान में रखकर हिन्दी सहित संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित प्रत्येक भारतीय भाषा में तीस लाख विविध तकनीकी शब्दों के संचयन का निर्णय लिया गया। इस शब्द के स्रोत के रूप में 1981 से 1990 के बीच प्रकाशित पुस्तकें, जर्नल्स, पत्र–पत्रिकाएं, अनूदित सामग्री तथा सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाएगा। कला, विज्ञान, वाणिज्य, कार्यालयीन कामकाज, मीडिया आदि छह प्रमुख विषयों में वर्गीकृत तथा मशीन से पढ़े जा सकने वाले हिन्दी के 30 लाख शब्दों के संचालन का यह महत् कार्य कई अन्य संस्थाओं की सहायता से आईआईटी, दिल्ली में प्रगतिपथ पर है।

इससे हिन्दी के 'तकनीकी भाषा' के रूप में विकास का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

कंप्यूटर युग में गतिमान हिन्दीः पिछले बीस वर्षों के दौरान घटित कंप्यूटर–क्रांति ने समूचे विश्व का चित्र पलटकर रख दिया है। इसके प्रभाव से कोई क्षेत्र अछूता नहीं रह पाया। आरंभ में 'कंप्यूटर जी' केवल अंग्रेजी लिखते, समझते थे जिससे यह आशंका बलवती होने लगी थी कि इसका हिन्दी की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ, लिपि, इजम, श्रीलिपि, अक्षर, यूनिकोड जैसे तेजी से विकसित किए गए कई वर्ड–प्रोसेसर्स ने इस आशंका को निर्मूल साबित कर दिया। जिसे टाइप–राइटर पर काम करना नहीं आता वह भी आज 'बरहा' जैसे सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर पर हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी ही नहीं अपितु मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असामी, ओरिया इन भारतीय भाषाओं में एक साथ और आसानी से काम कर सकता है। दिन ब दिन सुलभ होती जा रही स्पेल–चैक, अनुवाद, शब्दकोश की सुविधाओं ने कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करना और भी सहज और आनंददायी बना दिया है। कहना न होगा कि इससे हिन्दी में कार्य–निष्पादन की गति में अप्रत्याशित इजाफा हुआ। साथ ही हिन्दी की लोकप्रियता में चार चाँद लग गए।

विश्व पटल पर हिन्दी के बढ़ते कदमः हिन्दी न केवल भारत की 90 प्रतिशत जनता द्वारा बोली, समझी जानेवाली लोकप्रिय भाषा है अपितु विश्व में सर्वाधिक बोली, समझी जाने वाली भाषाओं में प्रमुख है। कुछ अनुमानों के अनुसार तो हिन्दी ने विश्व में प्रथम क्रमांक पर मानी जाने वाली चीनी भाषा को भी मात दे दी है। आज वस्तुस्थिति चाहे जो हो, पर विश्व–समुदाय की भारत में बढ़ती दिलचस्पी के मद्देनजर वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली, समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। इस 'विश्वास' का एक और कारण भी है। वह है, भारत की 120 करोड़ से अधिक अर्थात् विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, आबादी। आवागमन की बढ़ती सुविधाएं, संचार–क्रांति और वैश्वीकरण के कारण दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था आकार लेने लगी। विकसित राष्ट्र अपने उत्पादों के विपणन/विक्रय के लिए भारत की ओर एक विशाल 'मार्केट' के रूप में देखने लगे। साथ ही वे यह भी जान गए कि भारत की

करोड़ों की आबादी तक अपने उत्पादों की जानकारी पहुंचाने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी से भिन्न कोई भाषा नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप विश्व के अनेक देशों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए अध्ययन–अध्यापन केंद्र खुल गए। अमेरिका में फ्रैंच, स्पैनिश और जर्मन के साथ–साथ हिन्दी भाषा को भी स्कूलों में, विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। फ्रांस दूसरा बड़ा देश है, जहां हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। सोवियत रूस में अनेक हिन्दी शोध संस्थान हैं। विश्व के 160 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है इससे स्पष्ट है कि आज पूरे विश्व ने हिन्दी को एक 'आवश्यक' भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। नतीजतन, हिन्दी की लोकप्रियता में दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि हो रही है और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता प्रदान न भी करें तब भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिन्दी विश्व–समुदाय की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भाषा बन चुकी है।

रोजगार के अवसर और हिन्दीः उपर्युक्त लोकप्रियता के परिणाम–स्वरूप हिन्दी में रोजगार के विपुल और नित नए अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। इस प्रकार उपलब्ध रोजगारों को निम्नलिखित तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

रोजगार के अवसर

1. संवैधानिक बाध्यता से सृजित पद
2. स्वतंत्र रोजगार
3. विदेश में रोजगार

I. संवैधानिक बाध्यता के तहत सृजित पदः
इस वर्ग में केंद्रीय सरकार और उसके अधीन कार्यरत निगमों तथा उपक्रमों के कार्यालयों में हिन्दी के कामकाज एवं उसके प्रगामी प्रयोग के लिए सृजित पद आते हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। यद्यपि यह सच है कि एक बार भरे जाने के बाद उन पदों पर इन नियुक्तियों के लिए वर्षों तक गुंजाइश नहीं रहती तथापि उपयुक्त अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के अभाव में आज भी अनेक शासकीय कार्यालयों तथा उपक्रमों में सैकड़ों पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि के साथ–साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी आवश्यक होती है। हमारे यहां राज्यों की अपनी राज्य–भाषाएं है जैसे महाराष्ट्र की मराठी या कर्नाटक की कन्नड़ आदि। राज्यों का कामकाज उनकी अपनी राज्य भाषाओं में चलता हैं उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों में की जाने वाली नियुक्तियों के लिए आने वाले उम्मीदवारों से यह अपेक्षा रहती है कि उन्हें राज्य–विशेष की राज्य–भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए।

II. भारत में स्वतंत्र रोजगार की संभावनाएंः
इस वर्ग में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों की संक्षिप्त चर्चा यहां अनुपयुक्त न होगी।

1. फिल्म उद्योग, दूरदर्शन एवं संचार माध्यमः भारत में 'फिल्म–निर्माण सबसे बड़ा उद्योग है और इसमें सर्वाधिक फिल्में हिन्दी में बनती हैं, जो फिल्में प्रादेशिक भाषा में बनाई जाती हैं उनमें से भी कई उत्कृष्ट फिल्में हिन्दी में 'डब' करके प्रदर्शित की जाती हैं। इन फिल्मों के लिए गीत, पटकथा, संवाद आदि लेखन के लिए, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाओं से अनुवाद के लिए बड़ी संख्या में भाषा–विदों की आवश्यकता होती है। यही स्थिति दूरदर्शन की भी है। आज भारत में चलने वाले चैनलों की संख्या चार–सौ का आंकड़ा पार कर चुकी है। सर्वाधिक चैनल हिन्दी कार्यक्रमों के हैं। उन पर दिखाए जाने वाले सर्वाधिक विज्ञापनों की भाषा हिन्दी ही होती है। हमारे देश में एनिमेशनर फिल्म, नेशनल ज्योग्राफिक, कार्टून नेटवर्क, एनिमल प्लानेट, डिस्कवरी सहित अनेक ऐसे चैनल हैं जो हिन्दी में 'डब' करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन चैनलों में अनुवाद करना, संवाद, सार–लेखन, डबिंग जैसे अनेक कार्य हैं जिनके लिए हिन्दी में प्रभुत्व प्राप्त व्यक्तियों की बड़ी संख्या में

जरूरत है।

आकाशवाणी में उद्घोषक, निवेदक, अनुवादक, समाचार–वाचक एवं विविध कार्यक्रमों के निर्माण तथा प्रस्तुति हेतु उपयुक्त अर्हता रखने वाले व्यक्तियों के लिए सदा से रोजगार की संभावनाएं रही हैं।

2. समाचार–पत्र, पत्रिकाएं एवं संवाद एजेंसियाँः भारत में सर्वाधिक समाचार पत्र–पत्रिकाएं हिन्दी में प्रकाशित हो रही हैं। हिन्दी के कई अखबारों की प्रसार संख्या लाखों में है। उनके पचासों संस्करण निकल रहे हैं। ऐसे अखबारों के लिए काम कर सकने वाले रिपोर्टरों के, अनुवादकों के, भाषा सहायकों के, डाटा ऑपरेटर्स, कंपोजिटर्स, उप संपादकों के पदों के विज्ञापन अक्सर देखे जा सकते हैं। हिन्दीतर–भाषी क्षेत्रों से निकलने वाले हिन्दी अख़बार तो सतत् रूप से हिन्दी में कार्य कर सकने वाले कुशल कर्मियों की तलाश में जुटे रहते हैं। कर्नाटक से प्रकाशित होने वाला एक ऐसा हिन्दी दैनिक अख़बार है, जो पिछले दस वर्षों से निकल रहा है। संवाद एजेंसियों का भी यही हाल है। हिन्दी के साथ–साथ अंग्रेजी और एकाधिक प्रादेशिक भाषाओं पर प्रभुत्व रखने वाले कुशल अनुवादक को कौन नहीं चाहता। कुल मिलाकर यही कि इस क्षेत्र में 'सर्वोत्तम' की तलाश सदैव और हर कीमत पर रहती है। उम्मीदवारों को जरूरत होती है तो बस, 'खुदी को बुलंद' करने की।

3. प्रकाशन–जगत में अनुवादकों की बढ़ती मांगः भारत में सर्वाधिक पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों के अनुवाद भी हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ समान प्रकाशन संस्थाएं श्रेष्ठ कृतियों के अनुवाद हिन्दी सहित कई अन्य भाषाओं में प्रकाशित करती हैं। अनेक व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो केवल अंग्रेजी में ही थे, अब हिन्दी में उपलब्ध कराने की मांग बढ़ती जा रही है। अर्थात् साहित्य की पुस्तकों के अतिरिक्त और भी कई विषयों की पुस्तकों के अनुवाद वांछित हैं। अनुवाद करने वाली अनेक निजी संस्थाएं भी हैं उन्हें कुशल अनुवादकों की सदैव तलाश रहती है। हिन्दी सहित एकाधिक भाषाओं पर प्रभुत्व तथा अनुवाद–कला में नैपुण्य–प्राप्त व्यक्ति स्वतंत्र अनुवादक के रूप में भी अपना कैरिअर बना सकता हैं।

4. पर्यटन : संपूर्ण भारत में पर्यटन एक अच्छे उद्योग का रूप ले रहा है। विदेशी ही नहीं अपितु मध्यम–वर्गीय भारतीय भी साल में एक बार ही क्यों न हों घर से बाहर निकलकर कहीं घूम आने की योजना बना लेता है। पूर्वोतर तथा दक्षिणी–राज्य, राजस्थान, गुजरात आदि ने यह साबित कर दिखाया है कि पर्यटन आय का उत्तम स्त्रोत है। हिन्दीतर–भाषी प्रदेशों में आने वाले पर्यटन उनकी अपनी भाषा में न सही पर हिन्दी में जानकारी दे पाने में सक्षम 'गाइड' की सेवाएं सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं।

5. विज्ञापन क्षेत्रः भारत में विज्ञापन क्षेत्र भी एक 'उद्योग' के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हजारों उत्पादों से संबंधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार–पत्र तथा स्वतंत्र लीफलेट, ब्रोशर्स, सूचना–फलक आदि के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है जिसे तैयार करने के लिए बड़ी संख्या में हिन्दी के जानकारी की आवश्यकता है।

6. हिन्दी प्रशिक्षण, शिक्षण के लिए अध्यापक, प्राध्यापकः स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी पढ़ाने के लिए उपयुक्त अर्हता रखने वाले अध्यापक, प्राध्यापकों की सदैव आवश्यकता रही है। इसके साथ ही केंद्रीय सरकार तथा कुछ विश्वविद्यालय एवं निजी संस्थाएं हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण वर्ग तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। हिन्दी पर प्रभुत्व रखने वाले एवं अध्यापन–कार्य के अनुभवी व्यक्तियों के लिए इस क्षेत्र में रोजगार की प्रबल संभावनाएं होती हैं।

III. विदेश में रोजगार की संभावनाएं:

1. भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विकसित राष्ट्रों का भारत की ओर भावी महाशक्ति के रूप में देखने का नजरिया तथा भारत में व्यापार की अच्छी संभावनाओं के मद्देनजर, विदेशों में हिन्दी सीखने में दिलचस्पी बढ़ी है। इसी कारण हिन्दी में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वानों की मांग दिन–पर दिन बढ़ती जा रही है।

2. विदेशों में 'पर्यटन' के क्षेत्र में हिन्दी किस प्रकार लोकप्रिय हो रही है इसका एक उदाहरण है कि समाचार के अनुसार, एफिल टॉवर पर तैनात फ्रांस के सुरक्षा कर्मी अब भारतीय उपमहादीप से आने वाले पर्यटकों से बढ़िया हिन्दी में बातें करते नजर आते हैं। अकेले एफ़िल ही नहीं अपितु पूरे पेरिस में जगह–जगह आपको हिन्दी बोलने वाले मिल जाएंगे। इस बारे में पूछने पर एक सुरक्षा कर्मी ने बताया कि चूंकि यहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं इसलिए सोचा गया कि क्यों न हिन्दी सीखकर उनसे हिन्दी में ही बात करके सारी जानकारी दी जाए।

उल्लेखनीय है कि यह उस देश का समाचार है जहां के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर काफी कट्टर माने जाते हैं और किसी विदेशी भाषा में बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।

3. दुभाषिए के रूप में कार्य करने के साथ ही राजनयिकों/डब्लू एच ओ, यूनेस्को समान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा निजी अनुवाद संस्थाओं के लिए अनुवादक के रूप में कार्य करने के लिए हिन्दी सहित विदेशी भाषाओं पर प्रभुत्व प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार की अच्छी संभावनाएं रहती हैं।

स्पष्ट है, हिन्दी में रोजगार कम नहीं हैं। कंप्यूटर पर क्लिक करते ही लाखों का आंकड़ा सामने आ जाता है। naukari.com समान कितनी ही वेबसाइट्स देश–विदेश में उपलब्ध रोजगारों की अद्यतन जानकारी मुहैया कराती रहती हैं। आवश्यकता है, 'परम श्रेष्ठता' (per-excellence) की। हिन्दी में स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ–साथ एकाधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान, अनुवाद पाठ्यक्रम, जर्नलिज्म, पटकथा–लेखन या एम बी ए जैसा कोई व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पुरातत्व/इतिहास के अध्ययन समान अतिरिक्त योग्यता और कंप्यूटर में महारत रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। हथौड़े के वार सहन कर सकने वाले पाषाण से मूर्ति तराशी जाती है, पीट–पीट कर तांबे की पतली तार बनती है और तपकर निकले सोने के आभूषण बनते हैं। अर्थात् जो जितना परिश्रम करेगा, जितनी अर्हता हासिल करेगा, उतना पाएगा। हिन्दी की उपाधि महज 'सेतु' है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैरों में शक्ति होनी चाहिए। मंजिल चलने से हासिल होती है, पुल पर खड़े रहकर आसन की और ताकते रहने से नहीं ......।

बाल किशन
वरिष्ठ अनुवादक
मुख्यालय कार्यालय

प्रवर्तन निदेशालय में सतर्कता प्रणाली

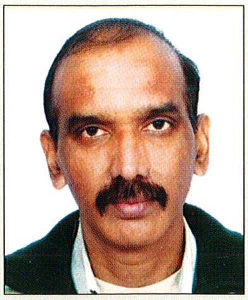

प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रवर्तन निदेशक इस निदेशालय के प्रमुख हैं। इसके अलावा निदेशालय के अन्य अधिकारी जैसे विशेष निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप–विधिक सलाहकार, उप–निदेशक, सहायक विधि सलाहकार, सहायक निदेशक, प्रवर्तन अधिकारी एवं सहायक प्रवर्तन अधिकारियों के अलावा लिपिकवर्गीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों की एकजुटता, सत्यनिष्ठा एवं कार्य हेतु लगन के लिए यह संगठन एक उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है।

निदेशालय के कार्मिकों की कुल संख्या 906 है। इतनी कम संख्या होने के बावजूद निदेशालय ने देश की प्रमुख जाँच एजेंसियों में अपना स्थान बनाया है। यह इस निदेशालय के कार्मिकों की अथक मेहनत व प्रयासों से ही संभव हुआ है।

इसी संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में निदेशालय की सतर्कता प्रणाली को भी नया रूप दिया गया है। सतर्कता तंत्र का विकेन्द्रीकरण किया गया है। जिसके तहत सतर्कता शक्तियाँ अलग–अलग क्षेत्रीय विशेष निदेशकों व संयुक्त निदेशकों को हस्तांतरित कर दी गई हैं। मुख्यालय सतर्कता अनुभाग, मुख्यालय में तैनात अधिकारियों की वार्षिक रिपोर्ट व अचल संपत्ति रिटर्न संबंधी कार्यों का निष्पादन करता है। मुख्यालय सतर्कता अनुभाग द्वारा निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी दी जाती है।

निदेशालय में प्रत्येक वर्ष सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जाती है।

मुख्यालय सतर्कता अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र एवं आदेशों को निदेशालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी व अनुपालन के प्रेषित करता है। निदेशालय की सतर्कता प्रणाली पूरी मुस्तैदी, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं गोपनीयता के साथ कार्यरत है।

धनश्याम
सहायक
मुख्यालय कार्यालय

ओड़िशा के पर्व

भारत के पूर्व में स्थित ओड़िशा राज्य अपने विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ–यात्रा के लिए विख्यात है। महाप्रभु जगन्नाथजी की रथ–यात्रा न केवल ओड़िशा वासियों के लिए भक्तिपूर्ण धार्मिक संस्कारों से जुड़ी मान्यता है, अपितु पूरे विश्व पटल पर एक अदभुत भक्तिमय छाप छोड़ चुकी है । इस दिन पूरे विश्व में रथ–यात्रा को बड़ी धूम–धाम से निकाला जाता है ।

ओड़िशा राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में अनोखा है कारण यहां साल के 12 महीनों में 13 त्योहार बड़े धूम–धाम से मनाए जाते हैं। प्रत्येक त्योहार विज्ञान, अध्यात्म, इतिहास, पौराणिकता आदि के आधार पर मनाए जाते हैं, अर्थात यहां हर पर्व एक अलग अंदाज में मनाया जाता है। धर्म, लोकगीत, परंपरा, कृषि और मौसमी विविधताओं से भरा ओड़िशा हर महीने एक अनोखा त्योहार मनाता है, जिससे आगंतुक और मूल निवासी सभी को खुशी मनाने का अवसर प्राप्त होता है।

प्रत्येक त्योहार के साथ जुड़ी कुछ विशेष मान्यताएं हैं। प्रत्येक माह में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों व पर्वों की जानकारी इस प्रकार है ।

- **जनवरी** – मकर संक्राति, पौष पूर्णिमा
- **फरवरी** – सरस्वती पूजा, माघ सप्तमी (चंद्रभागा बूड(स्नान))
- **मार्च** – दोल यात्रा (होली), शिव रात्रि
- **अप्रैल** – अशोकाष्टमी, महाविशुभ संक्राति, राम नवमी
- **मई** – अक्षय तृतीया ,चंदन यात्रा , सावित्री पूजा, चैत पर्व
- **जून** – शीतल शष्ठी, रज पर्व, स्नान यात्रा (देव स्नान पूर्णिमा)
- **जुलाई** – रथ यात्रा
- **अगस्त** – झूलन यात्रा, रक्षा बंधन, जन्माष्टमी
- **सितंबर** – गणेश पूजा, नुआखाई, महालया
- **अक्तूबर** – दुर्गा पूजा, कुमार पूर्णिमा, दीपावली (काली पूजा)
- **नवम्बर** – कार्तिक पूर्णिमा, बाली यात्रा, अँला नवमी
- **दिसंबर** – प्रथमाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत (माघ गुरूवार पूजा)

यहां केवल उन्ही त्योहारों एवं पर्वों के बारे में विस्तुत जानकारी दी जा रही है जो खासकर ओड़िशा राज्य के विभिन्न प्रांतों में मनाया जाता है ।

ढोल यात्रा अथवा होली

मार्च के महीने में मनाया जाने वाला यह त्योहार ओड़िशा में काफी प्रसिद्ध है। होली के दस दिन पहले यानी फाल्गुन माह की दशमी से ही भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, जो पूर्णिमा तक चलती है। राधा कृष्णा की मूर्तियों को छोटे–छोटे विमानों में सजाकर रखा जाता है और कंधे में उठाकर पूजा और दर्शन के लिए नगर परिक्रमा की जाती है ।

अशोकाष्टमी–

मंदिरों का शहर, भुवनेश्वर में अशोकाष्टमी के दिन प्रभु लिंगराज की रथ यात्रा का आयोजन होता है । इसे "रुकुणा रथ" – यात्रा भी कहते हैं, जो केवल भुबनेश्वर में मनाया जाता है । लिंगराज मंदिर से यह रथ रामेश्वर मंदिर तक का सफर तय करता है। रामेश्वर मंदिर को प्रभु लिंगराज का मौसी मंदिर माना जाता है। लाखों श्रद्धालुओं के बीच यह अनोखी रथ यात्रा भुबनेश्वर शहर में देखने लायक है।

पणा संक्राति – प्रतिवर्ष अप्रैल 14 को यह संक्राति मनायी जाती है। महाविशुभ संक्राति को ओड़िशा में पणा संक्राति कहते हैं। यह मूलतः ओड़िशा नव वर्ष है। बेल पणा अर्थात बेल से बना शरबत इस दिन देवी देवताओं को प्रसाद स्वरुप अर्पित किया जाता है। पणा संक्राति में "झामू यात्रा" का आयोजन किया जाता है । झामू यात्रा में मन्नत रखने वाले नारी/पुरूष अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं और जलते हुए अंगारों पर नंगे पाँव चलते हैं । यह दृश्य लोगों में भय और भक्ति क भाव जागृत करता है।

रज पर्व – ओड़िशा के लोग इस पौराणिक मान्यता पर विश्वास रखते हैं कि भूदेवी, भगवान विष्णु की पत्नी हैं और आषाढ़ मास में तीन दिन वह रजस्वला होती हैं । इन तीन दिनों के लिए राज्य में कृषि संबंधी सभी कार्यों को रोककर इस समय को "भरज" त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रज पर्व का पहला दिन "पहिली रजो कहा जाता है, यह मासिक धर्म के पहले दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन कुंवारी लडकियां धरती पर नंगा पांव नहीं रखतीं। दूसरा दिन भरज संक्रांति कहा जाता है, और तीसरा दिन बासी रज के नाम से हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन घर में मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें चावल के आटे से बना "पोड्पीठा" और "चकुली पीठा" अवश्य शामिल होता हैं । आषाढ़ मास के उन तीन दिनों के बाद, जब भूदेवी रजस्वला होती है, खेतों में बीज डाले जाते है ताकि नई पैदावार हो सके ।

चंदन यात्रा

पुरी की पवित्र भूमि जगन्नाथ धाम में चन्दन यात्रा का जश्न मनाता है, यह एक त्योहार है जो धार्मिक त्योहारों के चक्र के समापन का प्रतीक है । अक्षय तृतीया से शुरू होकर यह त्योहार 21 दिन तक होता है जिसमें श्रीमंदिर के सिंह द्वार से विशालकाय शोभायात्रा के रूप में महाप्रभु की यात्रा निकलती है और नगर परिक्रमा के उपरांत श्रीमंदिर के उत्तर दिशा में लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित नरेंद्र पुष्करिणी में जलक्रीड़ा संपन्न होती है। इस त्योहार का नाम बहुत प्रतीकात्मक है क्योंकि चंदन और पानी का पेस्ट इसका अविभाज्य घटक है । यही कारण है कि यह त्योहार वैशाख महीने की गर्मी में आयोजित किया जाता है, जिस समय गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है तब चंदन और पानी का लेप लोगों को शीतलता और शांति प्रदान करता है ।

देव स्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा –

ज्येष्ठ मास की शुक्लपक्ष की पूर्णिमा तिथि को पुरी धाम के श्रीमंदिर की रत्न बेदी से महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा सहित सुदर्शन और मदनमोहन आदि को पहणडी विजय कराकर श्री मंदिर के उत्तर पूर्व हिस्से में अवस्थित आनंद बजार में देवस्नान मंडप में लाया जाता है और 108 स्वर्ण कलश पवित्र जल से सभी देव विग्रहों को एक साधारण मानव की तरह मल–मल कर नहलाया जाता है । इस प्रक्रिया के कारण तीनों विग्रह 15 दिनों तक बीमार पड़ते हैं और ठीक होने के उपरांत विश्वप्रसिद्ध रथ–यात्रा का आयोजन किया जाता है और महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई–बहन के साथ अपनी मौसी के घर 9 दिनों के लिए जाते हैं तथा वापसी पर बाहुड़ा यात्रा आयोजित की जाती है। रथ यात्रा का अन्तर्निहित उद्देश्य यह है की सभी धर्म और जाति के लोग इस यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन कर सकें।

नुआखाई पर्व –

नुआखाई या नबान्न ओड़िशा में मनाया जाने वाला एक कृषि पर आधारित त्योहार है। यह पश्चिमी ओड़िशा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो फसलों की उपज की खुशी में भद्रशुक्ल मास की षष्ठी को मनाया जाता है।

स्थानीय भाषा में ''नुआखाई'' या ''नुआखाई पर्व'' या ''नुआखाई भेटघाट'' कहलाने वाले इस त्योहार का नाम नई फसल के उपज से जुड़ा हुआ है । नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन । यह स्थानीय कृषक समुदाय के लिए नई आशाओं का त्योहार है और ओड़िशा के संबलपुर, बलांगीर, सोनपुर, बौउद, कालाहांडी, बरगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुडा तथा नुआपाड़ा जिलों में हर्षोउल्लास के साथ मनाया जाता है।

दुर्गा पूजा और काली पूजा –

सितंबर से अक्टूबर माह के बीच यह उत्सव मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पूजा के दौरान खासतौर से विजया दशमी के दिन कटक शहर आकर्षण का केंद्र होता है। बड़े–बड़ें पंडाल लगते हैं और मेला लगता है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी नये–नये वस्त्र धारण करते हैं और मेलों का दौरा करके आनंद पाते हैं। दशहरे के आखिरी दिन काठजोड़ी नदी में मूर्ति विर्सजन की प्रक्रिया में भक्त काफी उत्साह से आनंद लेते हैं । अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूर्णिमा के अवसर पर दुर्गा पूजा की जाती है।

दुर्गा पूजा की ही तरह पूरे राज्य में कार्तिक अमावस को काली पूजा भी की जाती है। भद्रक और कटक में तो हर नुक्कड़ और कोने में काली पूजा की जाती है। इन उत्सवों के दौरान संपूर्ण ओड़िशा में भक्तिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है ।

बाली यात्रा

नवंबर महीने में कार्तिक महीने की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है । यह उत्सव ओड़िशा के साथ बाली और सुमात्रा द्वीपों की गौरवपूर्ण व्यापारिक इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें कटक में महानदी के किनारे ओड़िशा के व्यापारी समुदाय के लोग इस उत्सव को पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। बाली यात्रा 10 से 12 दिनों का होता है, जिसमें ओडिशा की हस्तनिर्मित कलाकृतियां बेची जाती हैं ।

आशीष कुमार पति
सहायक निदेशक
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, भुबनेश्वर

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 145 वीं जयंती पर द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय स्तरीय अभियान है। उन्होंने राजपथ से जनसमुह को सम्बोधित करते हुए इस अभियान को सफल बनाने की अपील की।

इस अभियान को पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 तक की अवधि निश्चित की गई है, जिस पर 2 लाख करोड़ रूपये खर्च करने का अनुमान है । इस अभियान को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने हर भारतीय से एक सप्ताह में 2 घंटे तथा एक साल में 100 घंटे सफाई पर देने के लिए निवेदन किया है ।

इस मिशन की सफलता परोक्ष रूप से भारत में व्यापार के लिए निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने, जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए, दुनिया भर से पर्यटकों का ध्यान खींचने, रोजगार के स्त्रोंतो में विविधता लाने के लिए, स्वास्थ्य लागत को कम करने, मृत्यु दर को कम करने और घातक बीमारी की दर कम करने और भी कई चीजों में सहायक होंगी।

इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना है, जिसके कारण संक्रामक रोग फैलते हैं। इसके अतिरिक्त 'सिर पर मैला ढोने' की प्रथा को समाप्त करना है। ये ऐसी प्रथा है, जो मानव गरिमा को गिराती है । इसके साथ ही इसका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और शहरी ठोस कचरे का निपटान करना भी है ।

सरकार इसमें निजी क्षेत्र सहभागिता द्वारा वित्तीय योगदान में बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, इस परियोजना की गम्भीरता को ध्यान में रखकर सरकार ने 'स्वच्छ भारत सेस' की घोषणा की है। इस अभियान की शुरूआत के दिन केन्द्र सरकार ने कला, खेल और साहित्य से जुड़ी 9 हस्तियों को नामित किया, जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढ़ाये। सरकार ने उन नौ नामित लोगों से आग्रह किया कि वो अपनी तरफ से नौ–नौ व्यक्ति चुने जो इस अभियान में पूरी इच्छाशक्ति से भाग लें और इस तरह एक पूरी मानव श्रृंखला का निर्माण हो, जिससे देश के हर कोने में हर भारतीय शामिल हो और इसे राष्ट्रमिशन के रूप में आगे बढ़ाये।

साफ–सफाई एक आदत है इसे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। इस सम्बंध में बदलाव बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर किया जा सकता है। हमें ये सपना 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरा करना होगा, तभी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।

अंकित गुप्ता
सहायक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

राष्ट्रीय भावना

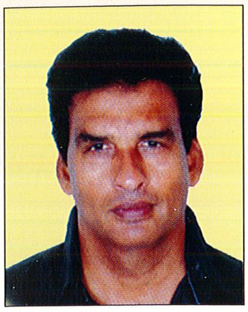

हमारे हृदय में राष्ट्रीय भावना का उद्वेग सबसे ज्यादा तब होता है जब राष्ट्र के सामने कोई संकट जैसे युद्ध, आतंकवादी हमला, बाढ़ या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा या फिर कोई भयानक बीमारी फैल जाये। कुछ क्षणिक उद्वेग राष्ट्रीय उत्सव अर्थात् पन्द्रह अगस्त या छब्बीस जनवरी के दिन होता है जब वातावरण में देशभक्ति के गाने गूंजने लगते हैं। इस एक दिवसीय देशभक्ति का अवसर वर्ष में केवल दो बार ही आता है।

राष्ट्रीय भावना के प्रति हमारे मन में जाने–अनजाने कई भ्रान्तियाँ बड़ी गहराई से घर कर गई हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ठीक से समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया । यद्यपि इस उपेक्षा के दुष्परिणाम हमें दैनिक जीवन में रोज भोगने पड़ते हैं जैसे– गंदगी, मच्छर, पानी की कमी, तापमान में वृद्धि, वायु प्रदूषण, बाढ़ आदि परन्तु हम इसके कारणों पर तनिक भी विचार नहीं करते। देशभक्ति का नाम आते ही हमारे मानस पटल पर या तो युद्ध में लड़ रहे किसी सैनिक का चित्र उभर आता है या फिर क्रान्तिकारियों के बलिदान की गाथा। हमारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि देश के प्रत्येक नागरिक चाहे व स्त्री हो या पुरूष, युवा हो या बच्चा या वृद्ध हो, सभी का देश के प्रति एक कर्त्तव्य है, एक उत्तरदायित्व है। देश की प्रगति व खुशहाली के लिए जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है। यह कर्त्तव्य का निर्वहन तभी हो सकता है जब हम देश–हित को ध्यान में रखकर अपने–अपने कार्यों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें।

हमारी यह सहज मानसिकता होती है कि हमारे अकेले करने से देश में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं । जब हम घर का कूड़ा–कचरा सड़क पर फैंकतें है तो यही तर्क हमारे मन में रहता है कि हमारे अकेले का थोड़ा सा कूड़ा–कचरा देने से क्या फर्क पड़ेगा?

देश की प्रगति कौन नहीं चाहता, परन्तु इसके लिए आवश्यकता है स्वार्थ का त्याग करने की हिम्मत जिसको बहुत कम लोग ही जुटा पाते है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वयं के जीवन में अन्य लोगों के योगदान का सही–सही आकलन करें। यह जीवन सह–अस्तित्व पर निर्भर है, इसमें देश, समाज, परिवार आदि सभी का महत्तवपूर्ण योगदान है। यह समझने के उपरान्त ही हम में ऋणी का भाव उत्पन्न होगा और देश सेवा की इच्छा जागृत होगी।

हम शान्त चित होकर यदि विचार करें तो पायेंगे कि वास्तव में "सरकारी धन" और कुछ नहीं बल्कि देशवासियों के द्वारा अपनी गाढ़ी व ईमानदारी से की गई कमाई का वह हिस्सा है जो कर के रूप में चुकाया गया है। इसका उपयोग केवल और केवल जनता के हित के लिए किया जाना चाहिए। यदि इसका दुरूपयोग कोई करता है चाहे वह राजनीतिज्ञ हो, सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी ठेकेदार या व्यापारी हो, उसे इसकी कीमत कभी न कभी, किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ेगी। यह प्रकृति का नियम है और अकाट्य है। हम मनुष्य के बनाये नियमों से तो अपनी चालाकी के बल पर बच सकते हैं, परन्तु विधाता के नियमों से बचना किसी भी तरह सम्भव नहीं ।

आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय भावना के अभाव की है। यदि राष्ट्र–हित का भाव हम में जागृत हो जाये तो शेष सभी समस्याएं स्वयं में ही हल हो जाएगी। इसके लिए स्वार्थ–प्रेरित कामनाओं का त्याग कर राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर सबको अपना–अपना कर्म पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना होगा। राष्ट्रीयता की उमंग केवल चन्द अवसरों पर ही नहीं बल्कि सतत् हमारे हृदय से उठनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम ही जीवन को सुन्दर बनाने का एक प्रयासी साधन है।

राकेश चन्द्रा शर्मा
वरिष्ठ अनुवादक
आचंलिक कार्यालय, चेन्नई

असफलता के कारण हटें तो सफलता मिले

वास्तव में असफल लोग ही सफल होते हैं या यूँ कहें कि वही सफलता को प्राप्त करते हैं। ये मैं नहीं हमारे बड़ें–बुजुर्गों का भी मानना है। आजकल के अधिकांश व्यक्ति असफलता को अपना भाग्य समझकर सफलता को कहीं दूर छोड़ देते हैं। अगर वे इसे समझे और इसके कारण को ढूँढ़कर इसे सकारात्मक सोच के साथ दूर करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तभी होते हैं, जब हम अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ते हैं और अपनी उन कमियों के विरूद्ध मजबूती से खड़े होते हैं, जिन्हें हम अभी तक जान–बूझकर या अनजाने में करते आए हैं।

जीवन में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, विकास करना चाहता है, किंतु यह सकारात्मक परिवर्तन तभी संभव हो पाता है, जब हम अपनी आराम पसंद जिंदगी से बाहर निकलें और संघर्ष करें– अपनी उन कमियों के विरूद्ध, जो हमारे मार्ग में बाधक हैं।

ऐसा क्यों होता है कि सफलता की कामना करने वाले सभी व्यक्ति को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती यदि हम ईमानदारी से अपनी असफलताओं का मूल्यांकन करें तो शायद हमें भी इसका उत्तर मिल सके, किंतु ऐसे कितने लोग हैं, जो यह करते हैं या करना चाहते है। अधिकतर लोग सफलता की कामना तो करते हैं, किंतु उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहते। ऐसे लोग पाना तो सब कुछ चाहते हैं किंतु छोड़ना कुछ नहीं चाहते, विशेषकर अपनी आराम पसंद जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते हैं।

हमारी सफलता के मार्ग में मुख्यतया दो तरह की बाधाएँ होती हैं– एक आंतरिक व दूसरी बाहरी। बाहरी परिस्थितियों की तुलना में आंतरिक बाधाओं का महत्व अधिक है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। कुछ हद तक ही हम इन्हें नियंत्रित कर पाते हैं, जबकि इनका दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। यह ऐसा पक्ष है, जिस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण संभव है। प्रायः इसी पर हमारी सफलता अथवा असफलता निर्भर करती है। सच तो यह है कि हमारी सफलताओं में सबसे बड़ी बाधा हमारी आंतरिक दुर्बलताएँ होती हैं, जो हमें अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। जीवन में प्रायः वे ही लोग असफल होते हैं, जो अपनी दुर्बलताओं के आगे घुटने टेक देते हैं, जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, उसे चुकाए बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती। संभव है कि भाग्यवश कुछ मिल जाए, किंतु ऐसी सफलता से न तो मन हर्षित होता है और न ही आत्मिक संतोष मिलता है।

सफलता के मार्ग में बहुत–सी बाधाएँ होती हैं, जिनको जानना, समझना, स्वीकारना और उन्हें दूर करना आवश्यक होता है। अधिकतर लोग अपनी असफलता को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। उनके सारे प्रयत्न उस असफलता के साथ ही रूक जाते हैं। वे अपनी असफलता से बहुत अधिक निराश व हताश हो जाते हैं और इस निराशा व हताशा से जन्म होता है – नकारात्मकता का।

ऐसी दशा में व्यक्ति प्रायः अपनी असफलता के बारे में व उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोच–सोचकर, अपने आप को और भी अधिक दुर्बल बना लेता है। इनमें से अधिकतर वे होते हैं, जो इसलिए अपनी असफलता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक संघर्ष नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उनके थोड़े–बहुत प्रयत्नों से ही उन्हें मनचाही सफलता मिल जाए और यदि ऐसा नहीं होता तो वे इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी ओर वे लोग होते हैं, जो अपना प्रयत्न तो जारी

रखते हैं, किंतु उनकी दिशा सही नहीं होती। सफलता तो तभी मिलेगी, जब प्रयास सही दिशा में हो।

व्युतक्रम का सिद्धांत एक गणितीय सिद्धांत है, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर जीवन को सफल बना सकते हैं। यह सुनने मे शायद थोड़ा अजीब लगे, किंतु इसके परिणाम बड़े ही सकारात्मक हैं। क्योंकि जब हम विफलता पर चिंतन कर स्वयं में सुधार लाते हैं, तब हम सफलता का वरण करते हैं। व्युतक्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल जैकोबी ने किया था। उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था से हर विषय पर अपनी गहरी पकड़ बना ली थी, लेकिन किशोरवय तक पहुँचते–पहुँचते उन्होंने अपना सारा ध्यान गणित पर केंद्रित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 25 वर्ष की आयु में वे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पहुँच गए। उन्होंने गणित की एक ऐसी विधि पर प्रमुखता से काम किया, जो हमारे दैनिक जीवन की कठिन–से–कठिन समस्याओं के समाधान की राह सुझा सकती है।

गणित की उस विधि का नाम है– व्युत्क्रमण। इसे अँग्रेजी में इन्वर्शन कहते हैं। हमारे जीवन की कठिनाइयों के निवारण में इन्वर्शन का सिद्धांत कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए हमें अपनी किसी ऐसी बात के बारे में सोचना हैं, जिसके होने की हमने चाह की थी, लेकिन वह नहीं हो पाई। फिर उन कारणों की खोज करनी है, जिनकी वजह से हम अपने अभीष्ट से वंचित रह गए थे। यदि हम ईमानदारी से ऐसा करें तो हमें अवश्य ही वह मूल कारण मिल जाएगा, जिसके कारण असफलता मिली थी। कारण जो भी हो हमें उस जानना, समझना और स्वीकारना होगा। जब जिस कारण से हमें असफलता मिली, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और कारण का निवारण करना होगा।

हमारी असफलताओं के पीछे प्रायः हमारे व्यक्तित्व की कोई–न–कोई कमी अवश्य होती है, जिसके विरूद्ध हमें संघर्ष करना है और उसे दूर करना है क्योंकि हम तभी सफल होते हैं, जब हम असफलताओं के कारणों का निदान कर लेते हैं। व्युत्क्रम का सिद्धांत यही बताता है कि समस्या का निदान उसके कारणों में है। जब कारण दूर हो जाएँगे तो समस्याएँ अपने आप ही हट जाएँगी और यह तभी संभव है, जब हम अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़ें और अपनी उन कमियों के विरूद्ध मजबूती से खड़े हों।

यह कार्य कठिन अवश्य हैं, किंतु इसी में सफलता का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हम तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक हम असफलता के कारणों का निदान नहीं कर देते और इसके लिए हमें अनुकूलताओं को छोड़, अपनी उन कर्मियों के विरूद्ध संघर्ष करना होगा, जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। असफलताओं के कारण हटने पर ही सफलता मिलती है।

कौशल कुमार
आशुलिपिक–।।
क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद

ओलंपिक खेल और भारत

मानवता का विकास हजारों वर्षों पूर्व माना गया है। समय के साथ–साथ मनुष्य ने निरंतर अपने आप को परिवर्तित किया है। आदिमानव से लेकर आधुनिक परिष्कृत मानव तक के सफर में मनुष्य ने अपना बौद्धिक विकास एवं सामाजिक उत्थान किया है। उन्नति एवं विकास के इसी दौर में एक महत्तवपूर्ण कला को विकसित किया गया ।इसे नाम दिया गया है 'खेल' वैसे तो सारे विश्व में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित किए जाते है परन्तु उन सभी में 'ओलंपिक खेल' एक महत्तवपूर्ण विश्वव्यापी प्रतियोगिता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी भाग लेते हैं ।

ओलम्पिक खेलों के उद्‌गम के बारे में इतिहासकारों के सभी मत एक निश्चित बिंदु को रेखांकित करते है अगर गहराई से इतिहास का अध्ययन करें तो एकमात्र देश यूनान को ओलम्पिक का जन्मदाता माना जाता है। इसी यूनान से प्राचीन व नवीन श्रेणी के ओलम्पिक खेलों की शुरूआत हुई जिसे बाद में सम्पूर्ण विश्व में पहचान मिली ।

प्राचीन ओलम्पिक की शुरूआत

ऐसा माना जाता है कि आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया से 2000–1500 ई. पू0 पश्चिम की ओर गई तथा यूनान के मैदानी भागों में जाकर बस गए। ये यूनानी आर्य भारतीय आर्यों के समान ही प्राकृतिक देवता की पूजा करते थे तथा इनकी मूर्तियां तथा मंदिर बनाते थे। इन यूनानी आर्यों की धारणा थी कि ओलम्पिक पर्वत देवताओं का निवास स्थल है। इनके देवताओं का प्रधान ज्यूस (भारतीय इन्द्र) माना जाता था। एक कथा के अनुसार ज्यूस देवता ने कोनोस देवता पर विजय पायी थी। इसी विजय की स्मृति में तथा ज्यूस देवता के सम्मान में ओलम्पिक नगर में खेल व मेले का आयोजन का प्रारम्भ हुआ।

यूनानी आर्य अपने समय की गिनती इन्ही खेलों से करते थे जो प्रति चार वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। चूंकि प्रथम ओलम्पिक वर्ष का अभिलेख 776 ई.पू0 का मिलता है। अतः यह माना जाता है ओलम्पिक खेलों की शुरूआत इसी समय से हुई।

ओलम्पिक खेलों की प्रथम प्रतियोगिता 200 गज की दौड़ थी जिसे कोरोबस नामक रसोइये ने जीता था। इन ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति नंगे खेला करते थे। इसलिए उस समय महिलाओं का भाग लेना वर्जित था। ओलम्पिक चैंपियन को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था तथा उसकी कीर्ति पूरे यूनान में फैल जाती थी।

प्राचीन ओलम्पिक खेलों का अन्तः

394 ई. में रोम के ईसाई सम्राट थियोडोसिस प्रथम ने यूनान पर कब्जा कर लिया तथा ओलम्पिक खेलों को इसलिए बन्द करवा दिया कि उसके अनुसार ओलम्पिक खेल एक प्रकार की मूर्ति–पूजा है। रोमनों का यूनान पर कब्जा होने के बाद इन्होंने न केवल खेल–मेलों का आयोजन बन्द करवाया अपितु ओलम्पिया नगर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। मूर्तियों– मन्दिरों को तोड़ दिया तथा स्टेडियम व अन्य इमारतों को नष्ट करवा दिया। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि ने रही–सही कसर पूरी कर दी। सम्पूर्ण ओलम्पिया नगर वीरान व खण्डहर में तब्दील हो गया और सदियां गुजर गई।

आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआतः

जर्मनी के यूवेताओं ने प्राचीन ओलम्पिया नगर

को खोद निकाला तथा इस प्राचीन स्टेडियम का एक हिस्सा को खोद निकाला जिस पर कभी प्राचीन ओलम्पिक खेल मेलों का आयोजन होता था। उसी समय फ्रांस की जर्मनी के हाथों बुरी तरह पराजय हुई। फ्रांस के सम्राट ने इस पराजय के लिए एक कमेटी बिठाई जिससे हार के कारणों को पता लग सके। इस कमेटी का अध्यक्ष पियरे–द–कुबर्तिन था। उसने जाँच के दौरान कई देशों का भ्रमण किया और निष्कर्ष निकला कि हमारे देश में शारीरिक शिक्षा व व्यायाम पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने उस खोदे गए प्राचीन ओलम्पिया नगर के स्टेडियम को भी देखा और उसके मन में इस खेल आयोजन को पुनःजाग्रत करने की तीव्र भावना उठी। अपने इस प्रस्ताव को उसने लगभग सभी बड़े व शक्तिशाली देशों के सामने रखा और अन्ततः उनके अथक प्रयास को सफलता मिली और प्राचीन ओलम्पिक खेलो के 1300 वर्ष बाद 6 अप्रैल 1896 को यूनान के ही एथेंस नगर में ओलम्पिक खेलों की पुनः शुरूआत हुई। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पियरे–द–कुबर्तिन को माना जाता है।

प्रथम ओलम्पिक 1896 के बाद से प्रति चार वर्ष बाद ओलम्पिक खेल होते रहे परन्तु 1916 का ओलम्पिक प्रथम विश्व–युद्ध तथा 1940, 1944 ओलम्पिक द्वितीय विश्व–युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सका ।

महिलाओं का ओलम्पिक में प्रवेशः

प्राचीन ओलम्पिक खेलों में महिलाओं का भाग लेना वर्जित था। बल्कि उन खेलों को देखना भी मना था। क्योंकि उस समय भाग लेने वाले खिलाड़ी नंगे होकर खेलते थे। लेकिन बाद में महिलाओं के लिए अलग–अलग प्रतिस्पर्धा, आयोजित की गई । इन खेल प्रतियोगिताओं को हेरिया के नाम से जाना जाता था। वास्तव में हेरिया शब्द 'हेर' से निकला है। 'हेर' ज्यूल देवता की पत्नी थी। 1908 ई. के बाद नियमित रूप से महिलाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रवेशः

ओलम्पिक खेलों में भारत का उल्लेख 1900 में मिलता है। परन्तु अधिकारिक रूप से भारत ने 1920 में ओलम्पिक प्रतियोगिता में भाग लिया । यद्यपि हम कोई पदक नहीं जीत सके। भारत को प्रथम ओलम्पिक पदक (स्वर्ण पदक) सन् 1928 में प्राप्त हुआ जब भारतीय हॉकी का विश्व में डंका बजता था।

ओलम्पिक खेलों में भारतः

भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता उसके बाद निरन्तर 1928–1956 के बीच पाँच स्वर्ण पदक जीते। पुनः 1964 तथा 1980 में हॉकी में स्वर्ण तथा 1968 में कास्य पदक जीता।

ओलम्पिक खेलों में भारत का रिकार्डः

- लगातार हॉकी का पाँच स्वर्ण पदक
- 1928 तथा 1956 में बिना एक भी गोल खाए हॉकी में स्वर्ण पदक
- 1932 के लॉस एंजिल्स ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम ने अमेरिकी हॉकी टीम को सर्वाधिक गोल अन्तर 24–1 से हराया।
- सन् 2012 के ओलम्पिक खेलों में भारत ने 5 पदक जीते जिनमें 4 कांस्य व एक सिल्वर मेडल था।
- सन् 2016 में महिलाओं ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करते हुए 2 पदक जीते। पी.वी.

संधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता तथा हरियाणा की साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसके अलावा दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुछ अंको से कांस्य पदक गवां दिया ।

ओलम्पिक ध्वज : नीला लाल काला पूरे विश्व में ओलम्पिक खेल एकजुटता व विश्व शांति का संदेश देते है। इसी की पहल करते हुए एक ओलम्पिक ध्वज का विकास किया गया ।

* ये पाँचों छल्ले पाँच महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं।

* विभिन्न रंग प्रत्येक राष्ट्र के ध्वज के रंगो का प्रतिनिधित्व करते है ।

मोटो (Motto) :– सीटीएस, एलिटिएस, फोर्टटिएस

(citius), (Altius), (Fortius)

ओलम्पिक खेलों को भारत में चुनौतियाँ :–

भारत शुरू से ही ओलम्पिक खेलों में भाग लेता आया है। परन्तु एक विशाल राष्ट्र के अनुपात में इसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। सन् 1928–1956 के दौर को छोड़कर काफी अरसे के बाद हम 2008 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने में सफल रहे। हाल के ओलम्पिक खेलों में 100 से ऊपर की संख्या में खिलाड़ी भारत से ओलम्पिक में खेले थे लेकिन मात्र 2 पदक ही प्राप्त कर सकें। आगे भविष्य में आशा करते है कि हमारा देश आने वाले ओलम्पिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा ।

प्रवीन कुमार शर्मा
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

असली मालिक

छोटी सी सरकारी नौकरी में क्या होता है। दो बच्चों को पालने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा आदमी मेट्रो सिटी में रहते हुए ऊंचे ख्वाब देख सकता है भला। पर चलो, मेरे सिर पर छत तो है। साठ साल का होने तक मुझे कौन हिला सकता है। रिटायरमेंट के बाद ही सोचूंगा ।

"साब। उतरना नहीं क्या आज आपका स्टॉप आ गया है।" कंडक्टर ने उसे झंझोड़ा तो उसके विचारों की गाड़ी को ब्रेक लगा । वह सीट से उठा और बस से नीचे उतर गया । मरे कदमों से घर की और चल पड़ा । विचारों की रेल पुनः गति पकड़ने लगी ।

आज फिर सुननी पड़ेगी उसकी चपर चपर । पता नहीं क्या हो गया है उसे अच्छी भली दाल–रोटी खा रहे थे । भौतिक सुखों की चाहना करके आदमी कहां खुश रह सका है । इस चाहना का पेट बहुत बड़ा है जितना भरो उतना खाली का खाली । सबको सब कुछ चाहिए । मोबाइल, कम्प्यूटर , कार, अच्छे पकवान, ब्रांडेड कपड़े और बड़ा सा घर । हां बड़ा सा घर, हां बड़ा सा घर । कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी है, एक फ्लैट ले लो। गोया, फ्लैट न हो गया चने–मुरमुरे का कोन हो गया, झट से खरीदा और खट से लगे चबाने । इतना भी नहीं जानती कि घर बनाना आज इतना भी आसान नहीं । अव्वल तो अपने पास इतना पैसा है नहीं कि एकमुश्त दे पाऊं और दूसरे, यदि कर्ज लूं तो सारी जिन्दगी उतारता रहूं । किसी ने खूब कहा कि मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं । मेरी बीबी को, बस घर खरीदने का शौक है इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं कमाती । हां, वो तो चाहती है काम करना पर मैं ही नहीं चाहता । मैं नहीं चाहता कि बन ठन कर दफ्तर जाए और बच्चे पीछे रूलते रहें । न भई, मुझे नहीं करानी नौकरी ।

सोचते – सोचते वह घर आ गया। उसने डोर बैल बजाई । बच्चे ही खोलेंगे रोज की तरह, वह तो उलझी होगी कहीं। दरवाजा खुल गया और आरती एक तरफ हट गई । आशा के विपरीत पत्नी को दरवाजे पर देख वह सकपका गया फिर उसे देख मुस्कराया ।

घर में चरपरी महक सूंघते हुए उसने पूछा – कोई आया था क्या

"और कौन आएगा" वही तुम्हारा दोस्त अमित आया था । यही निमन्त्रण पत्र अपार्टमेन्ट की लांचिग पार्टी का है । उसी के लिए आलू–प्याज की पकौड़ियां बनाई थीं, अभी थोड़ी देर पहले ही गया है चाय पीकर । कह रहा था कि संजीव आए तो फोन करवा देना । "

ओह तो अमित आया था । देना जरा कार्ड ।

लो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ये अमित इतना अमीर तो नहीं था पर आज उसके ठाठ–बाट देखते ही बन रहे थे, गले में सोने की मोटी चेन, उंगलियों में हीरे की अंगूठियां, कलाई में ब्रेसलेट और सुनहरी घड़ी चमचमा रही थी, गाड़ी भी बड़ी थी । क्या करता है आजकल, तुम कुछ बता रहे थे कि इसकी नौकरी छूट गई थी । आजकल तो इसके ठाठ है। तुम इसके साथ के वहीं के वहीं रहे। साल में दो चार सौ रूपए वेतनवृद्धि फटीचर सा बोनस और वही सीट, कोई तरक्की नहीं । कितने सालों से वहीं के वहीं रहे । तुम्हारी मुठ्टी भर तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया है । बच्चों की बढ़ती फीस, आलू प्याज के बढ़ते दाम, दालों की आसमान छूती कीमतें, उस पर हर

माह गांव भेजा जाने वाला मनीआर्डर । इस छोटे से सरकारी फ्लैट में अब दम घुटता है । क्यों न हम कहीं--- वह कह ही रही थी कि संजीव चीख उठा – शटअप । चुप हो जा । जब देखो तब ताने। यह नहीं कि थका–मांदा पति घर आया है, उसे कुछ खाने–पीने को दे, उल्टा मेरा दिमाग चाट रही है। कमाता तो हूँ, निठल्ला तो नहीं बैठा जितना भाग्य में लिखा है, उतना मिल रहा है न तुझे । तू क्या जाने, रूपया कमाना कितना मुश्किल है । पसीना बहाना पड़ता है बातें सुननी पड़ती हैं, अफसरों की गालियां भी सहनी पड़ती हैं । जिस अमित की तू बात कर रही है वह आजकल डीलर है। पहले नौकरी छूटने के बाद प्रोपर्टी डीलर के यहां काम करता था। अब उन्हीं का सब–डीलर बन गया है। अब बड़ी–बड़ी इमारतें खरीदता–बेचता है, कंक्रीट का कारोबार करता है । पत्थर का कारोबार करते–करते खुद भी पत्थर हो गया है । पत्नी के साथ बैठने की फुर्सत नहीं, बच्चों के साथ बात किए हफ्तों बीत जाते हैं । रोड़पति से करोड़पति जरूर हो गया पर इसके एवज में बहुत कुछ खो दिया है । बाहर इधर–उधर मुहँ मारता फिरता है, बीबी को क्लबों से फुर्सत नहीं, बच्चे अलग अपनी दुनिया में मस्त हैं । तू क्या चाहती है, मैं भी नौकरी छोड़कर पत्थरों का धंधा करूं । काटता है तुझे सरकारी फ्लैट अरे उनसे पूछ जिन्हें छत नसीब नहीं ।

कहते–कहते वह हाफ गया, उसका चेहरा लाल हो गया। पति के तमतमाए चेहरे को देख आरती दो मिनट खामोश रही फिर अपनी आवाज दबाती हुई बोली– इसमें इतना उत्तेजित होने वाली क्या बात है मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, कहकर वह किचन में चली गई।

वह पूरे घर में दृष्टि घुमाने लगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं कि घर बदला जाए। अरे, घर तो घरवालों से बनता है। क्या कमी है इस घर में। किराये का है, बस इतना ही। सेवानिवृत्ति के बाद ले लेंगे कहीं दो कमरों का फ्लैट। ऐसी भी क्या मारामारी। ये तो बेवकूफ औरत है, इतना भी नहीं समझती कि मेरे बाप–दादा कोई जमीन जायदाद नहीं छोड़ गए। गांव में मां और दद्दा को भी कुछ भेजना पड़ता है, खेती–बाड़ी में इतना कहां बचता है, फिर प्रियांशा का ब्याह भी सिर पर है। अरे, फ्लैट कोई यूं ही मिल जाता है। लाखों रूपए चाहिए इसके लिए, लाखों।

लो, ठंडा पानी पियो तब तक मैं चाय–पकोड़ी लाती हूँ। बस तैयार समझो। मक्खनी आवाज में आरती बोली।

चाय पीकर वह अमित को फोन करने लगा। उसके बाद उसने आरती को आवाज दी– सुनो। इतवार को पार्टी पर चलना है, बच्चों को घर पर छोड़ जाएंगे, फिर डिनर करके जल्दी लौट आएंगे।

आरती के बदन में फुरफुरी दौड़ गई। आखिर वह भी देखेगी, बड़े लोगों की हाई–फाई पार्टी कैसी होती है। काम करते–करते आगामी रविवार को पहनी जाने वाली साड़ी और ज्वैलरी को मन ही मन तय करने लगी।

अगले दो दिन बहुत उत्साह में बीते।

रविवार का दिन भी आ पहुंचा। शाम को ठीक साढ़े सात बजे अमित उन्हें लेने आ पहुंचा। वे दोनों उसमें बैठ गए। वह पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर ऊंची–ऊंची इमारतें देखने लगी। संजीव और अमित इधर–उधर की बातों में मशगूल थे। पंद्रह–बीस मिनट बाद कार दिल्ली की सीमा छोड़ एन0सी0आर0 में प्रविष्ट हो चुकी थी।

एन0सी0आर0 भी कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। प्रापर्टी के दामों में आग लगी है। वह सोच रही थी।

लगभग पंद्रह मिनट बाद जंगलों को पीछे छोड़ती

कार एक गांव के मुहाने पर आकर रूकी।

यहां इतनी सुनसान में बनेगी अपार्टमेन्ट उसने विस्मय से इधर–उधर दृष्टि घुमाई।

एक–से–बढ़कर एक बेशकीमती कारों के बीच थोड़ी सी जगह में अमित ने अपनी कार पार्क कर दी। वे तीनों कार से उतर कर आगे बढ़े। सड़क के दूसरी और सामने बड़ा सा शामियाना लगा था। वहीं था अपार्टमेन्ट का प्रवेश द्वार। वहां दो खूबसूरत लड़कियों ने नजाकत और नफासत से उनका स्वागत किया। फिर एक आकर्षक लिफाफे में अपार्टमेन्ट का ब्रोशर मॉडल बना हुआ था और बाएं हाथ पर प्रस्तावित मल्टीप्लेक्स का मॉडल लुभा रहा था। अमित उन्हें बड़े उत्साह से सैंपल फ्लैट में ले गया। भीतर सभी वस्तुएं वैभवता की कहानी कह रही थीं। वह मन मसोस कर रह गई और अनायास अपने जीवन स्तर की तुलना यहां के जीवन स्तर से करने लगी।

भाभी जी। यहां फ्लैट बुक करना बड़ा आसान है। सिर्फ साठ हजार बुकिंग के समय दो और बाकी आसान किस्तों में। दूसरी बात, बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। आज अपना घर खरीदना काफी आसान हो गया है। हम बिल्डर अपने बिना छत के 'भाई लोगों को छत दे रहे हैं, इससे बड़ी समाजसेवा और क्या होगी। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को हासिल करना हर आदमी का हक है । सफलता के नशे में झूमता अमित आरती की ओर देखते हुए बोला ।

यार। ये तो काफी महंगा होगा। क्या इससे कम में नहीं है यानी दो बेडरूम का फ्लैट संजीव ने टटोला।

क्या यार छोटी बात करता है। तुम सरकारी बाबू ऊंचे सपने नहीं देखते।

यहाँ दो–तीन कमरों का फ्लैट नहीं है, वो हमने दूसरी अपार्टमेन्ट में दिया था पर वहां भी दो कमरों वाला फ्लैट नहीं । इस अपार्टमेन्ट में सिर्फ चार बेडरूम वाले फ्लैट हैं, विला, पैंटहाऊस हैं । पैंटहाऊस । यू नो छत भी अपनी । लगभग सवा करोड़ का पड़ेगा । सबसे बड़ा सुख इसी अपार्टमेन्ट की बगल में मॉल और सिनेमाहॉल का मजा लिया जा सकता है। अपार्टमेन्ट में स्वीमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, क्लब, डिस्पैंसरी और भी बहुत कुछ । दिस इज अ हैवन । अमित इतराया ।

"भाई साब । अंदर तो स्वर्ग है पर बाहर सड़क के दूसरी ओर गांव है । बाहर बड़ी गाड़ियों की भीड़ है पर सामने दुकानें और ढाबे हैं, वहां गरीब लोग बसते हैं । क्या इससे अपार्टमेन्ट में रहने वालों पर असर नहीं पड़ेगा। आरती ने सवाल दागा ।"

"भाभी जी । आप बहुत भोली हैं, कंक्रीट के व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानती । ये सामने गरीब लोग नहीं है, ये सब अमीर गांव वाले हैं जिनकी जमीनें हमने ऊंचे दामों में इनसे खरीदी हैं, इससे पहले इन्हें कौन पूछता था। आज ये लोग मालामाल हो गए हैं । आज के समय में खेती को कौन पूछता है । आज तो पत्थरों की फसल उगाओ और नोटों की बोरियां भर लो ।

एक बात और, आपकी शंका निराधार है। जब चारदीवारी के भीतर एक जैसी सोच वाली पढ़ी–लिखी जैन्ट्री होगी तो उन्हें बाहर की दुनिया से क्या मतलब रहेगा । बाहर चोरी हो, डकैती हो, खून–खराबा हो, क्या फर्क पड़ता है । दूसरी बात, इसी गांव के कुछ लोग इन अपार्टमेन्ट के घरों में बर्तन–खटका करेंगे तो बताओ हमने इन गांव वालों को क्या नहीं दिया । दाम और रोजगार दोनों मुहैया कराए। अब कुछ मुनाफा हम भी कमाएंगे, आखिर मेहनत और दिमाग दोनों लगाते हैं। ये बात अलग है कि सस्ते में खरीदी जमीन पर सपनों के महल

तैयार करके लोगों को देने के बाद हम भी एकाध फ्लैट बना लेते हैं ।"

सुनकर आरती विस्मित हो रही थी ।

तीन कमरों वाला फ्लैट ही तीस लाख में पड़ता है और यहां खरीदना तो हमारे बस में नहीं । सोचती हुई आरती आगे बढ़ी ।

जगमग रोशनी से झिलमिलाती नगरी में अब वे प्रविष्ट हो रहे थे । आधुनिक सामग्री जड़ित परंपरागत नक्काशीयुक्त विशाल द्वार था जिसकी भव्यता देखते बन रही थी । दाएं–बाएं दो मुच्छड़ लठैत खड़े थे यानी अवांछित तत्वों को दूर रखने का पूरा इंतजाम था । दोनों ने जोरदार सलाम ठोका और हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया ।

भीतर कदम रखते ही वह थर्रा गई । क्या मेला है । क्या दुनिया है । आखिर क्या है । वह माहौल देख सकुचाई सी संजीव से सटकर चलने लगी ।

बड़े से मंच पर आठ लड़के–लड़कियां आधुनिक लिबास में सजे–धजे पाश्चात्य संगीत पर थिरक रहे थे । लड़कियां काली सलवार और लाल चमकीली टी शर्ट पहने थीं । बीच–बीच में पटाखे छोड़े जा रहे थे और सुनहरी किरचियां हवा में तैर रही थी । थोड़े–थोड़े अंतराल पर मंच पर धुआं फेंका जा रहा था । कुल मिलाकर बेहद उत्तेजक माहौल था ।

कुर्सियां खचाखच भरी थीं । वहां स्त्रियों की संख्या बनिस्बत कम थी । आरती को वहां बिठाकर अमित संजीव को लगभग घसीटता हुआ सा अपने साथ ले गया । वह चुपचाप गीत–संगीत और नृत्य का आनंद लेने लगी ।

इनके मां बाप इन्हें कुछ नहीं कहते । सारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते । शायद अपने खर्चों के लिए मेहनत करके पैसा कमाते होंगे । शायद ऐसी ही है आज की युवा पीढ़ी । मन को समझाती वह बीच–बीच में परोसे जाने वाले व्यंजनों का स्वाद ले रही थी । कुछ लोग अपने मोबाइल, कैमरों से उनकी तस्वीरें ले रहे थे ।

यह सब देखते–देखते काफी देर हो गई । इतने में संजीव उसकी बगल में आकर बैठ गया। उसे देखते ही वह समझ गई कि उसने काफी पी रखी है । अब यहां हंगामा करने का कोई फायदा नहीं । वह खामोश रही ।

वह बोला–मुझे भी भूख लगी है पर थोड़ी । यहां जो फ्लैट बनेंगे वो भी हाइटेक होंगे । देखा नहीं था सैंपल फ्लैट । वह लड़खड़ाता हुआ बोला ।

उसने चुप रहकर पति की बात सुनने में ही भलाई समझी । वे दूसरे टेंट में पहुंचे । वहां चारों और लोग खा–पी रहे थे बहके–बहके थे।

वे एक ही प्लेट में खाने लगे। इतने में संजीव बोला, आरती आरती। अगर हम यहां फ्लैट ले लें तो कितना अच्छा होगा । वैसे अमित कह रहा था कि वह बैंक से लोन दिलवा देगा, हमें सिर्फ थोड़ा सा नकद भुगतान पहले करना होगा, बाकी आराम से किस्तों में चुकाते रहेंगे ।

तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे पास रूपयों को पेड़ लगा है जिसे जब चाहा झाड़ लिया और नोट गिरे फर्र–फर्र । होश में आओ श्रीमान, तुम सरकारी बाबू हो, हमारे दो बच्चे हैं हमें उन्हें पढ़ाना, लिखाना है और मैं नौकरीशुदा भी नहीं ।

तुमने मेरा मूड खराब कर दिया । चलो छोड़ो, बाद में सोचेगें । अभी मेरा पेट तो भर गया, तुम खा लो ।

आरती ने माहौल बिगड़ने के डर से चुपचाप खाना खत्म किया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई हालांकि संजीव थोड़ी देर

और वहां रूकने के मूड में था ।

मुख्य द्वार पर अमित मिल गया।

"अरे भाभी जी। आप जा रहे हैं। खाना – वाना खा लिया। सब ठीक लगा। ये अपार्टमेन्ट कैसा लगा । मैने इसे काफी कुछ बता दिया है फिर जैसा ठीक समझो बता देना"।

हां, भाई साब । जरूर बताएंगे । खाना बहुत बढ़िया था, हमने खा लिया है । साढ़े ग्यारह बज रहे हैं। घर में बच्चे अकेले हैं, अब हमें इजाजत दीजिए ।

थोड़ी देर और रूक जाते । चलो, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा आप जाएंगे कैसे ठहरो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, आपको ड्राइवर छोड़ आएगा ।

अमित ने फोन किया है और ड्राईवर आ गया । वे अमित से विदा लेकर बाहर आ गए ।

बाहर आकर आरती ने सुकून की सांस ली।

उसने देखा, कुछ ग्रामीण बालक ट्रैक्टर पर चढ़े हुए तो कुछेक पेड़ों पर लटके भीतर का नजारा उत्सुकता से देख रहे थे। यह देख उसके मन में उथल–पुथल मच गई ।

यह सब क्या है। इन्हीं की जमीन पर यह स्वर्ग बसा है और ये लोग यहां नहीं रहेंगे । आज चारों ओर कंक्रीट की फसल उगती जा रही है, लोग मालामाल हुए जा रहे हैं, सब जेबें भर रहे हैं पर इस फसल का असली हकदार कौन है । क्या इसका असली हकदार वे गरीब किसान नहीं जो कभी इस जमीन पर खेती करके गुजारा करते थे।

अनायास उसके कानों में अमित के कहे यह शब्द हथौड़े की तरह बजने लगे–तो बताओ , क्या नहीं दिया हमने इन्हें । इनकी जमीनों को कोई पूछता तक नहीं था । हमने इन्हें करोड़ों दिए, अब इनकी मौज हो रही है, हर घर के बाहर दो–दो कारें खड़ी हैं । दाम और रोजगार दोनों मुहैया कराए हैं।

वह सोच रही थी कि क्या सचमुच ऐसा है । कार में बैठा संजीव बड़बड़ा रहा था आरती डार्लिंग । तुम नौकरी कर लो ।

राजसिंह
प्रवर्तन अधिकारी
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

स्वाभिमान

चौराहे पर लाल बत्ती पर गाड़ी रोकते ही अनायास ही नजर फुटपाथ पर खड़े एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति पर चली गयी । ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ करना चाह रहा हे पर कोई चीज उसे ऐसा करने से रोक रही हो। उसके चेहरे पर एक व्याकुलता थी । जैसे ही मेरी नजर उससे मिली वो कुछ झिझकता हुआ मेरी गाड़ी के पास आ गया। मुझे लगा शायद वो कुछ माँगना चाहता है पर मांग नहीं पा रहा है, इसलिए मेने पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ ही डाला था कि वो एक दम से बोला " नहीं सर पैसे नहीं चाहिए, अगर किसी भी तरह की कोई नौकरी मिल जाए बस। "

यह सुनकर मेरे मुहं से एक दम से निकला " बहुत बढ़िया, स्वाभिमानी हो, पर मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता"

इतने में हरी बत्ती होते ही ट्रैफिक चालू हो गया और मैंने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली।

अगले दिन फिर वहीं से निकलना हुआ और संयोग से लाल बत्ती होने पर चौराहे पर रुकना भी पड़ा। मेरी आँखें चौराहे पर चारों तरह उस " स्वाभिमानी" आदमी को तलाश रही थी पर वो नहीं दिखा। हाँ, चौराहे पर आज एक व्यक्ति बन्दर की ड्रेस पहन कर उछल कूद कर के लोगों से पैसे माँगता हुआ जरुर दिखा।

तभी वो बन्दर रूपी आदमी उछल कर मेरे सामने आ गया और उसने अपना हाथ फैलाया। उसके हाथ पर एक रूपये का सिक्का रखते हुए मेरी आँखें फिर से इधर–उधर उस आदमी को तलाश करने लगी।

तभी वो बन्दर की ड्रैस पहने व्यक्ति एकदम से बोला " सर स्वाभिमान मर गया, यह भूख भी बड़ी बुरी चीज होती है।"

इससे पहले की मैं कुछ बोल पाता मुझे उलझन में छोड़ वो उछलता हुआ आगे निकल गया।

रवि मलिक
सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

तमिलनाडु-एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश

तमिलनाडु राज्य में तमिल भाषा बोली जाती है। यह भाषा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जीवित भाषा है। सभी भाषाओं की माता संस्कृत कही जाती है परन्तु चलन में तमिल भाषा ही देखी जाती है। तमिल न सिर्फ तमिलनाडू में बोली जाती है अपितु यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं श्रीलंका में भी बोली जाती है। तमिल भाषा में भक्ति के क्षेत्र में हिन्दू , मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन व बुद्ध धर्म से जुड़ी किताबें मिलती है। यह भारत की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है एवं सांस्कृतिक भाषा भी है।

तमिलनाडु की पारम्परिक वेशभूषा :—

इस राज्य के पुरूषों की पारम्परिक वेशभूशा धोती, लुंगी, कमीज के साथ अंगवस्त्र है। अंगवस्त्र एक सफेद रंग का बोर्डर युक्त होता है तथा इसको धोती के साथ पहना जाता है। अंगवस्त्र कंधे के एक भाग पर पहना जाता है। स्त्री साड़ी एवं ब्लाऊज पहनती है। साड़ी ज्यादातर सिल्क की व सूती होती है। तमिलनाडू में एक पारम्परिक साड़ी भी देखने को मिलती है जो 9 गज़ की होती है जो सिर्फ विवाहित स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है। पंचकच्चम विवाहित पुरूष द्वारा पहना जाता है जैसा नीचे दिखाया गया है।

यहां 12—13 वर्ष की होने पर कन्य तीन रंगो के मिश्रण वाली खूबसूरत वेशभूषा पहनती हैं जैसेः— लहंगा, ब्लाऊज एवं हाफ साड़ी नीचे दर्शाए गए चित्र में पहना हुआ है।

छोटी—छोटी कन्या कमर से लेकर पाँव तक लहंगा जैसे पहनती है, जिसे पवाड़ा कहा जाता है ये ब्लाऊज युक्त पहना जाता है। ललाट पर पुरूष भस्म (विभूति) लगाकर उसमें चंदन, कुमकुम व बिन्दी जैसे लगाते है। स्त्री एवं कन्या भी माथे पर कुमकुम लगाती है।

आभूषण की कहें तो झुमका, गले में माला, चूड़िया आदि पहनना अनिवार्य है। छोटी से लेकर बड़ी स्त्री तक सुगंधित पुष्प मोगरा अपने बालो में लगाती है जो शुभ होता है। एक विशेषता और यह है कि यहाँ कि महिला नासिका के दाएं भाग में नासिका भूषण पहनती है। वैसे देखा जाए तो दोनो भागों में नासिका भूषण पहनना यहां की परम्परा है परन्तु फैशन के चलन हेतु बाएं भाग में नासिका भूषण नहीं पहनती है।

परम्परा और संस्कृति :—

विवाहित पुरूषों को हवन के समय मंत्र बोलते समय पंचगच्छम धोती पहनना अनिवार्य होता है। स्त्रियां वर्ग भी अपने पारंपरिक वस्त्र ग्रहण करती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। विशेषत :

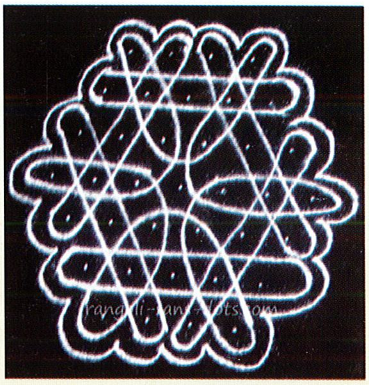

हिन्दू परिवारों में सुबह स्त्रियाँ अपने घर के आँगन में रंगोली बनाती है। त्योहारों के दिनों में जैसे दिवाली, पोंगल में बहुत ही तरह तरह के डिजाइन से बनाई जाती है जो कि देखने में आकर्षक लगती है। इस दिन जब लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते है तो स्त्रियों को उपहार के रूप में घर से निकलते समय कुमकुम, पान के पत्ते, सुपारी, हल्दी, फूल आदि देते है। विशेष दिनों में इसके साथ कपड़े, चूड़िया व नारियल भी दिया जाता है।

भोजन :–

अगर तमिलनाडु के भोजन की बात की जाए तो यहां पर भोजन को केले के पत्ते पर परोसा जाता है। यहां के लोग ज्यादातर चावल खाते है । चावल के साथ साथ सांभर एवं सब्जियां भी खाई जाती है

जो अत्यंत स्वादिष्ट होते है। तमिल निवासी रंग–बिरंगे चावल भी बनाते है जैसे – पीले रंग के नीबू चावल, भूरे रंग में पूलियोदरि नाम से इमली के साथ चावल, सफेद रंग में नारियल चावल एवं दही में गुड़ एवं मिश्री चावल भी बनाते है। यहां की नमकीन जिसे मुर्क कहा जाता है हाथ से बनाई जाती है। इसके अलावा चावल से बने पापड़ को धूप में सुखाया जाता है जिसे तेल में तलते है। आचार में देखा जाए तो यहा भी एक विशिष्ट रूप देखा जाता है जो कि बिना तेल बनाया जाता है इसका दवाई का भी महत्तव है। आहार में बहुत व्यंजन है जैसे – सांभर, बड़ा, डोसा, इटली आदि

जो भारतीयो को ही नहीं अपितु विदेशियों को भी आकर्षित करते हैं।

तमिलनाडु के कुछ आकर्षक स्थान :–

तमिलनाडु के बहुत क्षेत्र है जो बहुत ही आकर्षक हैं तथा संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार है। तमिलनाडु की राजधानी में चेन्नई में विश्व का द्वितीय स्थान रखने वाला समुद्र–तट, मेरीना समुद्र–तट है। तमिलनाडु में अनगिनत ऐतिहासिक स्थान अवसंरचनाएं मौजूद है। यहां बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जैसे– एकम्बेश्वर मंदिर काजीवंरम में, रोक फोर्ट मंदिर त्रिचिरापलि में, मिनाक्षी मंदिर मदुरै में, ब्रिगदेश्वर मंदिर तंजोर में, रामेश्वरम गलियारा है जहां पर की गई नक्काशी देखने में बहुत सुन्दर है। समुद के किनारे स्थित महाबलिपुरम मंदिर बहुत अदभुत है। मुदुमलाई मृगवन वन्य जीव जन्तुओं का प्राकृतिक जीवन है। यहां एक प्रसिद्ध झरना है जो धर्मापुरी जिले और कुतरालम में है। गर्मियों की मार से बचने के लिए ऊटी, कोडाइकनल जाने लायक जगह है। यहां पौराणिक गिरजाघर भी है जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है सैन्थोम गिरजाघर चेन्नई, वेलकनी गिरजाघर नागापट्टम में, तिरूउन्वली में कपल माथा गिरजाघर आदि है। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल भी है जैसे – थाउजेन्ड लाईट मस्जिद चेन्नई में, दरगाह नागौर में है। तमिलनाडु समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है यहां बंदरगाह भी है जिसमें से तीन चेन्नई में है जो प्रसिद्ध है। तूतिकोरिन

कन्याकुमारी में है। तूतिकोरिन मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।

तमिलनाडु के प्रसिद्ध हस्तशिल्प :—

यहाँ पट्टामडाई चटाई बनाई जाती है। पट्टामडाई चटाई को घास , सूत व रेश्म के साथ बुना जाता है। सिल्क साड़िया जरी से बुनी जाती है, जरी सोने की तार से बनती है । इसके अलावा सूती कपड़े जैसे साड़िया, चादर, तोलिये आदि बनाए जाते है। तमिलनाडु विभिन्न धातुओं अर्थात् पीतल, तांबा और कांस्य से बनी मूर्तियों तथा बड़े–बड़े बुतों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये बुत और मूर्तियां काफी महंगी होती है। यहां कागज से खिलौने और बर्तन बनाए जाते है जो काफी हल्के होते है और लाने ले जाने में फायदेमंद रहते है तथा लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनते है। तमिलनाडू पत्थरों की शिलाओं से तराशी गई मूर्तियों तथा बुतों के लिए भी प्रसिद्ध है । यहां पर मिट्टी से भी हस्तशिल्प बनाए जाते है जिनमें मटके, बर्तन तथा अन्य आकर्षक वस्तुएं शामिल है। तमिलनाडू की संस्कृति संगीत एवं नृत्य के लिए भी जानी जाती है यहां प्रसिद्ध भरतनाट्यम का सृजन हुआ और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत के वाद्य उपकरण जैसे – वीणा, बांसुरी, मृदंग, नागश्वरम आदि का निर्माण किया जाता है। इन वाद्य यंत्रो को विदेशों को निर्यात किया जाता है जिससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व तमिलनाडु की धरती पर सुब्रमण्यम भारती, डॉ राधाकृष्णन, सी–राजगोपालाचारी, प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम, महान वैज्ञानिक सर सी.वी.रमन, पूर्व राष्ट्रपति तथा अन्य महान व्यक्ति अर्थात मिसाईल मैन के नाम से मशहूर स्व0 डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम, शतरंज के ग्रेंड मास्टर विश्वनाथन आनंद तथा गूगल के मौजूदा सीईओ सुन्दर पिचाई जैसे लोगों ने जन्म लिया और विश्व में तमिलनाडु का सिर गर्व से ऊँचा किया।

एम.एस. ईश्वरम्बाल
आशुलिपिक –।
मुख्यालय कार्यालय

जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर

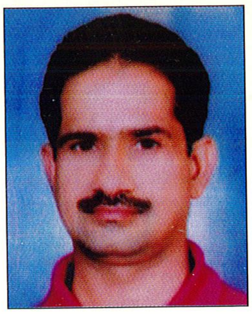

जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह सुसंस्कृत सभासद, अप्रतिम योद्धा और अति लोकप्रिय शासक हुए। बल्ख की लड़ाई के बाद उनके दरबारी कवि बिहारी ने कहा था–

घर घर हिन्दू तुरकिनी, देहिं असीस सराहि ।

पति न राखि चादर चूड़ सो राखि जयसाहि ।।

मिर्जा राजा जयसिंह ने खगोल के आधार पर जयपुर नगर बसाया और अपनी विलक्षण प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने जयपुर को सुदृढ़ किया ।

इसी परम्परा में महाराजा प्रताप सिंह 1778– 1803 तक जयपुर के शासक बने श्री प्रताप सिंह भक्त, कवि और वैध विद्या के अनुरागी थे। आपके शासन काल में जयपुर में विश्व विख्यात हवा महल का निर्माण करवाया गया। सवाई प्रताप सिंह के काल मे निर्मित मंदिर श्री बृजनिधि जी वस्तुकला की दृष्टि से भव्य कलात्मक व दर्शनीय है मंदिर के बारे में निम्न वर्णन मिलता है।

मंदिर का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने जयपुर में संवत् 1849 में करवाया था। मंदिर में मूर्ति की स्थापना वैशाख शुक्ल – अष्टमी शुक्रवार संवत् 1849 में करवाई गई थी । वहां स्थापित पुरातत्व रिकार्ड के अनुसार श्री कृष्ण भगवान की काले कसौटी पाषाण की एंव राधिकाजी की धातु की भव्य एवं आलौकिक मूर्ति विराजमान है।

मंदिर की स्थापना के सम्बन्ध में एक घटना जुड़ी हुई हैं कि महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी श्री गोविन्द देव के अनन्य भक्त थे। श्री गोविन्द देव उन्हें साक्षात दर्शन देते एंव बात करते थे। घटना इस प्रकार है अवध नवाब वजीर अली जिसने बनारस के रेजीडेन्ट मिस्टर चेरी व चार अन्य यूरोपियन अफसरों की हत्या कर दी और अंग्रेज हुकुमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। जो ब्रिटिश सरकार का घोषित शत्रु था नवाब को जब पूरे हिन्दुस्तान में अन्यत्र शरण नहीं

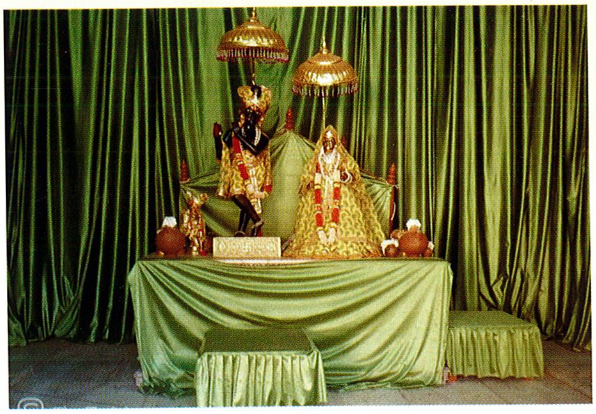

मिली तब वह जयपुर आया और महाराज से शरण माँगी। शरणागत को शरण देना परम्परा रही है। इसी परम्परा का निर्वाह करते हुये महाराजा ने उस अपने यहां शरण दी तथा श्री गोविंन्द के साक्षी में महाराजा ने शपथ ली कि अवध नवाब वजीर अली शाह को अंग्रेजों को नही सौपेंगे। परन्तु अंग्रजों एवं जयपुर रियासत के प्रधान मंत्री दौलतराम के दबाव में नवाब को अंग्रेजों के लिखित समझौतें एवं शर्तो, कि नवाब वजीर अली शाह को मारा नहीं जायेगा और उसे अपने परिवार के साथ आराम से नज़रबन्दी में रहने दिया जायेगा, के अनुसार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। चूकिं महाराजा ने श्री गोविन्द देव की शपथ को झुठला दिया इस कारण कहावत अनुसार श्री गोविन्द देव जी ने महाराज को दर्शन देना व बात करना बंद कर दिया। महाराज इस से बड़े व्यथित हुये एवं अन्न जल त्याग दिया। इस पर श्री गोविन्द देव जी ने महाराज को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि श्री बृजनिधि का महलों में नया मंदिर स्थपित किया जाये। यह मूर्ति तुम्हें स्वप्न मे दर्शन देती रहेगी। इस आदेश अनुसार यह मंदिर स्थपित किया गया। महाराज प्रतिदिन भगवान बृजनिधि के राजभोग के आरती के समय दर्शन करते थे एवं एक पद की प्रतिदिन रचना कर श्रीजी को सुनाया करते थे तथा राज भोग का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। महाराज प्रताप सिंह द्वारा रचित पद बृजनिधि ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्व है।

विजय आचार्य
सहायक
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

झारखंड-एक कला और संस्कृति

झारखण्ड की सांस्कृतिक विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी समुदायों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। पौराणिक असुर और संथाल, बंजारा, बिहोर, चेरो, गोंड, हो, खोंड, लोहरा, माई पहरिया, मुंडा, ओरांव बत्तीस से अधिक आदिवासी समूहों (राज्य की कुल आबादी का 28%), इस क्षेत्र की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ गए हैं।

कला इतिहासकारों ने भारत के सबसे पुराने गुफा चित्रों'' ''पुस्तक चित्रों'' को बनाने वाले को झारखंड में शबर जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो आज लुप्त होने के कगार पर हैं। पाषाण युग के उपकरण की खोज झारखण्ड के हजारीबाग जिले में और कुल्हाड़ी और भाला का सिरा चाईबासा क्षेत्र में पाए गए हैं। 1000 से 3000 साल पुराने शैल चित्र, सती पहाड़ियों की गुफाओं में चित्र और अन्य प्राचीन संकेतक, यहाँ तक कि पूर्व ऐतिहासिक, मानव बस्तियों में पाए जाते हैं।

जब झारखंड के जनजाति के लोग बहुत ही विशेष अवसर को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे घर या गांव में, वे अपनी लय में संगीत और नृत्य करते है। एक्हरिया डोमकच, ओरजापी, झूमर, फगुआ, वीर सेरेन, झीका, फिलसंझा, अधरतिया या भिनसरिया, डोड, असदी, झूमती या धुरिया या अन्य लोक गीत झारखण्ड के महत्वपूर्ण है। झारखंड जनजाति के लोगों द्वारा गायन और नृत्य में संगीत और बजाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। नगाड़ा, पशु और लकड़ी के हाथ से बने सहजन की कलि से खेला जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नगाड़ा की ध्वनि ग्रीष्मकाल में सर्वश्रेष्ठ, ठंड के मौसम में वो अपने जीवंत को खो देता है। बेलनाकार मांदर हाथ से बजाई जाती है। ढक, धमसा, दमना, मदन भेवरी, आनंद लहरी, तूइला, व्यंग, बंसी, शंख, करहा, तसा, थाल, घंटा, कदरी और गुपी जन्तर कुछ अनोखे उपकरण बजाये जाते है। नृत्य में कभी कभी हल्के, कभी कभी गंभीर रूप से, मन की मांग के रूप में पशु और पक्षी के व्यवहार को भी मिश्रित किया जाता है। महिलाओं की प्रतिदिन की गतिविधियाँ––क्षेत्र में काम करना, जंगलों में, अपने घरों में, सभी को छऊ नृत्य में प्रतिबिंबित कर लेती है, जिसमे आवश्यकता होती है चंचलता और लोच की।

झारखंड के जनजातीय समुदायों में सरहुल मशहूर नृत्य हैं जहां साल और मोहुआ फूलों का उपयोग किया जाता है, जहां युवा करम की रात दंसाई और सोरहाई गाने गाते हैं और नृत्य करते हैं मगही पूजा, मुंडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण उत्सव सरहुल में साल वृक्ष के 'सहलाई' फूल देवताओं को पेश किये जाते हैं, फूल के साथ जो भाईचारे का एक प्रतीक है; टुसू, फसल उत्सव, मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है 'पिरामिड के आकार का संरचना, झिलमिल और धार के साथ सजाया और स्थानीय देवताओं के चित्र के साथ चित्रित/मुद्रित की पूजा गांव की महिला के द्वारा किया जाता है, बजरा पूजा, 'बाजरा' फसल कटाई के लिए तैयार हो जाता है तब भगता परब या बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है।

झारखंड आश्चर्य से भरा है। पुरातत्ववेताओं ने पूर्व हड़प्पा के पास मिट्टी के बर्तनों को उजागर किया है और पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और चट्टान की कला का प्राचीन समय में संकेत मिलता है, इन भागों में संवर्धित सभ्यताएँ पाए गये है। झारखंड के मूल

निवासी कौन थे ? हम वास्तव में नहीं जानते। लेकिन लकड़ी के काम की जटिलता, पितकर चित्र, आदिवासी आभूषण, पत्थर के काम, गुडियां और सांड, मास्क और टोकरियाँ है, जो आपको बता देगा कि कैसे इन संस्कृति की अभिव्यक्तियाँ समय की गहराई को बताती है, कैसे वसंत की रचनात्मकता राज्य की जनजातियों और आत्मा में पुनर्भरण का काम करती है।

भारत की परंपराओं में सबसे नाजुक, मुलायम और सुंदर जैसे कोहवर और सोहराई चित्र, जो पवित्र, धर्मनिरपेक्ष और एक महिला की दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इस कला का अभ्यास विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा शादियों और फसल के समय युवा महिलाओं के हाथ में दिया जाता हैं।

अंगुली चित्रित, कोहवर कला और दीवार चित्रित सोहराई, भरपूर फसल और शादी को मनाता है। विस्तृत बेरी डिजाइन, पशु और संयंत्र रूप, प्रजनन बेरी प्रचुर मात्रा में हैं और अक्सर प्राचीन कला गुफा के चारों ओर पाए गये है। सभी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जैसे पृथ्वी तटस्थ रंग, लाल पत्थर से ऑक्साइड, भगवा लाल, सफेद कोलिन, मैंगनीज काला आदि। झारखंड में प्रत्येक उप जाति और जनजाति के समूह में अनूठी परंपरा के लोग हैं उरांव कंघा काटकर चित्रों से प्राचीन काल के समय का पता लगाया जा सकता है। पशु की छवियाँ, भोजन कठौतों, भोजपत्र, पक्षी, मछली, संयंत्र, परिक्रमा कमल वर्ग, ज्यामितीय रूप, त्रिकोण, मेहराब की श्रृंखला लोक–प्रिय हैं। फसल के दौरान अर्पित कला रूपों का उपयोग किया जाता है गंजू कला रूप की विशेषता पशु की छवियाँ और जंगली, पालतू और संयंत्र रूप हैं। बड़े दीवार पर पशु, पक्षी और पुष्प से घर सजाना, लुप्तप्राय जानवरों के चित्र में कहानी परंपरा को दर्शाया जाता है। प्रजापति, राणा और तेली तीन उप जातियां अपने घर को पेड़ और पशु प्रजनन फार्म से सजाते हैं। दोनों कंघा काटना और चित्रकला तकनीक से करते है। कुर्मी 'सोहराई' की एक अनूठी शैली है। जहां चित्र की रूपरेखा दीवार की सतह पर लकड़ी, नाखून और कंपास का प्रयोग करके बनाया जाता है। टुरी जो टोकरी बनाने का एक छोटा सा समुदाय है जो मुख्यतः पुष्प और जंगल में स्थित प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग अपने घरों की दीवारों पर करते है। बिरहोर और भुइया सरल, मजबूत, प्रामाणिक और ग्राफिक रूप का प्रयोग करते हैं जैसे 'मंडल', अपनी अंगुलियों के साथ चित्रकला करते हैं। अर्द्धचन्द्राकार, सितारें, योनी, वर्ग, पंखुड़ियां कोने के साथ आम चित्र हैं।

झारखंड के जनजातीय समुदायों ने पीढ़ियों से बेहतरीन कारीगरों को बनाया है और कला में उत्कृष्ट कार्य सिद्ध किया है और यह प्राकृतिक संसाधनों का अनूठा प्रदेश है। यहाँ पतला, मजबूत बांस से सुनम्य व्यावहारिक लेख जैसे दरवाजा पैनल, बक्सा, चम्मच, शिकार तथा मछली पकड़ने के उपकरण, नाव के आकार की टोकरियाँ और कटोरे और फुलके बनाये जाते हैं और गुलाबी हरी पत्ती वाले पाउडर का उपयोग धार्मिक अवसरों पर करते हैं। 'साल' पत्तियों से बनाये गये कटोरे और 'पत्तल' प्लेटों का उपयोग शादी और अन्य उत्सव के दौरान व्यापक रूप से किया जाता है। 'सबई घास' या जंगली घास से कटोरा बुना जाता है, कलम स्टैंड, मैट और रंगारंग बक्सा बुना जाता है। गुड़ियां, टेबल मैट और क्रिसमस का पेड़ सजावट के लिए बनाये जाते है। चाईबासा इन चीजों के लिए मशहूर है। रांची के आसपास के छोटे गांवों के पास खजूर के पत्तों से अंगुलि चित्रित खिलौने पीढ़ियों के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान राम की शादी का खिलौना व्यापक तौर पर बनाये जाते हैं इस तरह हम कह सकते है की झारखण्ड की कला –संस्कृति और परंपरा में विविधता से परिपूर्ण है।

अभय कुमार
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

स्वच्छ भारत अभियान

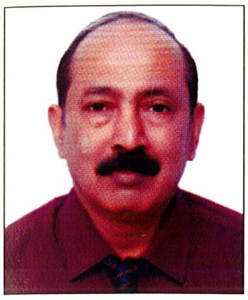

भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है
हम सबको ही मिल करके
सम्भव हर यत्न करके
बीड़ा यही उठाना है

भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

होगा जब ये भारत स्वच्छ
सब जन होंगे तभी स्वस्थ
सबको यही समझाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

गंगा माँ के जल को भी
यमुना माँ के जल को भी
मोती सा फिर चमकाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

आओ मिल कर करें संकल्प
हो ना मन में कोई विकल्प
गन्दगी को दूर भगाना है

भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

देश को विकसित करने का
जग में उन्नति बढ़ाने का
नई नीति सदा बनाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

हम सबको ही मिल करके
हर बुराई को दूर करके
आतंकवाद को भी मिटाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

मानवता को दिल में रख के
धर्म का सदा आचरण करके
देश से कलह मिटाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

सत्य अहिंसा न्याय को लाकर
सबके दिल में प्यार जगाकर
स्वर्ग को धरा पर लाना है
भारत को स्वच्छ बनाना है
भारत को ऊँचा उठाना है

जे.पी. सिंह
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

एकान्त दपर्ण

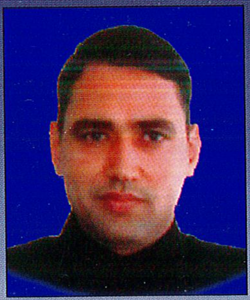

सूरज की लालीमा ढलती
निशा की कालिख निकलती
रात के आगाज को झाँकता
साँझ की चुनरी को निहारता
इक सितारा को देख रहा है
अँधियारे की चादर में
लिपटी इस उदासी को
हँसते हुए चेहरे के पीछे
घोर अकेलेपन को
असहाय दुःख सह गया।

नदी–झरने, पर्वत–पठार
खग–जग सबका मरण
स्वभाव, संस्कार–संस्कृति
मान–सम्मान का क्षरण
कितना करीब आकर भी
अपनों सें ही रूढ़ गया
साथ असीम अनुपम भी
कुछ तो पीछे छूट गया
असहाय दुःख सह गया
कुछ तो पीछे रह गया।

मंजिल सदा चलती रही
सफर कभी रूकता नहीं
क्षितिज – साहिल विपरीत छोर
मिल एक हो सकता नहीं
मुकाम सारे मिल गए
फिर भी कहीं कुछ बाकी है
जीवन भित्ती पर उकेरा सब
उबाल रूधिर में नाकाफी है
इस उधेड़ बुन को सुलझाने में
कुछ तो पीछे बह गया
असहाय दुःख सह गया
कुछ तो पीछे रह गया।

जिन्दगी की दौड़ में,
रास्तों के विकट मोड़ में
लगता है जैसे पगडंडी से
हम सड़क पर आ गए
क्यों हम इस भ्रम के
सरोकार में छा गए।
शून्यता को ताकता सन्नाटा
रिक्तता, अधूरापन फिर भी
कुछ तो पीछे रह गया
असहाय दुःख सह गया।

डॉ0 मनीष गोदारा,
उप निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

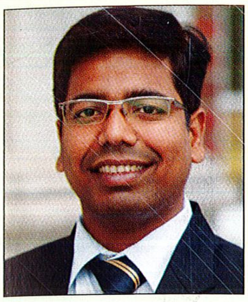

अमावस की पूनम

ध्रुपद की वह शीतल संध्या, एनिर्बंध दिशाएं, मुक्ताकाश
वेद ऋचा की तान छेड़ते बन्धुद्वय, बुला रहे मधुमास
मुखरित था संगीत गगन में, हुलसित पवनउनचास
उठ उठ गिरता फिर चढ़ जाता, वृद्धिमान वह कोमल राग
सप्तसुरों के सागर में गतिमान, लग रही सुरमयी आग
मलयानिल की मंद मंद सुरभित बयार, प्राणों में आते
अंगअंग हर पोर में छाते, हर्षित तन मन कर जाते

गहन गहनतर भाव की कड़ियाँ खुल जातीं,फिर जुट जातीं
आत्मिक अनुभूति से भाव विभोर, सरिता सागर से मिलने आती
कभी मंद वेग तो क्षिप्र वेग, हुलस हुलस बढ़ती जाती इतराती
दोनों तीरों के बीच बल खाती, रगड़ाती गीत मधुर–मधुर गाती
अपनी ही लय में बढ़ती जाती, राग सागर में त्वरा समाती

दिव्य–गायन–सागर–गहन में शनैः शनैः उतरते जा रहे थे,
ध्रुपद रूपी वैदिक मुक्ताओं को एक एक कर चुनते जा रहे थे,
तभी अद्भुत संयोग दृष्टिगोचर हुआ,
नीचे पूनम ऊपर अमावस हो चला,
सामने आते देखा स्वयं पूनम के चाँद को,
जबकि आकाश में था अमावस
लाल–लाल वस्त्रों से आच्छांदित वह रक्तवसना परी,
धवल मुख चन्द्र को संजोये ऐसे
जैसे उडहुल के नव खिले लाल दहकते
फूलों में शरद का पूर्णचन्द्र समा गया हो,
रक्तिम आभा के मध्य वह शीतल ज्योत्सना
की छटा, बिखेर रही थी चंद्रप्रभा,
बड़ी ही सम्मोहक अदा से,
पर साथ ही मुखमंडल पर गाम्भीर्य विराजमान
सौम्य स्मित की कोई रेखा नहीं मुखचन्द्र,
केवल भाव सरिता प्रवाहमान

उस नीरव निशा के गहन, महीन और झीने कुहरे में,
सामने आते देखा उसने मुझे, पर मैं हतभाग्य,
वह क्षिप्र वेग से बढ़ चली, गहन तिमिर में खो जाने को
देखता रहा मैं अपलक मंत्रमुग्ध, स्तंभित तन मन होने को
निःशब्द खड़ा मैं, नीरव में, निहारता विजन पथ को

आह! ये दरस इतना लघु और क्षणिक क्यूँकर था
कुहरा घना और घना हो चला, रक्तवर्णा परी विलीन हो चली
मैं स्तब्ध, निस्पंद, ध्रुपद के आलाप में वाणी मूक हो चली

आह! वे घड़ियाँ कितनी क्षणिक और नश्वर थी
काश! वे कुछ लम्बे होते,नयन हमारे तृप्ति पाते
स्वर तो पहले ही खो चुका, नयनों का सुख भी छीन चुका,
और अब तो कानों का सुख भी जा रहा था,
क्योंकि उन नूपुरों की खनक, झंकार अब अनसुन हो चली
और वो रक्त परी नयनों से ओझल, स्वप्नलोक को जा चली
अब तो हर एक इन्द्रिय उस माधुर्य को तरस रही थी,
जो अपनी रक्तिम छटा बिखेरकर लुप्त हो चला था,
वह माधुर्य जो पूर्ण यौवन, सौंदर्य से जगमग दमक रहा था।

कही ये स्वप्न तो नहीं,जो यथार्थ बनकर सामने आ पड़ा,
नहीं ये तो यथार्थ ही होगा, स्वप्नों में तो हमने उन्हें
आकाश से उतरते उर्वशी की भांति देखा था,
और यहाँ धरा पर वह मेरे समक्ष चल रही थी
दिव्य छवि से सम्मोहक, अनूप सुख की वृष्टि कर रही थी
अब तो इस ध्रुपद–सांध्य की भी रात्रि हो चली थी...

सुबोध कुमार
उप निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

संतान

तुम्हारे बच्चे तुम्हारी,
संतान नहीं हैं ।

वे तो जीवन की स्वयं,
के प्रति जिजीविषा के,
फल स्वरूप उपजे हैं ।

वे तुम्हारे भीतर से,
आये है, लेकिन तुम्हारे,
लिए नहीं आये हैं।

वे तुम्हारे साथ जरुर है,
लेकिन तुम्हारे नहीं है ।

तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो,
अपने विचार नहीं,
क्योकि उनके विचार,
उनके अपने है।

तुमने उनके शरीर का निर्माण,
किया है, आत्मा का नहीं,
क्योंकि उनकी आत्मा भविष्य,
के घर में रहती है।

जहाँ तुम जा नहीं सकते,
सपनों में भी नहीं ।

उनके जैसा बनने की
कोशिश करो,
उन्हें अपने जैसा,
हरगिज़ न बनाओ,
क्योकि जिंदगी पीछे नहीं जाती,
न ही अतीत से लड़ती है ।

तुम वे धनुष हो जिनसे वे,
तीर की भाँति निकले हैं ।

ऊपर बैठा धनुर्धर मार्ग में,
कहीं भी निशाना लगाता है ।

वह प्रत्यंचा को जोर से खींचता है,
ताकि तीर चपलता से दूर जाए ।

उसके हाथों में थामा हुआ,
तुम्हारा तीर शुभदायक हो,
क्योंकि उसे दूर तक,
जाने वाले तीर भाते हैं ।

और मजबूत धनुष ही,
उसे प्रिय लगते हैं ।

ऐ.के. श्रीवास्तव
सहायक निदेशक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

मैं अजन्मी बेटी हूँ

कितने सपने संजोये हैं मैंने,
इनको माँ ना तोड़ो तुम।
इतनी सी गुहार है मेरी,
कोख में मुझे ना मारो तुम।।

आने दो इस दुनिया में मुझे,
दुनिया देखना चाहती हूँ।
में कली हूँ फूल बनके,
खिल खिलाना चाहती हूँ।।

माँ तुम्हारी सूरत को,
मै निहारना चाहती हूँ।
सुख दुःख में भी तुम्हारी,
साथ देना चाहती हूँ।।

दुनिया सारी कितनी प्यारी,
दुनिया में रहना चाहती हूँ।
ईश्वर को दिए हुए जीवन को,
पल पल जीना चाहती हूँ।।

बेटी भी नही कम किसी से,
ये बतलाना चाहती हूँ।
मै अजन्मी बेटी हूँ,
दुनिया में आना चाहती हूँ।।

दुर्गा शंकर देबता
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

हर कार्य की कोई वजह नहीं होती

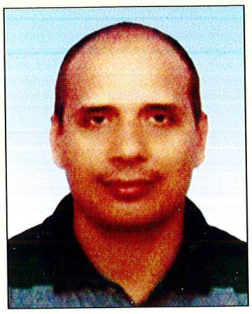

तमाशों के लिए जगह नहीं होती,
हर कार्य की कोई वजह नहीं होती।

हो जाते हैं कुछ कार्य यूँ ही, संभलने के लिए,
बदनाम गलियों में चलने के लिए
मौका मिलते ही दौड़ने लगते है,
श्वास रोककर चलने लगते हैं,
गहरी बुनियादों को तोड़ने के लिए,
संस्कारों की समझ नहीं होती,
हर कार्य की कोई वजह नहीं होती ।

कुछ कार्य होते हैं जोड़ने के लिए,
कुछ होते हैं तोड़ने के लिए,
अँधेरी रातों में निकल पड़ता हूँ,
चाँद की रोशनी खोजने के लिए,
थक गया हूँ देखकर बदलते संस्कारों से,
टूट गया हूँ, लोगों के सुविधानुसार विचारों से,
उम्र हासिये पर हो, फिर भी बोलने की समझ नहीं होती,
हर कार्य की कोई वजह नहीं होती ।

जिन्दगी जीने के मायने अब बदलने लगे,
आगे से संभालकर, पीछे से कीचड़ उछालने लगे,
कैसे समझाऊं कि संस्कार ही जीवन है,
सत्य असत्य की सही पहचान ही जीवन है,
उब चुका हूँ दलदल से, अब लौटना बस की बात नहीं,
डूब चुका हूँ किनारों पे, निकलना बस की बात नहीं,
बिखरें ख्वाबों को जोड़े रखना सहज नहीं होता,
हर कार्य की कोई वजह नहीं होती ।

एक तमन्ना थी खुलकर गुनगुनानें की,
विवादों के बीच लोगों को हँसाने की,
लेकिन, लोग हंसते गए, विवाद बढ़ते गए,
मैं और तुम के बीच हम संभलते गए,
उलझन अपने आप में एक समस्या बन गयी,
जनता अपने–परायें के बीच की ढाल बन गयी,
इन तमाशों के बीच भी मुस्कराना सहज नहीं होता,
हर कार्य की कोई वजह नहीं होती ।

मिथिलेश कुमार मिश्रा
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

देश की शान हिन्दी

हिंदी है, वह भाषा
जिसने है, हमको तराशा।

इस को सुनकर बड़े हुए हैं
इसी को बोलकर खड़े हुए हैं।
हिंदी से ही भेष बना है,
हिंदी से ही देश बना है।

सभी भाषाओं को, खुद में समाया
फिर भी जग में है, नाम कमाया।

हिमालय की ऊँचाई या सागर की गहराई हो
हिंदी ही वह भाषा है, जो जोड़े भाई–भाई को।

गर्व हमें है हिंदी पर,
बोलते रहेंगे जिंदगी भर।

निरंजन बेहरा
प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुबनेश्वर

मैं वृक्ष हूँ।

इंसानों ने जब मेरा नामकरण किया तो मुझे लगा कि मैं तो इनके सगे–संबंधियों की तरह हूँ। मुझे मेरे आस–पास रहने वाले कई जानवरों ने आगाह किया, यहाँ तक कि जंगल के राजा ने भी सावधान किया था कि इंसान किसी का सगा नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे इंसानों ने ठगा नहीं। परन्तु मैंने उनकी नहीं सुनी, मैंने सोचा ये सभी इंसानों से दुश्मनी रखते होंगे, इसीलिए ऐसी इनकी सोच है। भला इंसान मेरे लिए क्यों खतरा बनेगा, इसने तो मुझे नाम दिया, मेरी सेवा करता है, जब कभी कड़ी धूप में मुझे जरुरत होती है, मुझे पानी पिलाता है। उसके बदले मैं भी तो इनकी सेवा करता हूँ। आदिकाल से मैं इनके काम में मदद करता आया हूँ। जब इन्होंने खेती शुरू किया तो मेरी शाखाओं ने हल बनके इनकी सहायता की, इनको भूख लगी तो मेरे फलों ने इनकी क्षुधा को शांत किया, ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती गर्मी में इनकों मैने ठंडक दिया। यहाँ तक कि बरसात से बचने के लिए भी मैं इंसानों के काम आया, बाढ़ आने पर मैं इनके घरों को गिरने से बचाता हूँ। फिर क्यूँ इंसान मेरे लिए खतरनाक साबित होगा । कई बार तो ये लोग हमारी पूजा करते हैं, मुझे भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं, फिर कैसे ये हमारे लिए दुश्मन जैसा बर्ताव रखेंगे । इन्हीं सोच के साथ , मैंने इंसानों के साथ कई हजार साल बिताये । मैं उनके लिए उपयोगी बना रहा तथा वे हमारी सेवा व पूजा करते रहें।

देखते–देखते कई हजार वर्ष बीत गए । हमारे बंधु–बांधव बढ़ते गए तथा इंसानो के भी सगे–संबंधियों की संख्या में अपार वृद्धि होती गई और फिर आया आधुनिक काल मतलब हमारी दुर्दशा का आरंभिक समय। अब उनको ये पता चलने लगा कि मेरी उपयोगिता उनके लिए है कि नहीं तथा मेरे कौन से बंधु उनके लिए अच्छे हैं तथा कौन से बुरे हैं और इस तरह से शुरू हुई मेरी दुर्दशा का आरंभ। जो उनके काम में नहीं आता था, उनकों मारना शुरू कर दिया, अपनी सुख–सुविधा के लिए ऐसे उपकरण इस्तेमाल करने लगे कि मैं जवानी में बूढ़ा होता चला गया। तब मुझे अहसास हुआ कि मेरे जानवर बंधु मुझे सही आगाह कर रहे थे कि इंसान किसी का सगा नहीं। ऐसा नहीं हैं कि किसी ने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले (वर्तमान उत्तराखंड) में सन् 1973 में किसानों ने मेरी कटाई का जबरदस्त विरोध किया। खासकर स्त्रियों ने मुझसे चिपककर, अपने पुत्रों जैसी मेरी रक्षा की। जी, मैं चिपको आन्दोलन की ही बात कर रहा हूँ, जिसका घोषवाक्य हैं–

" क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार ।

मिट्टी , पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार।

मेरे अन्दर फिर से उम्मीद की किरण जागी, मेरे निराश मन को सहारा मिला। भारतवर्ष की तत्कालीन सरकार ने सन् 1980 में मुझे बचाने के लिए कानून बना दिया। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हिमालय में स्थित मेरे बंधु–बान्धवों की कटाई पर 15 वर्षों की रोक लगा दी।

हमारी अंधाधुंध कटाई का असर ऐसा हुआ हैं कि आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जुझ रहा हैं। इंसान अल्प समय के लिए मिलने वाली सुविधाओं के लिए मेरा त्याग कर रहा हैं। अगर इंसानों ने मेरी ऐसी दुर्दशा जारी रखी, तो इसके भयंकर दुष्परिणाम इनको भोगने होंगे। जरुरत है कि हमारे पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने की, जो कि परस्पर उपयोगी सम्बन्ध पर आधारित था। भारतवर्ष में प्रचलित निम्न संस्कृत वाक्य पर आधारित विश्व संचालन से ही चिरस्थायी सुख–समृद्धि आ सकती है।

''वसुधैव कुटुम्बकम''

सोमनाथ
प्रवर्तन अधिकारी
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद

गज़ल

याद आया

गुजरा जब पुराने शहर से, हर मंजर पुराना याद आया।
खुशबू–ए–आबो हवा, दोस्तों का दोस्ताना याद आया।।

सब यादें भूल चुकी थीं, नयी यादों से ज़हन भर चुका था।
कॉलेज के हर मंजर, हम दिलों का दीवाना याद आया।।

चौक, चौराहे, रस्ते सब अनजाने लग रहे थे।
उनकी नजरों की चमक, उनके हुस्न का जमाना याद आया।।

गुजरे जमाने, फिर भी, हर यादें ख्वाबों से लग रहे थे।
अब कोई आरजू न थी, उनकी मोहब्बत का फसाना याद आया।

जिन्दगी में उनके न होने का गम क्या देगा "रशीद"।
अब नयी यादों के फसाने हैं, फसाना बहुत उनका याद आया।।

मोहम्मद रशीद अंसारी
प्रवर्तन अधिकारी
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

यह सफर ही मंजिल है

क्या कभी रेत को बहते हुए देखा है ।
जिन्दगी जियो जीवन को कहते हुए देखा है
ढेर सारी रेत मुट्‌ठी में संजोए।
आंखों में रंगीन सपने बिछोए
हम चलते जाते हैं, चलते ही जाते हैं।

सामने मंजिल है, उस तक चलना है
वहीं है सारी खुशी जिसे समेटना है
निरंतर चलकर हम पहुँच गए मंजिल पर
मुट्‌ठी खोली और पाया सिर्फ पसीना हथेली पर।
अरे, मेरी मुट्‌ठीबंद रेत कहाँ खो गई
सारी खुशियाँ आंखों से बोझिल हो गई।

तब मैं समझी खुशियाँ पहुँच कर नहीं होती हासिल
जिन्दगी के सफर को जीना है असल मंजिल।
यारों तब बात खनकी कि मंजिल वह छोर नहीं जहाँ मुझे पहुँचना था
मंजिल तो यह जीवन सफर था जिसे मुझे हँसकर जीना था।
इसलिए दोस्तों मत भागो निरर्थक मंजिल की खोज में

जिन्दगी जियो अपने संग, अपनों के संग मौज में ।

आराधना मंडल
वरिष्ठ अनुवादक
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

मानव जीवन

उलझन में उलझता मानव
कितने ही जाल बनाता है
अपनी नासमझी के कारण
खुद ही फंसता जाता है
आता नहीं चलाना लेकिन
बन्दूक थाम ली हाथों में
जीवन को खतरे में डाला
नींद कहाँ फिर रातों में ?

जीवन का कुछ नही भरोसा
जाने कब मिट जायेगा ?
अरमानों का महल अचानक
क्षण भर में गिर जायेगा
उद्देश्य को अपने भूल गए
भटक रहे भ्रम–जालों में
जाने–अनजाने उलझ रहे
हर दिन नए सवालों में

सब कुछ होने पर भी जीवन
लोभ–मोह में छला गया
समझे बिना ही जीवन को
जीव अकेला चला गया
मांगना जिसकी नियत रही
देना जिसने कभी न जान
अहंकार के वश में होकर
खुद को सबसे ऊपर माना

वही धसा जब दलदल में
सारी चतुराई भूल गया
कुछ भी वह समझ न पाया
गले मौत के झूल गया
रोता हुआ वहाँ से आया
यहाँ से खाली हाथ गया।
जिनको अपना समझा था
कोई ना उसके साथ गया।।

अशोक मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, कोचीन

जिन्दगी की धूप छाँव

कभी गम तो कभी खुशी है जिन्दगी
कभी धूप, तो कभी छाँव है जिन्दगी
विधाता ने जो दिया, वो अद्‌भुत उपहार है जिन्दगी
कुदरत ने जो धरती पर बिखेरा वो प्यार है जिन्दगी

जिससे हर रोज नये–नये सबक मिलते हैं
यथार्थों का अनुभव कराने वाली ऐसी कड़ी है जिन्दगी
जिसे कोई न समझ सके ऐसी पहेली है जिन्दगी
कभी तन्हाइयों में हमारी सहेली है जिन्दगी

अपने–अपने कर्मों के आधार पर मिलती है ये जिन्दगी
कभी सपनों की भीड़, तो कभी अकेली है जिंदगी
जो समय के साथ बदलती रहे, वो संस्कृति है जिंदगी
खट्टी–मीठी यादों की स्मृति है जिन्दगी

कोई ना जान कर भी जान लेता है सबकुछ, ऐसी है जिन्दगी
तो किसी के लिए उलझी हुई पहेली है जिन्दगी
जो हर पल नदी की तरह बहती रहे ऐसी है जिंदगी
जो पल–पल चलती रहे, ऐसी ही है जिन्दगी

कोई हर परिस्थिति में रो–रोकर गुजारता है जिन्दगी
तो किसी के लिए गम में भी मुस्कुराने का हौसला है जिन्दगी
कभी उगता सूरज, तो कभी अंधेरी निशा है जिन्दगी
ईश्वर का दिया, माँ से मिला अनमोल उपहार है जिन्दगी

तो तुम यूँ हीं न बिताओ अपनी जिंदगी
दूसरों से हटकर तुम बनाओ अपनी जिंदगी
दुनिया की शोर में न खो जाए ये तेरी जिंदगी
जिंदगी भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तुम ऐसी बनाओ ये जिंदगी

कृपाशंकर मीना
सहायक प्रवर्तन अधिकारी
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कालीकट

है प्रभू
प्रकाश का ऐसा एक दीप दो

विकृति मन की हटे, ज्ञान चछु खोल दे, ज्ञान का वह पुंज हो अज्ञान का रिपु बने
जग की शैली से विमुक्त , लोभ की रीत से इतर, मार्ग जो दिखा सके
अहं से हटकर अलग, जो कुटुम्ब का विचार दे, हे प्रभू प्रकाश का ऐसा एक दीप दो

भूख द्वंद युद्ध से जग को जो बचा सके, नीति प्रेम मुक्ति की राह जो दिखा सके,
शांति–समृद्धि–मानवता जिसकी छाया में पलें, उजड़ते जहाँ में बीज ऐसा रोप दो
नानक कहो या बुद्ध कहो, ईसा या कोई अन्य नाम दो, हे प्रभू प्रकाश का ऐसा एक दीप दो...

भटकी मानवता को एकता की राह दे, विनाश की बढ़ती घटाएं सौम्यता से रोक दे
जिसके उपदेशों में मनुष्य ही मूल हो, क्षेत्र – भाषा – धर्म – सरहदें – दे श सब गौड़ हों
मनुष्य का मनुष्य को, शत्रु होने से रोक दे, हे प्रभू प्रकाश का ऐसा एक दीप दो...

स्वार्थ की भूखी जमीन पर तृप्ति की बरसात हो, अशांति के अंधकार में शांत वह प्रकाश हो
भौतिकता ही श्रेष्ठ हैं इसको मिथ्या कह सके, मन–शांति–आत्मा का प्रभु ही एक केन्द्र हैं
मर्म सत्य प्रेम का जग को जो बता सके, हे प्रभू प्रकाश का ऐसा एक दीप दो

अमित कुमार सैनी
आशुलिपिक – ।।
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला

मुझसे कैसी स्पर्धा

मै तो कर्जदार हूँ मुझसे कैसी स्पर्धा
माता पिता का कर्जदार हूँ जन्म लेने के लिए
भगवान का कर्जदार हूँ इतना सुन्दर संसार बनाने के लिए
मै तो कर्जदार हूँ मुझसे कैसी स्पर्धा।

आँख खुली तो मोटर गाड़ी बंगला का अभिमान हुआ,
आँख बंद तो दुनिया से प्रस्थान हुआ
उन्ही के संकेत से होता सुबह शाम है
उन्ही के इशारे पर चलता ये संसार है
मै तो कर्जदार हूँ मुझसे कैसी स्पर्धा।

प्रकृति का है ऋण मुझ पर जिसने मुझे जल
हवा, रौशनी, आकाश, पाताल, सूरज और चाँद दिया
लेकिन मैं अपकारी प्रकृति से खिलवाड़ किया
पेड़ काटे धरती को बंजर किया
मै तो कर्जदार हूँ मुझसे कैसी स्पर्धा।

अपने स्वहित हेतु, मैंने जल, वायु और ध्वनि
सबको दूषित किया, वो भी देखकर रोता होगा मेरे कर्मो को
अपने स्वार्थवश मानव को मैंने कई धर्मों में बाँटा
मै तो दंड का भागी हूँ मुझसे कैसी स्पर्धा।

नरेश कुमार दसौंधी
आशुलिपिक–II
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, रांची

हमारी कमी, भुगते हिंदी

विकास की राह में यह कैसा जतन,
क्यों हो रहा है हिंदी का पतन।
सत्तर साल हो गए आजादी को,
फिर भी हिंदी गुलाम क्यों?
दुःख होता है बहुत मुझे यह देखकर,
कि देश का नामकरण भी हुआ अँग्रेजी को लेकर।
हालत सुधरते नहीं सुधारे जाते है,
फिर भी क्यों हम इस दिशा में हारे जाते है।

वीर रस की कविताएँ पढ़ते हैं बहुत,
हिंदी में प्रोत्साहित करते हैं बहुत।
लेकिन कभी हिंदी को प्रोत्साहन मिला,
कभी हिंदी को उसका सम्मान मिला।
सिमट के रह गई है बस शीर्षक पर,
और अंत में हस्ताक्षर पर।
अब तो हिंदी की हालत ऐसी है देश में,
लिखी जाती है अंग्रेजी–भेष में।

देवनागरी हिंदी की पहचान बढ़ाओ,
अब तो संगणक, प्रोद्योगिकी में हिंदी लाओ।
यूँ तो देश में कई भाषाएँ हैं,
फिर भी न जाने अंग्रेजी से क्या आशाएं हैं
पहले हम आपस में लड़ते थे,
तो मुगल, अँगरेज राज करते थे।
फिर देशी भाषाएँ लड़ने लगी,
और अंग्रेजी राज करने लगी।

माना अंग्रेजी से कोई बैर नहीं,
फिर भी है तो वह गैर ही।
हिंदी दिवस नहीं, हिंदी वर्ष मनाओ,
और देश में हिंदी क्रांति लाओ।
दिल से कहो जय हिन्द, जय हिंदी,
यही तो है भारत माँ की बिंदी।

सार्थक अग्रवाल
सहायक
क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर

धर्म

धर्म कहते हैं उसे जो अमन का पैगाम दे
धर्म कहते हैं उसे जो चैन दे आराम दे
धर्म है वो साथ जो इन्साँ का हर एक गाम दे
धर्म है वो जो कि ताली में फलाहे आम दे

दीन दुखियों को कलेजे से लगाना धर्म है
एक भूखे शख़्स को खाना खिलाना धर्म है।

सर उठा कर मुल्क में चलना सिखाता है यही
और वतन की आन पर मरना सिखाता है यही
हम को उलफ़त प्रेम सब करना सिखाता है यही
हक़ की ख़ातिर ज़ुल्म से लड़ना सिखाता है यही

दुश्मनी के वक़्त पर भी काम आना धर्म है
नाम पर इन्सानियत के सर कटाना धर्म है ।

धर्म बतलाता है माँ और बाप का हम को मुकाम
धर्म करवाता है शिष्यों से गुरु का एहतेराम
धर्म देता है ज़माने को मोहब्बत का पयाम
धर्म दुनिया से मिटा देता है फ़र्क़ ख़ासो आम

धर्म आक़ा को मिला देता है ख़ादिम से गले
धर्म की ख्वाहिश है हर इन्साँ यहाँ फूले फले।

धर्म कहता है रहे विधवाओं का हरदम ख्याल
फ़र्ज़ है हम पर अनाथों की करें हम देख भाल
बेसहारों और गरीबों का भी पूछें हाल चाल
ग़म ज़दों को ख़ुश करें आने न दें दिल में मलाल

जो करे इस पर अमल "लक्की" खुश अन्जाम है
वरना खुद को आदमी कहना ख्याले ख़ाम है ।

लक्की सिंह
आशुलिपिक
मुख्यालय कार्यालय

माँ की ममता

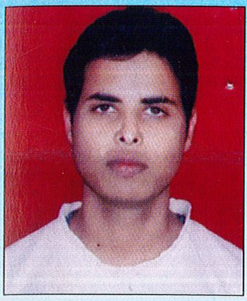

घुटनों से रेंगते रेंगते,
कब पैरों पर मैं खड़ा हुआ।

तेरी ममता की छाँव में
माँ जाने कब मैं बड़ा हुआ।

काला टीका दूध मलाई,
आज भी सब कुछ वैसा है।

मैं ही मैं हूँ हर जगह,
माँ प्यार यह तेरा कैसा है।

सीधा–साधा, भोला–भोला,
मैं ही सबसे अच्छा हूँ।

कितना भी हो जाऊं बड़ा,
माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ।
माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ।

जुबैर खान
आशुलिपिक ग्रेड–II
कार्यालय मुख्यालय

जीवन दान

अधें को दो नयन मिला
गिरते को जीवन दान मिला
मुझे ऐसा ही एहसास हुआ
तेरे जन्म की जब आहट आई।

पानी की एक बूंद को
तरसती गले की प्यास एक बहता हुआ झरना
जीवन को दान होता है।
भजनों, गीतों और गजलों में।

संगीत का सरगम जब भी सुना
ऐ मेरी नन्ही सी गुड़िया
तेरी तोतली बोली याद आई
बरसात का मौसम जब आया।

रिमझिम रिमझिम फुहार आई
तेरे नन्हें पैरों की पायल का
छम छम का तराना याद आया।

मेरे आंगन में तुम्हारी
निगाहों का नूर बिखरा है
मन कहता है रोशनी चाँद सूरज से यहाँ आई है।

प्रतिमा कुमारी
आशुलिपिक
उप क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

दर्द भरी सौगात

नयी सदी से मिल रही, दर्द भरी सौगात !
बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात ! !

पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज !
कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज ! !

भाई भी करता नहीं, भाई पर अब विश्वास !
माँ पराई हो गई, सास खासमखास ! !

मंदिर में पूजा करे, घर मे करे कलेश !
बापू तो बोझ लगे, पत्थर लगे गणेश ! !

बचे कहाँ अब शेष है, दया, धर्म, ईमान !
पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान ! !

पत्थर के भगवान को, लगते छप्पन भोग !
मर जाते फुटपाथ पर, भूखे – प्यासे लोग ! !

फैला है पाखण्ड का, अंधकार सब ओर !
पापी करते जागरण, मचा – मचा कर शोर ! !

पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप !
भण्डारे करते फिरे, घर में भूखे माँ – बाप ! !

राकेश रंजन कान्त
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

माँ

न अतीत की यादें होती हैं,
जब न भविष्य के सपने होते हैं,
तब मेरी सूनी आँखों में
होती है केवल माँ....
जो
संजोती रहती है
यादें अतीत की
फैलाकर अपना आँचल
और बुनती रहती है
सपने भविष्य के
आँखों में अपनी....
चलता हूं जब भी मैं
अन्जानी राहों पर
तब भी मेरे साथ
होती हैं केवल मां
जो चलती है साथ मेरे
जुड़ती मेरी काया से
दिखलाती पंथ मुझे
अपने अनुभव की छाया से...
जब जब होता हूं उदास

जिन्दगी की माया से
तब तब होता साक्षात्कार
अपनी माँ की छाया से,
फैलाकर ममता का आँचल
जीवन से भरकर उसको
फिर कर्तव्य अपना निभाकर
ढक लेती उसमें मुझको....
जीवन के हर बीहड़ पथ पर
माँ हरदम रहती साथ मेरे
जीवन लट को सुलझाकर
कर देती पथ को साफ मेरे....
इसीलिए इन सूनी आँखों में
मैं पाता हूँ माँ को साथ अपने
जो अब भी अतीत की यादों को
संजोती फैलाकर कर अपने
और बुनती रहती आँखों में
स्वप्निल कल के सपने.....

मोहित
अवर श्रेणी लिपिक
उप–क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर

नया जगत

क्यों कोलाहल एवं घबराहट है
और ये कैसी हड़बड़ाहट है,
माना नया है ये जगत
पर कैसी है ये हालात ।

शोर कहीं धुओं के बादल
और बनते इंटों के जंगल,
तहस नहस कर चुके जहाँ को
क्या इसलिए जाते हैं मंगल ।

रंगभेद अभी छूटा नहीं
नए खतरे आ गए यहाँ,
क्या हासिल होगा मंगल।
नहीं बचा पाए अपना जहाँ।

बलि दे चुके आदर्शों की
नीति की है किसे परवाह,
खून खराबा है आदत अब
जीने की रही है किसको चाह।

दिल दहलाने वाली खबरें
मिलती है सुनने को यहाँ–वहाँ,
क्या इसलिए जन्में थे हम
और बना था अपना ये जहाँ।

नीरज कुमार सहरावत
अवर श्रेणी लिपिक
मुख्यालय कार्यालय

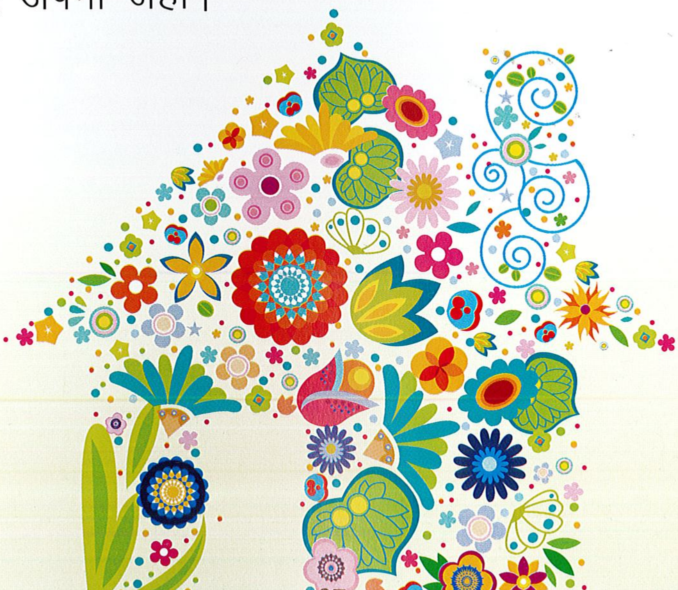

अहसास अजनबीपन का

यह कविता उन्हें समर्पित है जो अपने घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं ।
घर जाता हूँ तो मेरा बैग ही मुझे चिढ़ाता है,
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है..........
माँ कहती रहती है सामान बैग में फौरन डालो
हर बार तुम्हारा कुछ न कुछ छूट जाता है..........

घर पहुँचने से पहले ही वापिस लौटने की टिकट
वक़्त परिंदे सा उड़ता जाता है,
उंगलियों पे लेकर जाता हूँ गिनती के दिन
फिसलते हुए जाने का दिन पास आता है.......
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है.........

जिस बगीचे की गोरैय्या भी पहचानती थी,
अरे वहां अमरूद का पेड़ पापा ने कब लगाया?
घर के कमरे के चप्पे–चप्पे में बसता था मैं,
आज लाईट्स, फैन के स्विच भूल हाथ डगमगाता है..........
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है..........

पास पड़ोस जहां बच्चा–बच्चा था वाकिफ,
बेटा कब आया पूछने चला आता है.........
कब तक रहोगे पूछकर अनजाने में वो
घाव एक और गहरा देके जाता है
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है..........

हर शख्स बड़े प्यार से पूछता है
अगली बार तुम कब आओगे
बड़ा प्यार छलकता है उनके इस सवाल से
जल्दी आऊँगा मैं........ कहता हूँ हल्की सी मुस्कान से,
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है..........

ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियों का
डबडबाई आँखों में आकार डगमगाता है,
लौटते वक़्त वज़नी हो गया बैग,
सीट के नीचे पडा खुद उदास हो जाता है.........
तुम एक मेहमान हो अब ये पल–पल मुझे बताता है..........

राजेश
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई

मेरी किताबें

सच्ची साथी है मेरी किताबें
सुख दुख में देती है मेरा साथ
किसी परिस्थिति में नहीं छोडती है मेरा हाथ।

न कभी रूठती है न कभी कुछ चाहती है
कभी निराशा को दूर भगाती है
तो कभी साहस का संचार कराती है।

ज्ञान की यह बात बताती है
नित नयी सैर कराती है
साथ इसका सदैव संसार में मान बढ़ाती है।

अजीब है ये दुनिया और इसके लोग
सबकी है कुछ न कुछ शिकायते
सबकी है कुछ न कुछ चाहते।

किसी को चाहिए मान और सम्मान
किसी को बनना है धनवान
तो किसी को चाहिए स्वाभिमान का मान।

आजकल सच्चा दोस्त ढूँढना है मुश्किल
हर कोई नहीं होता दोस्ती के काबिल
मेरी किताबें ही है मेरी हर कठिनाई का हल।

इसलिए की है मैंने किताबों से दोस्ती
यह मेरे दिल की हर बात है समझती
मेरी खुशियों से भी संग है चहकती।

पोंछती है मेरे आंसुओं को चुपचाप ही
मेरे सुख दुःख में नहीं करती ये भेदभाव
ऊँच नीच में भी रखती है समभाव।

जूही कुमारी
अवर श्रेणी लिपिक
उपक्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

घर लौट आओ

चिट्ठियां भिजवा रहा है गांव,
अब घर लौट आओ ।

धरधराती गंध पहले बौर की
कहने लगी है, याद माँ के हाथ
पहले कौर की कहने लगी है,

थक चुके होंगे सफर में पाँव,
अब घर लौट आओ ।

कह रही है जामुनी मुस्कान फूली है निबोंरी,
कई वर्षों बाद खाली है
हरेपन ने तिजोरी,
फिर अमोले माँगते है दाँव
अब घर लौट आओ ।

वर्षा सेम्युल्ल
अवर श्रेणी लिपिक
क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलौर

टंकण कौशल

खट–खट बोले कुंजीपटल
सीखों–सीखों टंकण कौशल

परिश्रम न व्यर्थ जाएगा
यह कौशल काम ही आएगा
दफ्तर के सारे कामों में
अक्षर–अक्षर छप जाएगा

मत सोचो कि सीखेंगे कल
मत व्यर्थ करो अब पल–पल
सब खट–खट बोले कुंजीपटल
सीखों–सीखों टंकण कौशल

अक्षर–अक्षर बोल रहा है
अंगुलियों पर डोल रहा है
क ख ग से लेकर ज्ञ तक
सब हाथों से घोल रहा है।

शब्द वाक्यों को मिलते ही बल
टंकण कौशल हो गया सफल
खट–खट बोले कुंजीपटल
सीखों–सीखों टंकण कौशल

अनु वर्मा
एमटीएस
क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

मेरी अनुभूति

ऊषा की आगमन बेला में जगा?

जगा नहीं सोता रहा........... ।

भूखों की चिल्लाते, बिलबिलाते देखता रहा,

इंसा के अरमानों को शैशव में मरते, इन्सानियत को दम तोड़ते देखता रहा

जिन्दों को मरते और मुर्दों को चुनावों के नारों में पुजता देखता रहा

जवाँ जिस्मों को बाजार में सजते, पैसों के हाथ बिकता देखता रहा

भूख से दम तोड़ते इन्सां की सिसकियों को, गरीबी हटाओं के नारों में दबता देखता गया।

इस कटु यथार्थ को एक दुःस्वप्न समझकर मैं जीता चला गया

मैं जागकर भी सोता चला गया

यह पंक्तियाँ वर्ष 1976 की मेरी अनुभूतियो का प्रतिबिम्ब है और

आज भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती है।

सत्येन्द्र सिंह
उप निदेशक
मुख्यालय कार्यालय

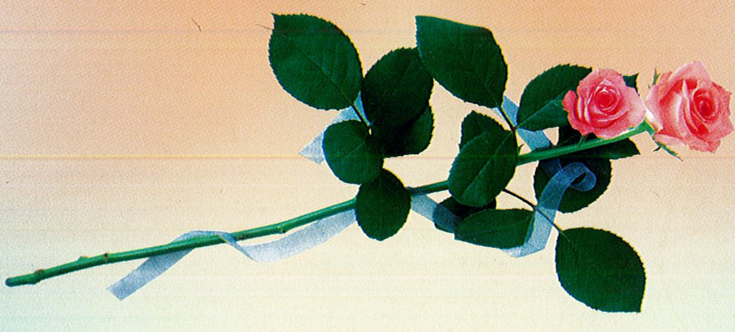

माननीय अतिथि गणों के साथ प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिक

नराकास दिल्ली (मध्य) के अध्यक्ष प्रवर्तन निदेशालय को
हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते हुए

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति

प्रवर्तन निदेशालय
छठा तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003